

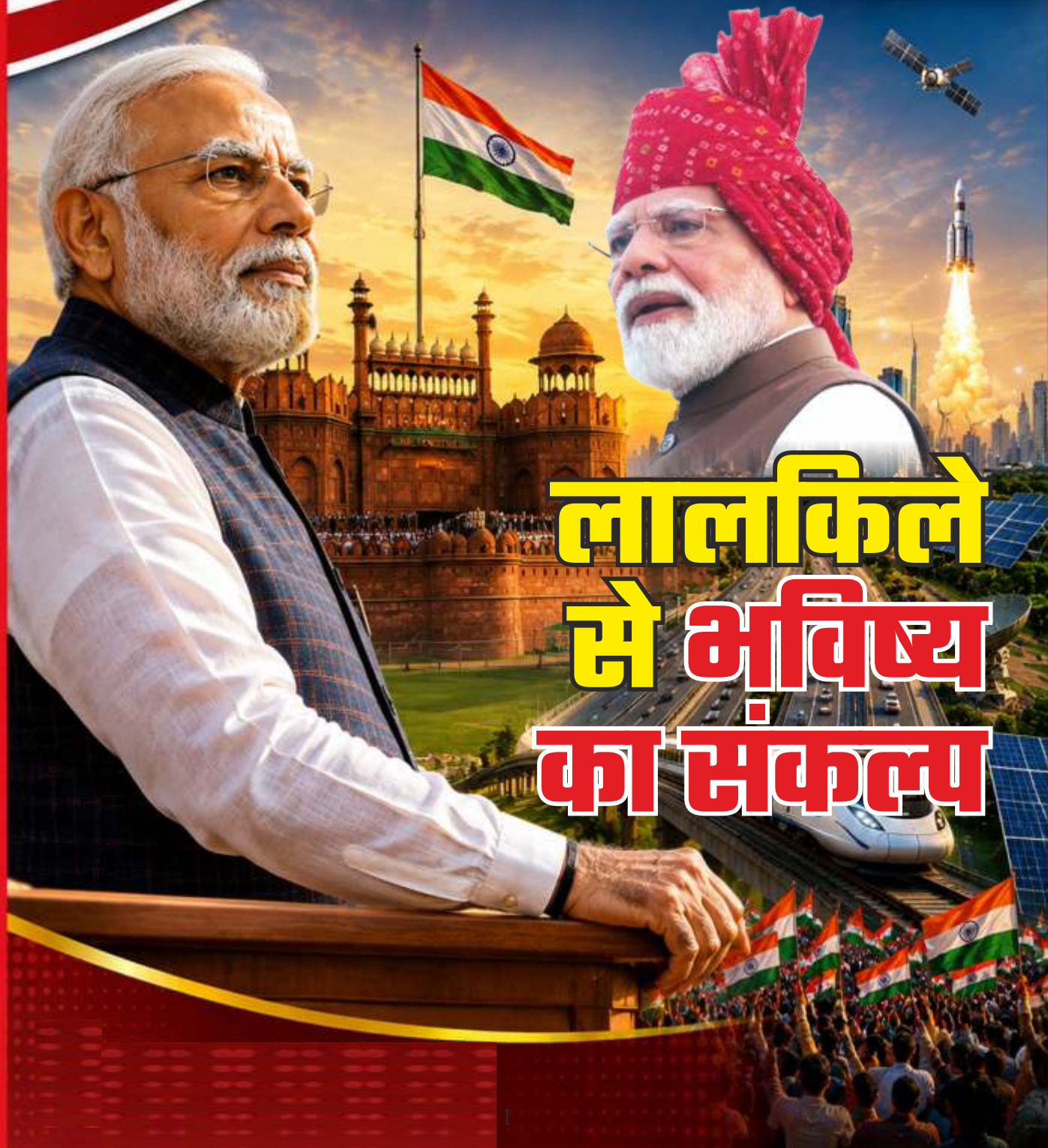


मूल्य 50/-

पंचायत 24

वर्ष-01 अंक-03 सितम्बर, 2026

हिंदी मासिक पत्रिका



**लालकिले
से भविष्य
का संकल्प**



सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा साथ में गौतम बुद्ध नगर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा



डॉ राकेश कुमार,
चेयरमेन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट



सुदीप सरकार, सीईओ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा



सुबोध त्यागी, उपाध्यक्ष एनपीसीएल



5. डॉ महेंद्र सिंह नागर, चेयरमेन महेंद्र सिंह नागर अस्पताल



विनोद गोयल, प्रबंधक अग्रसेन इंटर कॉलेज दादरी एवं निदेशक शैफाली स्कूल समूह



रोटरी टीम दादरी, (बाएं से दाएं - डॉ राजेंद्र प्रसाद शर्मा (अध्यक्ष), डॉ रविंद्र वर्मा (सदस्य), कृष्णा बंसल (प्रशिक्षक), डॉ अजय कुमार गर्ग (संयुक्त सचिव)



शैलेन्द्र कुमार, डीसीपी सेंट्रल नोएडा



रवि शंकर निम डीसीपी ग्रेटर नोएडा (दाएं)
संतोष कुमार, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा (बाएं)



स्वतंत्र कुमार एडीसीपी (सेंट्रल नोएडा)



Top row of portraits: Narendra Modi, Amit Shah, and other BJP leaders.

हर वर्ग का साथ
हर परिवार तक विकास

किसान-महिला-बेटी
बुजुर्ग-मजदूर

नरेंद्र सिंह भाटी
विधान परिषद सदस्य (MLA), भाजपा
गौतमबुद्ध नगर / बुलंदशहर

युवा और शहरी नागरिक
सबका साथ • सबका विकास
सबका विश्वास • सबका प्रयास।

एड. आशीष भाटी
सदस्य - भारतीय जनता पार्टी



Top row of portraits: Narendra Modi, Amit Shah, and other BJP leaders.

बुजुर्गों का सम्मान
हमारी जिम्मेदारी वृद्धावस्था पेंशन और

जनकल्याणकारी
योजनाओं के

नरेंद्र सिंह भाटी
विधान परिषद सदस्य (MLA), भाजपा
गौतमबुद्ध नगर / बुलंदशहर

माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को
सम्मान और सामाजिक सुरक्षा।

एड. आशीष भाटी
सदस्य - भारतीय जनता पार्टी



Top row of portraits: Narendra Modi, Amit Shah, and other BJP leaders.

श्रमिक का सम्मान मेहनत को
अधिकारमजदूर और श्रमिक परिवारों को

सामाजिक
सुरक्षा सहायता

नरेंद्र सिंह भाटी
विधान परिषद सदस्य (MLA), भाजपा
गौतमबुद्ध नगर / बुलंदशहर

और कल्याणकारी योजनाओं से
जोड़ने का प्रयास।

एड. आशीष भाटी
सदस्य - भारतीय जनता पार्टी



पंचायत 24

वर्ष-01 अंक-03 सितम्बर, 2026

संरक्षक मंडल

नरेंद्र कुमार शर्मा

डॉ नवीन कुमार

चैयरमेन नवीन अस्पताल समूह

डॉ महेंद्र नागर

चैयरमेन नागर हॉस्पिटल

विनोद गोयल

निदेशक शैफाली स्कूल समूह एवं

प्रबंधक अग्रसेन इंटर कॉलेज दादरी

योगेंद्र शर्मा

अध्यक्ष फोनरवा, नोएडा

सरबजीत

चैयरमेन आईआईए ग्रेटर नोएडा चेप्टर

प्रधान संपादक

डॉ देवेन्द्र कुमार शर्मा

सलाहकार सम्पादक

राजेश बैरागी

प्रबंधक

हिमानी शर्मा

विधिक सलाहकार

ममता शर्मा

अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट

रजनीश यादव

मनु बैरागी

प्रवीण शर्मा

RNI NO.UPHIN/26/A3126

स्वामी प्रकाशक संपादक डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा मुद्रक मनोज वत्स
स्वामी वत्स ऑफसेट मकान नंबर 25 मुद्दा हाउस ऑफ सी ब्लॉक
बारात घर चौड़ा रघुनाथपुर सेक्टर 22 गौतम बुध नगर उत्तर प्रदेश
201301 से मुद्रित एवं पुराना नेशनल हाईवे 91, चितेहरा दादरी,
गौतमबुद्ध नगर, 203207 से प्रकाशित
संपादक : डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा

किसी भी वाद विवाद से निपटने के
लिए जिला गौतमबुद्धनगर मान्य होगा



06

भीड़ में खोता घर घर में खोता बचपन



20

आधुनिक शहरों में जलापूर्ति की चुनौती...



यूपीआईटीएस: वैश्विक मंच तक पहुंच...

34



डा. देवेन्द्र कुमार शर्मा

जब व्यवस्था व्यक्ति की मोहताज हो जाए

लोकतंत्र में किसी व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए व्यवस्था का भरोसा

लोकतंत्र की असली ताकत किसी बड़े नेता, प्रभावशाली अधिकारी या पहुंच वाले व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जिसमें एक सामान्य नागरिक बिना सिफारिश, पहचान और दबाव के अपना अधिकार प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन व्यवस्था से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी घर की सीवर लाइन बंद है। नागरिक हेल्पलाइन पर शिकायत करता है, शिकायत दर्ज होती है, टीम पहुंचती है और समस्या हल हो जाती है। न किसी नेता का फोन, न अधिकारी की सिफारिश और न रिश्ता। यही सुशासन है—नागरिक समस्या बताए और व्यवस्था समाधान करे। लेकिन यदि उसी काम के लिए उसे कर्मचारी से लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक के चक्कर लगाने पड़ें, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से फोन करवाना पड़े और अंततः उसकी पहचान के कारण काम हो, तो सवाल व्यवस्था पर उठेगा। काम नियम से हुआ या पहुंच से? जहां अधिकार पाने के लिए पहचान जरूरी हो जाए, वहां अधिकार धीरे-धीरे मेहरबानी में बदल जाता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है।

अच्छे अधिकारी व्यवस्था की ताकत होते हैं, लेकिन व्यवस्था किसी एक अच्छे अधिकारी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। अधिकारी बदल जाए और व्यवस्था भी बदल जाए तो समस्या व्यक्ति में नहीं, संस्थागत ढांचे में है। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं; व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। इतिहास भी यही सिखाता है कि लोकतंत्र की स्थिरता व्यक्तियों से नहीं, मजबूत संस्थाओं से आती है। 1975 का आपातकाल और उसके बाद 1977 का सत्ता परिवर्तन इसका बड़ा उदाहरण है—कुर्सी स्थायी नहीं, व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। व्यवस्था जब जटिल होती है तो नागरिक पहले परिचित तलाशता है, फिर सिफारिश और फिर दबाव। यहीं भ्रष्टाचार के लिए रास्ता खुलता है। कहावत है—“जहां चाह, वहां राह”, लेकिन यदि सामान्य काम के लिए भी असामान्य राह तलाशनी पड़े तो समझना चाहिए कि व्यवस्था में प्रवेश पाने का रास्ता संकरा हो गया है। कहीं न कहीं रास्ता बंद है। आज डिजिटल शासन ने शिकायत और सेवाओं को सरल बनाने का अवसर दिया है। लेकिन केवल पोर्टल बना देना पर्याप्त नहीं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसका समयबद्ध समाधान और जवाबदेही जरूरी है। तकनीक का उद्देश्य नागरिक को कार्यालय के चक्कर से बचाना है, उसे ऑनलाइन कतार में खड़ा करना नहीं।

लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन नागरिक का अधिकार हैं, लेकिन यदि हर सड़क, नाली, पानी, प्रमाणपत्र या छोटी सरकारी सेवा के लिए नागरिक को सड़क पर उतरना पड़े तो यह लोकतंत्र की ताकत नहीं, व्यवस्था की कमजोरी है। ऐसी स्थिति में असंतोष का राजनीतिक इस्तेमाल और युवाओं, किसानों, मजदूरों और जरूरतमंदों की ऊर्जा को अपने हितों के लिए मोड़ने का खतरा बढ़ता है। इसलिए लोकतंत्र में भीड़ की शक्ति नहीं, नागरिक की शक्ति बढ़नी चाहिए। एक स्वस्थ व्यवस्था में विधायक को हर स्ट्रीट लाइट के लिए फोन नहीं करना पड़ता, सांसद को हर सड़क के लिए पत्र नहीं लिखना पड़ता और अधिकारी को हर छोटी शिकायत व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटानी पड़ती। मजबूत व्यवस्था वह है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच कम नहीं, उन तक पहुंचने की जरूरत कम हो। लेकिन सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की भी नहीं है। नागरिक को भी नियमों का पालन करना, रिश्तत न देना, गलत काम के लिए सिफारिश न करवाना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना होगा। आखिर व्यवस्था समाज का ही आईना है। हम जिस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, कहीं न कहीं उसे मजबूत भी करते हैं। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं, उन दिनों होती है जब कोई बुजुर्ग पेंशन के लिए, विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए, किसान सहायता के लिए या सामान्य नागरिक अपनी छोटी-सी समस्या लेकर व्यवस्था के सामने खड़ा होता है। यदि उसे भरोसा है कि “मेरा काम इसलिए होगा क्योंकि यह मेरा अधिकार है”, तो लोकतंत्र मजबूत है। यदि उसे लगता है कि “बिना किसी बड़े आदमी के कुछ नहीं होगा”, तो सुधार की जरूरत व्यवस्था में है। अंततः सवाल किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने का नहीं, व्यवस्था को बड़ा बनाने का है। व्यक्ति बदलने पर परिणाम बदल जाए तो व्यवस्था व्यक्ति-निर्भर है; व्यक्ति बदल जाए और व्यवस्था उसी नियम, गति और निष्पक्षता से चलती रहे तो वही संस्थागत लोकतंत्र है। हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें ‘अपना आदमी’ नहीं, ‘अपना अधिकार’ काम आए; सिफारिश अपवाद हो, नियम नहीं; रिश्ता रास्ता नहीं, अपराध हो; अधिकारी की पहचान उसकी पहुंच नहीं, निष्पक्षता हो और जनप्रतिनिधि हर समस्या के समाधानकर्ता नहीं, मजबूत व्यवस्था के प्रहरी हों।

क्योंकि अंततः—

व्यक्ति चला जाता है, पद बदल जाता है, सरकार बदल जाती है; लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि एक दिन सामान्य नागरिक पूरे विश्वास से कह सके—“मुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं है। मेरा काम इसलिए होगा क्योंकि यह मेरा अधिकार है और व्यवस्था अपना कर्तव्य जानती है।” यही सुशासन है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। और यही वह मुकाम है, जहां लोकतंत्र व्यक्ति की छाया से निकलकर व्यवस्था के प्रकाश में खड़ा होता है।



भीड़ में खोता घर घर में खोता बचपन

नोएडा की एक त्रासदी के बहाने महानगर, परिवार और समाज के बदलते रिश्तों का आईना

नो एडा के सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर 16 वर्षीय अमृत शर्मा की मौत ने एक ऐसी कहानी को सामने ला दिया है, जिसकी शुरुआत शायद मेट्रो की पटरी से नहीं, बल्कि बहुत पहले एक घर की चारदीवारी के भीतर हो चुकी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, अमृत ने कथित रूप से पहले अपने पिता राजू शर्मा की धारदार हथियार से हत्या की और उसके बाद मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में पिता का शव उस कमरे से बरामद हुआ, जहां दोनों रहते थे। पुलिस परिवार

और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर पढ़ाई, घर से बाहर जाने की पाबंदी, पारिवारिक तनाव और किशोर की मानसिक स्थिति जैसे पहलुओं की पड़ताल कर रही है। घटना की अंतिम सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगी। लेकिन समाज के लिए सवाल इससे बड़ा है—आखिर ऐसा क्या होता है कि एक घर, जो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होना चाहिए, उसी घर में संवाद मर जाता है? और फिर वही बच्चा हजारों लोगों की भीड़ के बीच अपनी जिंदगी खत्म

करने की स्थिति तक पहुंच जाता है?

यह केवल अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलते समाज का आईना भी है, जिसमें मकान बढ़ रहे हैं, लेकिन घर घटते जा रहे हैं।

महानगर के सपनों के पीछे का अकेलापन
रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में छोटे शहरों और कस्बों से लाखों परिवार दिल्ली-एनसीआर जैसे महानगरों की ओर आते हैं। महानगर अवसर देता है, लेकिन बदले में समय मांगता है। किराए का कमरा, अस्थायी रोजगार, महंगाई, प्रतिस्पर्धा और लंबी यात्राओं के बीच कई

बार परिवार के लिए समय कम पड़ जाता है। एक पिता आर्थिक और सामाजिक दबावों में घिरा हो सकता है, मां वैवाहिक संघर्ष से जूझ रही हो सकती है और बच्चा अपनी अलग दुनिया में अकेला खड़ा हो सकता है। तीन लोग एक परिवार हो सकते हैं, लेकिन तीन अलग-अलग अकेलेपन मिलकर परिवार नहीं बनाते।

पति-पत्नी के विवाद का सबसे बड़ा असर बच्चे पर

इस प्रकरण में माता-पिता के करीब छह वर्षों से अलग रहने और अमृत के पिता के साथ रहने की बात सामने आई है। पति-पत्नी का विवाद निजी जरूर है, लेकिन जब परिवार में बच्चा हो तो उसका प्रभाव उसकी भावनात्मक दुनिया तक पहुंचता है। माता-पिता के संघर्ष में बच्चा अक्सर चुपचाप आरोप, संदेह और दूरी की भाषा सीखता है। अलगाव अपने आप में किसी बच्चे के भविष्य को निर्धारित नहीं करता; महत्वपूर्ण यह है कि अलगाव के बाद माता-पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसे कितना संवाद, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा मिलता है।

स्कूल से बाहर बच्चा, भविष्य से दूर होती उम्मीद

जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि अमृत किसी स्कूल में दाखिल नहीं था। यदि यह तथ्य जांच में पुष्ट होता है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत होगा। विद्यालय केवल किताबें और परीक्षाएं नहीं देता। वह बच्चे को मित्र, शिक्षक, दिनचर्या, आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और भविष्य की कल्पना देता है। इसलिए किसी बच्चे का स्कूल से बाहर होना केवल शिक्षा से दूरी नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास के कमजोर पड़ने का संकेत भी हो सकता है। “बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होया” यदि बच्चों के लिए शिक्षा, खेल, संवाद और रचनात्मक अवसर नहीं होंगे, तो खाली समय अपनी जगह खुद तलाश करेगा।

अनुशासन जरूरी, लेकिन संवाद उससे भी जरूरी

माता-पिता का बच्चों को गलत संगत से बचाना और सुरक्षित रखना स्वाभाविक है। लेकिन सुरक्षा और नियंत्रण में अंतर है। “कहां जा रहे हो?”, “किससे मिलते हो?”, “यह मत करो”, “वह मत करो”—ये बातें आवश्यक हो सकती हैं, मगर जब निर्देश संवाद की जगह ले लें तो समस्या शुरू होती है। किशोर केवल आदेश नहीं चाहता; वह चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। माता-पिता कहते हैं—“हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं”, लेकिन किशोर के मन में सवाल हो सकता है—“मेरे भले की बात में मेरी बात कहां है?” यही वह बिंदु है जहां पीढ़ियों के बीच संवाद की खाई चौड़ी होने लगती है।

भीड़ बढ़ी, पड़ोसी घट गया

नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे महानगरों में सैकड़ों परिवार एक-दूसरे के बेहद करीब रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे से अनजान होते जा रहे हैं। मकान पास आ गए, मगर मन दूर चले गए। क्या किसी पड़ोसी ने बच्चे के व्यवहार में बदलाव देखा? क्या किसी ने पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता? क्या किसी ने यह समझने की कोशिश की कि पिता-पुत्र के संबंध कैसे हैं? इन सवालों का उत्तर केवल इस मामले की जांच नहीं देगा। ये हमारे पूरे शहरी जीवन से जुड़े सवाल हैं। पड़ोस केवल बगल में रहने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि संकट के समय परिवार को संभाल सकने वाला सामाजिक सुरक्षा-जाल भी है।

अंतिम घटना से पहले के संकेतों को समझना होगा

मेट्रो स्टेशन पर हुई घटना किसी व्यक्ति की अंतिम अवस्था दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मानसिक और सामाजिक यात्रा दिखाई नहीं देती। किसी बच्चे का अचानक चुप हो जाना, लोगों से कटना, पढ़ाई या सामान्य गतिविधियों से दूर होना, अत्यधिक गुस्सा, भय, निराशा या व्यवहार में बड़ा बदलाव—इन संकेतों को केवल “उम्र का असर” मानकर टालना उचित नहीं। हर बदलाव किसी गंभीर संकट का संकेत नहीं होता, लेकिन हर बदलाव को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं

है। डिजिटल दुनिया को भी हर अपराध का कारण मानना गलत होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया किशोरों की सोच और व्यवहार को प्रभावित जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी त्रासदी के पीछे परिस्थितियों और अनेक कारकों को समझना आवश्यक है। इसलिए बच्चों के फोन की निगरानी से अधिक जरूरी है बच्चों के मन की निगरानी।

अपराध के साथ कारणों को भी समझना होगा

समाज घटना के बाद पूछता है—“दोषी कौन है?” यह जरूरी सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है—“ऐसी परिस्थितियां बनी कैसे?” कानून व्यक्ति के कृत्य की जिम्मेदारी तय करता है, जबकि समाज को उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें ऐसा कृत्य संभव हुआ। एक न्याय देता है, दूसरा भविष्य के लिए चेतावनी। नोएडा की यह घटना हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देती।

पुलिस जांच पूरी होगी, साक्ष्य सामने आएंगे और कानून अपना फैसला करेगा। लेकिन समाज को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी से पूछना होगा—क्या हमारे बच्चों के पास भविष्य का सपना है? क्या उनके पास अपनी बात कहने की जगह है? क्या परिवार उनके लिए सुरक्षित संवाद का स्थान है? क्या स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों तक समाज पहुंच रहा है? क्या पड़ोसी केवल पड़ोसी है या संकट में सहारा भी? सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनकी खामोशी भी हमें सुनाई नहीं देती? किसी बच्चे का संकट अचानक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी बेचैनी अक्सर बहुत पहले दिखाई देने लगती है। जरूरत है उस बेचैनी को समय रहते पढ़ लेने की।

ईंट-पत्थर से शहर बनता है, रिश्तों से समाज।

इसलिए घर को फिर से घर बनाना होगा, पड़ोस को फिर से पड़ोस बनाना होगा और बच्चों को केवल पालने की नहीं, सुने जाने की जगह देनी होगी। क्योंकि किसी बच्चे की त्रासदी केवल एक परिवार की कहानी नहीं होती—वह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी होती है। ■

सम्मान कर्मों का (एक ही वर्दी की पहचान अलग-अलग नहीं होती, लेकिन उसका सम्मान उसके कर्म तय करते हैं)



कि सी वर्दी का सम्मान केवल उसके रंग, पदनाम या उस पर लगे सितारों से नहीं होता। वर्दी का वास्तविक सम्मान उस क्षण तय होता है, जब उसके सामने किसी दूसरे मनुष्य का जीवन संकट में हो और उसे यह तय करना हो कि वह सुरक्षित दूरी पर खड़ा रहेगा या जोखिम उठाकर किसी की जान बचाने की कोशिश करेगा। वर्दी जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। वह अधिकार देती है तो उसके साथ अपेक्षाएं भी जोड़ती है। समाज पुलिसकर्मी से केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि संकट की घड़ी में सहायता, साहस और त्वरित निर्णय की भी अपेक्षा करता है। इसी तरह अग्निशमन सेवा के जवानों से समाज यह उम्मीद करता है कि जब बाकी लोग आग से दूर भाग रहे हों, तब वे उसी आग की ओर बढ़ेंगे। गौतमबुद्ध नगर में घटी दो घटनाएं इसी फर्क को गहराई से सामने रखती हैं। एक घटना ने व्यवस्था की तैयारियों और मानवीय संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए, जबकि दूसरी ने उसी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था के भीतर मौजूद साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। पहली घटना नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की है और दूसरी ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में आग बुझाते समय दो दमकलकर्मियों की शहादत की। इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखने का उद्देश्य किसी विभाग या कर्मचारी को कठघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि यह

समझना है कि संकट की घड़ी में व्यवस्था की असली परीक्षा कागज पर लिखे प्रोटोकॉल से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई से होती है।

एक गड़ढा, एक जिंदगी और व्यवस्था से उठते सवाल

जनवरी में सेक्टर-150 में निर्माणाधीन परिसर के लिए खोदे गए गहरे गड़ढे में पानी भरा था। युवराज मेहता की कार उसमें जा गिरी। युवराज किसी तरह कार के ऊपर आ गए और मदद के लिए पुकारते रहे। मौके पर पुलिसकर्मी और अन्य लोग मौजूद थे, लेकिन बचाव के शुरुआती प्रयासों को लेकर गंभीर सवाल उठे। बाद में युवराज पानी में डूब गए। यह घटना केवल सड़क दुर्घटना नहीं रह गई। सवाल यह बन गया कि जब एक व्यक्ति की आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था, तब उपलब्ध व्यवस्था उसकी मदद के लिए कितनी तैयार थी? बाद की पुलिस रिपोर्ट में प्रशिक्षित कर्मियों, तैराकों, विशेष नौकाओं और आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी जैसी चुनौतियों का उल्लेख सामने आया। इससे स्पष्ट हुआ कि मामला केवल किसी एक व्यक्ति के साहस या असफलता का नहीं, बल्कि आपदा-प्रतिक्रिया की तैयारी से जुड़े व्यापक प्रश्न का भी था। सामान्य नागरिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह हर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित हो। वह अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और गहरे पानी, छिपे खतरे या अन्य जोखिमों को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंकित होगा। लेकिन

वर्दीधारी आपातकालीन सेवाओं के प्रति समाज की अपेक्षा अलग होती है। यदि किसी पुलिसकर्मी के पास डूबते व्यक्ति को बचाने का प्रशिक्षण या पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, तो सवाल केवल उस पुलिसकर्मी का नहीं है। सवाल उस व्यवस्था का है जिसने उसे संकट की स्थिति में भेजा, लेकिन उसके हाथ में आवश्यक साधन नहीं दिए। युवराज मेहता की मौत ने इसी कमी को उजागर किया।

पुलिस से अपेक्षा केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं

इसलिए आधुनिक शहरों की पुलिस व्यवस्था में कानून लागू करने और अपराध नियंत्रण के साथ प्राथमिक आपदा-प्रतिक्रिया, प्राथमिक उपचार, बचाव तकनीक और आपात परिस्थितियों में त्वरित निर्णय की क्षमता भी आवश्यक है। युवराज मेहता की घटना ने यह सवाल पूछा कि क्या तेजी से विकसित होते महानगर की पुलिस व्यवस्था उस स्तर की आपात तैयारी से लैस है, जिसकी आज आवश्यकता है? साहस जरूरी है, लेकिन साहस को प्रशिक्षण, उपकरण और सक्षम व्यवस्था का सहारा भी चाहिए।

फिर ईकोटेक-3 में सामने आई दूसरी तस्वीर

4 अगस्त 2026 को ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण इकाई में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान इमारत का एक

हिस्सा और लोहे का भारी बीम ढह गया, जिसके कारण पांच दमकलकर्मी मलबे में दब गए। इनमें चीफ कांस्टेबल चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, चीफ कांस्टेबल चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव शामिल थे। इस हादसे में फायरमैन रोहित यादव और चीफ कांस्टेबल चालक तीरथपाल सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए।

यहां तस्वीर पूरी तरह अलग थी।

आग के बीच प्रवेश करना अपने आप में जोखिम भरा था। भवन की संरचना भी कमजोर हो चुकी थी। बाद की जांच में यह सामने आया कि आग की अत्यधिक गर्मी से भवन की धातु संरचना कमजोर हुई और बीम तथा कंक्रीट का हिस्सा टूटकर गिर गया।

फिर भी दमकलकर्मी पीछे नहीं हटे।

वे जानते थे कि सामने आग है और औद्योगिक भवन की संरचना कभी भी जवाब दे सकती है। लेकिन उनका कर्तव्य ही संकट के बीच पहुंचना था। जब उनके साथी मलबे में दबे, तब उन्हें निकालने के लिए उनके सहयोगियों ने भी जोखिम उठाया।

यही वह क्षण है, जहां वर्दी का वास्तविक अर्थ दिखाई देता है।

एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ सलाम सेक्टर-150 में जनता ने पूछा—व्यवस्था कहां थी? ईकोटेक-3 में जनता ने कहा—सलाम है उन जवानों को, जो व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान गंवा गए। इन दोनों प्रतिक्रियाओं में कोई विरोधाभास नहीं है। बल्कि दोनों मिलकर लोकतांत्रिक समाज की एक महत्वपूर्ण अपेक्षा सामने रखती हैं। जनता व्यवस्था से जवाबदेही भी चाहती है और अपने कर्तव्य के लिए जान जोखिम में डालने वालों का सम्मान भी करती है।

सेक्टर-150 की घटना में किसी व्यक्ति की अंतिम जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए। उपलब्ध घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं, इसलिए किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराने से पहले जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना न्यायसंगत होगा। लेकिन इससे व्यवस्था से जुड़े सवाल समाप्त नहीं हो जाते। दूसरी ओर, ईकोटेक-3 में दमकलकर्मियों की मौत कर्तव्यपालन और जोखिम की उस वास्तविकता को सामने लाती है, जिसमें एक जवान दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है।

वर्दी एक है, परीक्षा अलग-अलग नहीं

पुलिस और अग्निशमन सेवा दोनों सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। संकट के क्षण में वर्दी का मूल्य पद से नहीं, प्रतिक्रिया से तय होता है। जब कोई नागरिक आग में फंसा होता है तो अग्निशमनकर्मी आग की ओर बढ़ता है। जब अपराधी भागता है तो पुलिसकर्मी उसके पीछे जाता है। और जब कोई नागरिक संकट में होता है तो उसकी पहली अपेक्षा यही होती है कि सरकारी तंत्र उसे अकेला नहीं छोड़ेगा।



यही विश्वास लोकतंत्र में राज्य और नागरिक के संबंध की बुनियाद है। इसलिए किसी जवान से हर परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालने की अपेक्षा व्यावहारिक नहीं हो सकती। लेकिन यह अपेक्षा बिल्कुल जायज है कि वह प्रशिक्षित हो, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे, तत्काल निर्णय ले और बचाव के हर सुरक्षित उपाय को समय पर अपनाए।

साथ ही सरकार की जिम्मेदारी है कि जवानों को ऐसे प्रशिक्षण और उपकरण दिए जाएं, जिनसे वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है

समाज वर्दी का सम्मान इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह वर्दी संकट के समय उसके साथ खड़ी होगी। यह सम्मान किसी आदेश से नहीं मिलता। यह पद के साथ स्वतः नहीं आता। यह कर्म से अर्जित होता है। ईकोटेक-3 के शहीद दमकलकर्मियों ने यह सम्मान अपने कर्तव्य के बीच प्राण देकर अर्जित किया। उन्होंने भाषण में बहादुरी की घोषणा नहीं की, बल्कि संकट के सामने खड़े होकर उसे निभाया। दूसरी ओर युवराज मेहता की मौत यह याद दिलाती है कि केवल बहादुर कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। बहादुरी को सक्षम व्यवस्था का साथ चाहिए—प्रशिक्षण, उपकरण, स्पष्ट आपातकालीन प्रोटोकॉल, बेहतर समन्वय और संकट में त्वरित निर्णय की क्षमता। किसी जवान से वीरता की अपेक्षा करने से पहले उसे वीरता निभाने के साधन देना भी व्यवस्था का कर्तव्य है।

गौतमबुद्ध नगर के लिए बड़ा सबक

गौतमबुद्ध नगर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक परिसर, निर्माणाधीन परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती आबादी है। ऐसे जिले में आपदा-प्रबंधन को सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मानकर नहीं चलाया जा सकता। हर बड़े निर्माण स्थल की सुरक्षा, गहरे गड्ढों की घेराबंदी, औद्योगिक इकाइयों की अग्नि सुरक्षा और आपात स्थितियों में त्वरित बचाव व्यवस्था की नियमित

समीक्षा आवश्यक है। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को भी वास्तविक परिस्थितियों जैसी चुनौतियों का नियमित प्रशिक्षण मिलना चाहिए—गहरे पानी में बचाव, धुएं से भरी इमारत से निकासी, औद्योगिक दुर्घटना, ढहती संरचना और बहुमंजिला इमारतों में आपात प्रतिक्रिया जैसी परिस्थितियों का अभ्यास इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपदा के समय प्रशिक्षण का दूसरा अवसर नहीं मिलता।

दो घटनाएं, एक बड़ा संदेश

युवराज मेहता की मौत को केवल एक दुर्घटना मान लेना आसान होगा। ईकोटेक-3 में मारे गए दमकलकर्मियों को केवल दो सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु मान लेना भी आसान होगा। लेकिन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो कहानी कहीं बड़ी दिखाई देती है। एक घटना पूछती है—क्या हमारी व्यवस्था संकट में नागरिक को बचाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? दूसरी जवाब देती है—हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं, जो व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। अब जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है कि इन दोनों संदेशों को समझें। युवराज मेहता की मौत हमें व्यवस्था की कमियां सुधारने का संकल्प दे और रोहित यादव तथा तीरथपाल सिंह का बलिदान हमें अपने आपातकालीन सेवाकर्मियों के प्रति सम्मान के साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन देने की प्रेरणा दे। क्योंकि किसी जवान से वीरता की अपेक्षा करने से पहले उसे वीरता निभाने के साधन देना भी व्यवस्था का कर्तव्य है। अंततः बात इतनी सी है—वर्दी सम्मान का अधिकार नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। उसका सम्मान पद से शुरू हो सकता है, लेकिन टिकता केवल कर्म पर है। जहां कर्तव्य से मुंह मोड़ा जाता है, वहां सवाल उठेंगे। जहां कर्तव्य निभाते हुए जीवन न्योछावर किया जाता है, वहां सिर अपने आप झुक जाएगा। ■

युवराज मेहता की मौत व्यवस्था को जगाने वाली चेतावनी है और ईकोटेक-3 के दमकलकर्मियों का



बीमारी को उपचार समझने की भूल

कोविड के दौरान मजबूरी बनी डिजिटल पढ़ाई,
अब आदत बनता स्क्रीन-आधारित शिक्षण बच्चों के भविष्य पर सवाल

कोविड महामारी ने शिक्षा व्यवस्था के सामने ऐसा संकट खड़ा किया था, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। स्कूलों के दरवाजे बंद थे, कक्षाएं ठप थीं और लाखों बच्चों की पढ़ाई घर की चारदीवारी में सिमट गई थी। ऐसे समय में ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा को जारी रखने का विकल्प बनीं। मजबूरी थी, इसलिए मोबाइल और स्क्रीन को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन समस्या तब शुरू हुई, जब आपदा में अपनाया गया अस्थायी उपाय सामान्य दिनों की स्थायी व्यवस्था बनने लगा। जिस मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए परिवार वर्षों से जद्दोजहद कर रहे थे, कोविड ने वही मोबाइल उनके

हाथों में थमा दिया। अध्यापक मोबाइल पर पढ़ाने लगे, गृहकार्य भेजने लगे, गतिविधियां साझा होने लगीं और अभिभावक चाहते हुए भी बच्चों को घंटों स्क्रीन के सामने बैठा देखते रहे। महामारी खत्म हुई, स्कूल खुले, कक्षाएं लौटीं—लेकिन मोबाइल बच्चों की दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं गया। बल्कि एक विडंबना यह है कि जिस डिजिटल माध्यम को कोविड के समय शिक्षा बचाने की मजबूरी माना गया था, वही अब शिक्षा का आसान शॉर्टकट बनता दिखाई दे रहा है।

मजबूरी से सुविधा और सुविधा से जरूरत

ऑनलाइन पढ़ाई ने महामारी के दिनों में निश्चित रूप से शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में भूमिका निभाई। उस समय सवाल यह नहीं था कि मोबाइल

अच्छा है या बुरा; सवाल था कि पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए। इसलिए स्क्रीन को माध्यम बनाना स्वाभाविक था।

मगर महामारी बीतने के बाद सवाल बदल गया है—क्या हर शैक्षिक आवश्यकता का उत्तर स्क्रीन ही है? आज कई विद्यालयों में स्कूल गतिविधियों से लेकर कक्षा-कार्य और गृहकार्य तक मोबाइल पर भेजा जाता है। डिजिटल बोर्ड और स्क्रीन कक्षाओं का हिस्सा बन चुके हैं। परिणाम यह है कि बच्चा घर से स्कूल तक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के बीच यात्रा कर रहा है।

- परिवार कहता है—बच्चे को मोबाइल मत दो।
- स्कूल कहता है—होमवर्क मोबाइल पर है।

- परिवार कहता है—स्क्रीन कम देखो।
- कक्षा कहती है—गतिविधि स्क्रीन पर देखो।

इस विरोधाभास में बच्चा आखिर जाए तो जाए कहां?

यह केवल तकनीक का प्रश्न नहीं, शिक्षा की दिशा का प्रश्न है।

बीमारी को उपचार समझने की भूल

गौतम बुद्ध नगर में अभिभावकों की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा स्कूलों में डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल को लेकर संज्ञान लिया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रशासन ने उस समस्या को पहचाना है, जिसे अक्सर आधुनिक शिक्षा की चमक-दमक में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाल में जिला प्रशासन ने स्कूलों को स्क्रीन-टाइम सीमित करने तथा प्राथमिक कक्षाओं में स्मार्ट/डिजिटल बोर्ड के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की सलाह दी है। प्राथमिक कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड के उपयोग को प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट तक सीमित करने, ऑनलाइन सत्रों में 20-20-20 नियम अपनाने, बच्चों की आंखों की नियमित जांच कराने और डिजिटल-मुक्त समय बढ़ाने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। यह आदेश केवल स्क्रीन की अवधि घटाने का प्रशासनिक निर्देश भर नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है—तकनीक शिक्षा की सहायक हो सकती है, शिक्षा का पर्याय नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बच्चों के लिए डिजिटल वातावरण को लेकर इसी संतुलन की आवश्यकता पर जोर देता है। जुलाई 2026 की एक टिप्पणी में WHO ने कहा कि डिजिटल तकनीकें सीखने के अवसर बढ़ा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक डिजिटल संपर्क नींद, शारीरिक सक्रियता, सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अर्थात् समस्या मोबाइल या डिजिटल बोर्ड का अस्तित्व नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब सुविधा को आवश्यकता और आवश्यकता को अनिवार्यता बना दिया जाता है।

ब्लैकबोर्ड पुराना हो सकता है, अप्रासंगिक नहीं

शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है।



शिक्षक का काम केवल अध्याय समाप्त करना भी नहीं है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चे की आंखों में झांककर उसकी समझ को पढ़ता है, उसके सवाल को पकड़ता है, उसकी झिझक तोड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यपुस्तक से बाहर जाकर जीवन का पाठ पढ़ाता है। ब्लैकबोर्ड पर शिक्षक का हाथ चलना और उसी के साथ बच्चे का सवाल पूछना—यह केवल पुरानी पद्धति नहीं, शिक्षा का मानवीय संवाद है। डिजिटल स्क्रीन चित्र दिखा सकती है, वीडियो चला सकती है, प्रस्तुति समझा सकती है; लेकिन वह शिक्षक की संवेदना, बच्चे की जिज्ञासा और कक्षा के जीवंत संवाद का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती। इसलिए पुराने साधनों को सिर्फ इसलिए खारिज करना कि वे पुराने हैं और नए साधनों को सिर्फ इसलिए स्वीकार करना कि वे डिजिटल हैं—दोनों ही अतिवाद हैं।

बच्चों के हाथ में मोबाइल—किसकी जिम्मेदारी?

सबसे गंभीर प्रश्न यहां अभिभावकों का है। जिस बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनने के लिए मां-बाप दिनभर संघर्ष कर रहे हैं, यदि उसी बच्चे को स्कूल की ओर से प्रतिदिन मोबाइल-आधारित गतिविधियां, गृहकार्य और अध्ययन सामग्री मिल रही है तो अभिभावकों की लड़ाई आधी नहीं, बल्कि कई गुना कठिन हो जाती है। क्योंकि बच्चे के लिए मोबाइल पढ़ाई और मनोरंजन के बीच कोई

दीवार नहीं खड़ी करता।

होमवर्क देखने के बहाने गेम खुल सकता है। अध्ययन सामग्री देखने के बाद वीडियो चल सकती है। कक्षा समाप्त होने के बाद वही स्क्रीन मनोरंजन का माध्यम बन सकती है। और बच्चा शायद ही यह अंतर हमेशा समझ पाए कि स्क्रीन कब शिक्षा है और कब उसका ध्यान भटकाने वाला माध्यम। भारतीय बालरोग विशेषज्ञों द्वारा तैयार डिजिटल वेलनेस संबंधी दिशानिर्देशों में भी भारतीय बच्चों में कम उम्र से स्क्रीन एक्सपोजर और अत्यधिक स्क्रीन टाइम को व्यापक समस्या बताया गया है तथा स्क्रीन समय को सीमित करने पर जोर दिया गया है। इसलिए विद्यालयों को यह प्रश्न स्वयं से पूछना होगा—क्या हर वह कार्य, जिसे मोबाइल से कराया जा सकता है, मोबाइल से कराया जाना भी चाहिए? उत्तर शायद 'नहीं' है।

डिजिटल शिक्षा हो, डिजिटल निर्भरता नहीं

तकनीक को शिक्षा से बाहर करना समाधान नहीं है। आज की दुनिया में डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। बच्चे को तकनीक से परिचित होना ही चाहिए। लेकिन डिजिटल दक्षता और डिजिटल निर्भरता में जमीन-आसमान का अंतर है। बच्चे को तकनीक चलाना सिखाना शिक्षा है। हर काम के लिए तकनीक पर निर्भर बना देना सुविधा है। और सुविधा को आदत बना देना भविष्य की समस्या हो सकती है। WHO की स्कूल स्वास्थ्य संबंधी

गाइडलाइन भी स्कूलों को केवल ज्ञान देने वाली जगह नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, सामाजिक-भावनात्मक विकास और स्वस्थ व्यवहार की नींव रखने वाली संस्था मानती है।

यही वह बिंदु है जहां स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावक—तीनों की जिम्मेदारी एक साथ सामने आती है।

स्कूल को मोबाइल-मुक्त नहीं, विवेकपूर्ण बनाना होगा

समाधान यह नहीं कि डिजिटल बोर्ड उखाड़ दिए जाएं या मोबाइल को शिक्षा से पूरी तरह निष्कासित कर दिया जाए। समाधान यह है कि स्क्रीन का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार हो, आदत के अनुसार नहीं।

- जहां ब्लैकबोर्ड से काम चल सकता है, वहां स्क्रीन क्यों?
- जहां शिक्षक पांच मिनट में समझा सकता है, वहां दस मिनट का वीडियो क्यों?
- जहां बच्चे कॉपी में लिखकर सीख सकते हैं, वहां मोबाइल पर गृहकार्य क्यों?

- जहां मैदान में गतिविधि हो सकती है, वहां स्क्रीन पर गतिविधि क्यों?
- शिक्षा व्यवस्था को यह सरल-सा सिद्धांत अपनाना होगा—पहले बच्चे की जरूरत, फिर तकनीक की सुविधा।
- कक्षा में डिजिटल बोर्ड हो, लेकिन पूरी कक्षा डिजिटल न हो।
- मोबाइल शैक्षिक संसाधन हो, लेकिन शिक्षा का अनिवार्य माध्यम न हो।
- तकनीक शिक्षक की मदद करे, शिक्षक की जगह न ले।

असली सुधार स्क्रीन घटाने से आगे है

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की पहल को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह केवल आंखों की सुरक्षा का विषय नहीं है। यह बच्चों के बचपन को बचाने का प्रश्न भी है।

बच्चे को किताब चाहिए, लेकिन केवल किताब नहीं।

उसे शिक्षक चाहिए, लेकिन केवल शिक्षक नहीं। उसे तकनीक चाहिए, लेकिन केवल तकनीक नहीं।

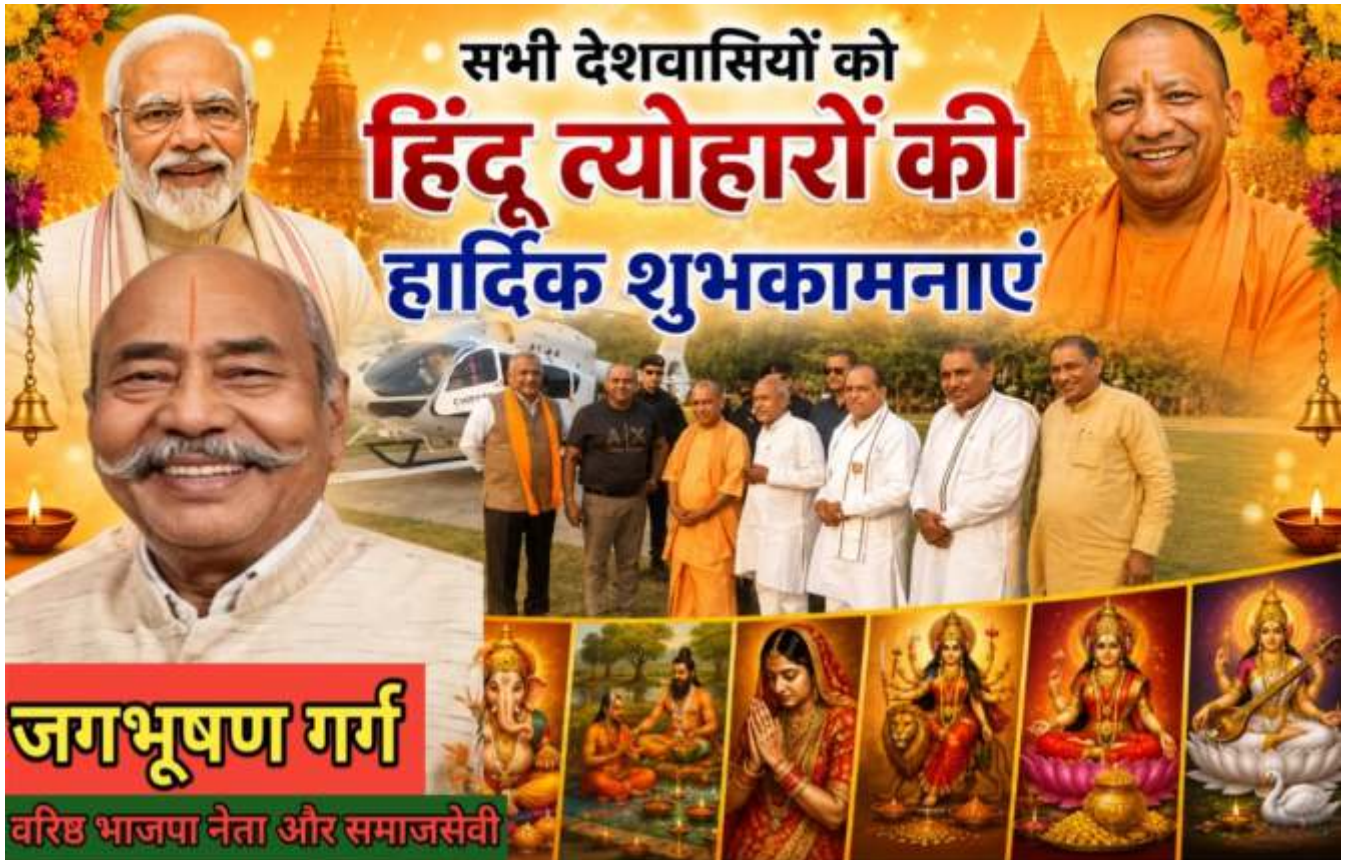
उसे सबसे ज्यादा चाहिए—समय, संवाद, खेल, जिज्ञासा और वास्तविक दुनिया से जुड़ने का अवसर।

स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ज्ञान तेज हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, रंगीन हो सकता है; मगर हर चमक ज्ञान नहीं होती।

कोविड ने हमें सिखाया कि संकट के समय तकनीक शिक्षा की जीवनेरेखा बन सकती है। अब सामान्य समय हमें यह सिखाने की मांग कर रहा है कि जीवनेरेखा को जीवनशैली नहीं बनाया जा सकता। महामारी के दौरान हमने बीमारी से बचने के लिए जो उपाय अपनाया था, उसे महामारी के बाद भी उपचार समझते रहना कहीं बीमारी को उपचार समझने की भूल तो नहीं?

शायद अब समय आ गया है कि स्कूलों की कक्षाओं में डिजिटल स्क्रीन की रोशनी के साथ-साथ ब्लैकबोर्ड की सादगी, शिक्षक के संवाद और बच्चे के बचपन की रोशनी भी बराबर दिखाई दे।

अंततः तकनीक शिक्षा को समृद्ध करे, बच्चे को स्क्रीन का बंदी न बनाए। ■





गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आयोजित कर रहा है आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के भूखण्डों की भव्य नीलामी



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनिस्तारित/रिक्त/नवसृजित विभिन्न श्रेणी के व्यवसायिक/आवासीय भूखण्डों के साथ-साथ कन्वीनियन्ट शॉपिंग भूखण्ड, दुकान भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, ओल्ड एज होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल भूखण्ड इत्यादि एवं ब्रिज विहार स्थित सामुदायिक केन्द्र को संचालन अनुज्ञप्ति (लाईसेंस डीड) के आधार पर विक्रय किये जाने की नीलामी में निम्न सम्पत्तियां सम्मिलित की गयी है:-

नीलामी दिनांक: 07.09.2026 नीलामी स्थल- हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद समय:- प्रातः 11:00 बजे से

आवेदन प्रारम्भ की तिथि 05-08-2026 से 02-09-2026 तक

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार
1	इन्दिरापुरम योजना न्यायखण्ड-1	27 व्यवसायिक भूखण्ड
2	इन्दिरापुरम योजना अभयखण्ड	01 व्यवसायिक भूखण्ड
3	इन्दिरापुरम विस्तार ब्लॉक-ए	19 आवासीय भूखण्ड, 2 व्यवसायिक भूखण्ड
4	इन्दिरापुरम विस्तार ब्लॉक-बी	05 आवासीय भूखण्ड
5	इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड-4	1 बथरूम भूखण्ड
6	इन्दिरापुरम योजना ज्ञानखण्ड-3	1 दुकान भूखण्ड, 1 आवासीय भूखण्ड
7	वैशाली योजना सैक्टर-3	1 सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड
8	वैशाली योजना सैक्टर-6	1 सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, 1 ओल्ड एज होम भूखण्ड
9	कौशाम्बी योजना	01 व्यवसायिक भूखण्ड,
10	कर्पूरीपूरम योजना	01 होटल भूखण्ड, 1 ओल्ड एज होम भूखण्ड
11	अन्वेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सैक्टर	09 व्यवसायिक भूखण्ड,
12	यू०पी० बार्डर पॉकेट ए	02 दुकान भूखण्ड
13	इन्दिरापुरम योजना ज्ञान खण्ड-2	1 आवासीय भूखण्ड
14	कोयल एन्क्लेव योजना	1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, 1 व्यवसायिक भूखण्ड

प्रस्तावित शैक्षिक संस्थाओं एवं चिकित्सा संस्थाओं के भूखण्डों का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार
1	कोयल एन्क्लेव योजना	2 प्राइमरी/नर्सरी स्कूल भूखण्ड, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 हेल्थ सेंटर भूखण्ड,
2	इन्दिरापुरम न्यायखण्ड-1	1 हॉस्पिटल भूखण्ड
3	वैशाली योजना सैक्टर-6	1 हेल्थ सेंटर भूखण्ड
4	कौशाम्बी योजना	1 प्राइमरी स्कूल भूखण्ड

लीज/अनुबन्ध पर संचालन किये जाने हेतु प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	सामुदायिक केन्द्र की लोकेशन
1	ब्रज विहार MIG/HIG	MIG/HIG के बीच स्थित

नोट: उपरोक्त प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या अनुमानित है, जो घट-बढ़ सकती है, जिसकी सूचना प्राधिकरण वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्त सम्पत्तियों के सापेक्ष नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर दिनांक 05-08-2026 से 02-09-2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किये जायेगे तथा ऑफलाइन आवेदन हेतु एच०डी०एफ०सी० बैंक लि० की मुख्य शाखा-आर०डी०सी० राजनगर, जनपद-गाजियाबाद से निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) प्राप्त/जमा किये जाने है, जिसके अनुसार प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07-09-2026 को प्रस्तावित सम्पत्तियों की नीलामी लोहियानगर, गाजियाबाद स्थित हिन्दी भवन में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की जायेगी।

विवेक कुमार मिश्र

पी०सी०एस०
सचिव गा.वि.प्रा.

नन्द किशोर कलाल

आई०ए०एस०
उपाध्यक्ष गा.वि.प्रा.



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)
वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

विकास फव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384

ई-मेल: help@gdga@gmail.com

कार्डरएप: 9990988004

f @Gda Ghaziabad

gdagzb

वर्दी, फिरौती और जवाबदेही के बीच गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिशनरेट की परीक्षा

29 लाख की फिरौती कांड में अपराधियों का दुस्साहस, पुलिस का गुडवर्क और शिकायत पर हुई
लापरवाही—एक ही घटनाक्रम में व्यवस्था के कई चेहरे

गौ

तमबुद्ध नगर देश के सबसे हाईटेक और हाई-प्रोफाइल जिलों में गिना जाता है। चमकती इमारतों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आधुनिक सोसायटियों, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई गिरोह पुलिस और जीएसटी अधिकारी की वर्दी का इस्तेमाल कर एक नागरिक का अपहरण कर उससे 29 लाख रुपये की फिरौती वसूल ले और उसकी शिकायत समय पर गंभीरता से न सुनी जाए, तो मामला केवल अपराध का नहीं रह जाता। यह पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल बन जाता है। जीएसटी सलाहकार संदीप कुमार से 29 लाख रुपये की फिरौती का मामला इसी वजह से महत्वपूर्ण है। इसमें सुनियोजित साजिश, सरकारी वर्दी और संस्थागत पहचान का दुरुपयोग, महीनों की निगरानी, फिरौती की वसूली, पुलिस की तकनीकी जांच, पालतू कुत्ते सिज्जू से मिला अहम सुराग और शिकायत पर कथित लापरवाही—व्यवस्था के कई चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं।

पहले समझिए, क्या हुआ?

बिसरख क्षेत्र की एगिन रॉयल सोसायटी में रहने वाले संदीप कुमार को 20 जुलाई को निशाना बनाया गया। मुख्य आरोपित ईशु उर्फ कशिश चौहान संदीप को पहले से जानता था और करीब छह महीने पहले साथियों के साथ मिलकर उससे मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई थी। 20 जुलाई को संदीप अपनी कार में पालतू कुत्ते सिज्जू के साथ निकले। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस एस्पायर सोसायटी के पास आरोपितों ने उनकी कार रोक ली। पुलिस के मुताबिक ईशु ने दारोगा की वर्दी पहन रखी थी और खुद को जीएसटी अधिकारी बताते हुए संदीप को जीएसटी अभिलेखों और ई-वे बिल में गड़बड़ी का हवाला देकर जेल भेजने की धमकी दी। उन्हें लखनऊ ले जाने की बात कहकर रास्ते में घुमाया गया। जेवर टोल पार करने के बाद संदीप को खतरे का अंदाजा हुआ। आरोपितों ने 50 लाख रुपये मांगे, लेकिन 29 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। पुलिस के अनुसार भाई ने बल्लभगढ़ से आकर चांदनी चौक के अगड़िया के माध्यम से रकम पहुंचाई, जिसके बाद संदीप को छोड़ दिया गया।

सिज्जू को इस दौरान दूसरी कार में ले जाया गया—और यही बाद में जांच की महत्वपूर्ण कड़ी बना।

शिकायत से गिरफ्तारी तक 19 दिन का सवाल

घटना के बाद संदीप ने पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत की। सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 19 दिनों में उन्होंने लगभग छह बार शिकायत की, लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। छह अगस्त को आईजीआरएस पर की गई शिकायत को भी कथित रूप से निराधार बताते हुए निस्तारित कर दिया गया।

जब पीड़ित ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी आपबीती और पुलिस की कथित लापरवाही सामने रखी, तब आठ अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ और जांच ने गति पकड़ी। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—यदि पहली शिकायत को ही गंभीरता से लिया गया होता, तो क्या पुलिस अपराधियों तक पहले पहुंच सकती थी?

ऐसे पुलिस के हाथ अहम साक्ष्य

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक वाहन में सिज्जू दिखाई दिया, जिसे आरोपित अपहरण के दौरान दूसरी कार में ले गए थे। पुलिस ने वाहन की पहचान की, नंबर ट्रेस किया और इसी कड़ी से आरोपितों तक पहुंच बनाई। अपराधियों ने जिस कुत्ते को दूसरी कार में ले जाकर मुख्य घटना से दूर रखने की कोशिश की, वही पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गया। यह प्रसंग बताता है कि अपराध जांच में मामूली दिखने वाला दृश्य भी निर्णायक साबित हो सकता है।

पांच गिरफ्तार, बड़ी बरामदगी

बिसरख पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपित ईशु उर्फ कशिश चौहान यशोभूमि, द्वारका में डीसीपीओ के पद पर कार्यरत है। अन्य आरोपितों में दिल्ली सिविल डिफेंस से जुड़े व्यक्ति तथा निजी काम करने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने 24.50 लाख रुपये नकद,



करीब साढ़े चार लाख रुपये के गहने, दो कार, सब इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगो वाली वर्दी और सात मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया है। दो अन्य आरोपितों के फरार होने की बात भी सामने आई है।

सबसे गंभीर बात—वर्दी का अपराध में इस्तेमाल

इस घटना का सबसे गंभीर पक्ष केवल 29 लाख रुपये की फिरौती नहीं है। बड़ा खतरा यह है कि अपराधियों ने कानून के प्रतीकों को ही अपराध का हथियार बना लिया। आम नागरिक पुलिस की वर्दी देखकर रुकता है, सरकारी अधिकारी का नाम सुनकर दस्तावेज दिखाता है और कानूनी कार्रवाई की बात से भयभीत होता है। अपराधियों ने इसी विश्वास का इस्तेमाल किया। वर्दी यहां केवल कपड़ा नहीं थी; वह विश्वास की नकली मुहर थी। यदि अपराधी हथियार दिखाकर लूटता है तो नागरिक अपराधी और पुलिस में फर्क कर सकता है। लेकिन जब अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की भाषा बोलता है, तो वह उस विश्वास पर हमला करता है जो किसी भी सभ्य व्यवस्था की बुनियाद है।

पुलिस का गुडवर्क महत्वपूर्ण, लेकिन शुरुआती चूक भी

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी, वाहनों, मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर गिरोह तक पहुंच बनाई। पांच गिरफ्तारियां और बड़ी बरामदगी निश्चित रूप से पुलिस की उपलब्धि है। सिज्जू से जुड़ा सीसीटीवी

सुराग जांच की क्षमता का उल्लेखनीय उदाहरण है। लेकिन अच्छा गुडवर्क शुरुआती लापरवाही को स्वतः समाप्त नहीं कर देता। पुलिस कमिश्नर द्वारा बिसरख प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जाना इसी जवाबदेही का महत्वपूर्ण अध्याय है। शिकायत पर कथित लापरवाही और आईजीआरएस के निस्तारण में गंभीरता की कमी पर हुई कार्रवाई यह संदेश देती है कि अपराधी की तरह पुलिस की कार्यप्रणाली की जवाबदेही भी जरूरी है। गंभीर अपराध की शिकायत में देरी केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं हो सकती। ऐसी देरी अपराधी के लिए अवसर और पीड़ित के लिए अतिरिक्त जोखिम बन सकती है।

हाईटेक जिले में पुलिसिंग भी हाईटेक हो

गौतमबुद्ध नगर की सामाजिक और आर्थिक संरचना तेजी से बदल रही है। यहां लाखों लोग रोजाना आवागमन करते हैं, हजारों बहुमंजिला सोसायटियां, कॉर्पोरेट कार्यालय, औद्योगिक इकाइयां और एक्सप्रेसवे हैं। स्वाभाविक है कि अपराधी भी अपने तरीके बदलेंगे। अब अपराधी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सकता है, उसकी दिनचर्या पर नजर रख सकता है, डिजिटल माध्यमों से जानकारी जुटा सकता है और सरकारी पहचान का नकली रूप खड़ा कर सकता है। ऐसे में सीसीटीवी, डिजिटल साक्ष्य, वाहन ट्रैकिंग, मोबाइल डेटा, वित्तीय लेन-देन और त्वरित शिकायत प्रतिक्रिया आधुनिक पुलिसिंग के आवश्यक हिस्से हैं।

लेकिन तकनीक से पहले संवेदनशीलता जरूरी है। पीड़ित की आवाज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नहीं, पुलिस के दरवाजे पर पहुंचते ही सुनी जानी चाहिए। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा संस्थागत सबक है।

आरोप कुछ भी हों, कानून का रास्ता अलग है

पुलिस के अनुसार आरोपितों को संदीप के जीएसटी अभिलेखों और बिलों से जुड़ी कथित आर्थिक गतिविधियों की जानकारी थी। इन आरोपों की सच्चाई का निर्धारण संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी कानून का उल्लंघन किया है तो विभागीय जांच हो सकती है। कर चोरी है तो कार्रवाई होगी। दस्तावेज फर्जी हैं तो मुकदमा होगा। लेकिन नकली अधिकारी बनकर अपहरण करना और फिरौती वसूलना किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। कानून का शासन इसी अंतर पर टिका है।

इस घटना से क्या सीखना चाहिए?

इस मामले को केवल 'पांच अपराधी गिरफ्तार' की खबर बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। इससे व्यवस्था को कुछ स्पष्ट सबक लेने चाहिए—

- - गंभीर शिकायत को प्रारंभिक स्तर पर ही

जोखिम के नजरिए से देखा जाए।

- - आईजीआरएस जैसी शिकायत प्रणाली केवल आंकड़े पूरे करने का माध्यम न बने।
- - शिकायत पर कार्रवाई की स्पष्ट जवाबदेही तय हो।
- - हाईटेक जिले में अपराध जांच भी हाईटेक और समयबद्ध हो।
- - सरकारी वर्दी, पहचान-पत्र और संस्थागत प्रतीकों के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाए।
- - पुलिस का गुडवर्क तभी पूर्ण माना जाए, जब शिकायतकर्ता को शुरुआत से अंत तक व्यवस्था पर भरोसा मिले।
- अंततः वर्दी का सम्मान गिरफ्तारी से नहीं, विश्वास से बचता है

29 लाख की फिरौती का यह मामला गौतमबुद्ध नगर के लिए केवल एक आपराधिक घटना नहीं है। यह बदलते अपराध और बदलती पुलिसिंग की जरूरतों का संकेत भी है। इसमें अपराधियों का दुस्साहस है, जिन्होंने पुलिस और जीएसटी अधिकारी की पहचान का इस्तेमाल किया। पीड़ित की विवशता है, जिसे अपनी ही कार में बैठाकर लाखों रुपये देने को मजबूर किया गया। पुलिस की सफलता है, जिसने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी बरामदगी की और सिज्जू से जुड़े सुराग को जांच की कड़ी बनाया। लेकिन साथ ही पुलिस की कथित शुरुआती चूक भी है, जिसके कारण तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए निष्कर्ष केवल यह नहीं हो सकता कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। असली निष्कर्ष इससे बड़ा है—अपराधी पकड़े जाना पुलिस की सफलता है, लेकिन अपराध की आशंका वाली शिकायत को समय पर पकड़ लेना पुलिस की उससे भी बड़ी सफलता है। गौतमबुद्ध नगर जैसे हाई-प्रोफाइल जिले में पुलिस की परीक्षा केवल गिरफ्तारियों की संख्या से नहीं होनी चाहिए। परीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि संकट में पड़ा नागरिक पुलिस तक कितनी आसानी से पहुंचता है, उसकी बात कितनी गंभीरता से सुनी जाती है और शिकायत के बाद कार्रवाई कितनी तेजी से होती है।

क्योंकि अंततः वर्दी की असली ताकत उसके रंग में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। और विश्वास की रक्षा अपराधी को पकड़ने से पहले शिकायतकर्ता को सुनने से होती है। 29 लाख की इस फिरौती कांड में सिज्जू पुलिस के लिए सुराग बना; अब यह घटना पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक सुराग बननी चाहिए—अपराधी कहां चूक रहे हैं, यह जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह समझना भी जरूरी है कि व्यवस्था कहां चूक रही है। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबक है। ■





यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के सुनहरे भविष्य पर लगी मुहर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 17 अगस्त 2026 को हुई 92वीं बोर्ड बैठक को महज योजनाओं की स्वीकृति वाली बैठक मानना उसके व्यापक प्रभाव को सीमित करके देखना होगा। बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि यीडा अब केवल औद्योगिक भूखंड विकसित करने वाली संस्था नहीं रह गया है, बल्कि वह एक ऐसे बहुआयामी आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सा, शैक्षिक और शहरी विकास क्षेत्र की आधारशिला रख रहा है, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुनाई दे सकती है। बैठक के निर्णयों को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। एक ओर 500 एकड़ में मेडिकल हब, 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 300 एकड़ में ताइवान सिटी और 100 से 125 एकड़ में फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की परिकल्पना है, तो दूसरी ओर लगभग 50 एकड़ में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, 36 एकड़ में मंडी

तथा नोएडा एयरपोर्ट के निकट अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्णय है। यानी विकास का खाका केवल उद्योग तक सीमित नहीं, बल्कि उद्योग से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और परिवहन तक एक समग्र आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है।

मजबूत होती आर्थिक नींव

यीडा के वित्तीय आंकड़े भी इस बदलते परिदृश्य की कहानी कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 जुलाई तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां 974.37 करोड़ रुपये थीं, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी अवधि तक बढ़कर 1,853.74 करोड़ रुपये हो गईं। यह करीब 90.25 प्रतिशत की वृद्धि है। औद्योगिक एवं मिश्रित भू-उपयोग योजनाओं से अकेले 1,195.99 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई, जो पूरे वर्ष के इस मद में निर्धारित बजट का 86.17 प्रतिशत है।

खर्च का बढ़ना भी इसी विकास-गति का दूसरा पहलू है। पिछले वर्ष 31 जुलाई तक 1,308.57 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में 3,690.64 करोड़

रुपये का व्यय हुआ। विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी पर इस अवधि में 3,371 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका सीधा संकेत है कि प्राधिकरण अब योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर भूमि, बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी लगा रहा है।

500 एकड़ का मेडिकल हब बदलेगा क्षेत्र की पहचान

सेक्टर-13 और सेक्टर-14 में 500 एकड़ भूमि पर मेडिकल हब स्थापित करने का निर्णय यीडा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। यह परियोजना नोएडा एयरपोर्ट के आसपास उभर रही नई अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ने की क्षमता रखती है। मेडिकल हब का अर्थ केवल अस्पतालों का निर्माण नहीं होगा। इसके साथ चिकित्सा शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा उपकरण, औषधि उद्योग और संबद्ध सेवाओं का बड़ा नेटवर्क विकसित होने की संभावना है। यदि इसे सुनियोजित ढंग से

क्रियान्वित किया गया तो यीडा क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख मेडिकल-इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में अपनी अलग पहचान बना सकता है।

300 एकड़ की ताइवान सिटी—तकनीकी निवेश का नया द्वार

सेक्टर-6 में ताइवान आधारित उद्योगों के लिए 300 एकड़ भूमि आरक्षित करने का निर्णय यीडा की औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विनिर्माण के क्षेत्र में ताइवान की वैश्विक भूमिका को देखते हुए यह परियोजना निवेश, तकनीक और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। यदि प्रस्तावित ताइवान सिटी में वैश्विक कंपनियों के साथ उनके आपूर्तिकर्ता, सहायक उद्योग, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास संस्थान भी विकसित होते हैं, तो इसका प्रभाव केवल कुछ औद्योगिक भूखंडों तक सीमित नहीं रहेगा। यह क्षेत्र वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति शृंखला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।

फार्मा क्लस्टर से 'मेक इन इंडिया' को नई धार

सेक्टर-6 में लगभग 100 से 125 एकड़ भूमि पर फार्मास्युटिकल फॉर्मेशन मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का निर्णय भी दूरगामी महत्व रखता है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड, टॉपिकल प्रिपेरेशन और अन्य फिनिश डोजेज फॉर्म के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को औषधि विनिर्माण की वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ने की क्षमता रखती है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आने से निवेश और रोजगार के साथ निर्यात क्षमता बढ़ सकती है। यह परियोजना यीडा को केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि फार्मा मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सुविधा: आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

मेडिकल डिवाइस पार्क में एफडीए व्यवस्था के अनुरूप मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सुविधा स्थापित करने तथा तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत पहलुओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय विशेष उल्लेखनीय है।

आज भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए कई बार विदेश स्थित प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण सुविधा यीडा में उपलब्ध होने पर देश के चिकित्सा उपकरण उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिल

सकता है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत केवल उत्पादन करने से नहीं, बल्कि परीक्षण, प्रमाणन और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को देश के भीतर उपलब्ध कराने से पूरा होगा।

यूनिवर्सिटी टाउनशिप, आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम और आधुनिक मंडी के रूप में शिक्षा, खेल और कृषि के लिए विकास की तस्वीर में तीन नए रंग सेक्टर-14 में 480 एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सेक्टर-23डी में लगभग 50 एकड़ में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और सेक्टर-34 में लगभग 36 एकड़ में मंडी की योजना यीडा के विकास मॉडल को व्यापक बनाती है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप उच्च शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभर सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ क्षेत्र में खेल-आधारित अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। वहीं आधुनिक मंडी कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन, भंडारण और वितरण की दिशा में किसानों के लिए उपयोगी आधारभूत संरचना बन सकती है। इस तरह औद्योगिक विकास के साथ ज्ञान, खेल और कृषि अर्थव्यवस्था को समानांतर गति देने की कोशिश दिखाई देती है।

एयरपोर्ट के पास अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा

नोएडा एयरपोर्ट के निकट सेक्टर-23सी में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्णय भी आने वाले समय की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया प्रतीत होता है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र और बस परिवहन के बीच बेहतर संपर्क क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बना सकता है। नोएडा एयरपोर्ट के परिचालन के विस्तार के साथ यात्रियों, कर्मचारियों, उद्यमियों और आसपास के जिलों से आने-जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बस अड्डे की योजना एयरपोर्ट-केंद्रित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है।

करबन नदी पर पुलिया: छोटा फैसला, बड़ा स्थानीय असर

आगरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे की चेनज 161.21 पर सर्विस रोड पर करबन नदी के ऊपर कलवर्ट/माइनर ब्रिज निर्माण को मंजूरी देना स्थानीय स्तर पर अत्यंत उपयोगी निर्णय है। बरसात में जलभराव के कारण सर्विस रोड पर आवागमन प्रभावित होने की समस्या से स्थानीय नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि बड़े औद्योगिक निवेश के साथ छोटी लेकिन जरूरी स्थानीय आधारभूत सुविधाएं भी विकास का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

किसानों के लिए भूमि दरों में वृद्धि—सबसे

संवेदनशील फैसला

यीडा बोर्ड द्वारा किसानों की सहमति के आधार पर भूमि क्रय दरों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव मंजूर किया जाना बैठक का सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रस्ताव के अनुसार गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर के फेज-1 क्षेत्र में नियोजित विकास के लिए आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की वर्तमान दर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर में 6 प्रतिशत वृद्धि कर 4,558 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का विकल्प रखा गया है। दूसरे विकल्प के रूप में 7 प्रतिशत आबादी भूखंड सहित 4,037 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण और विकास के बीच संतुलन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में किसानों की सहमति, उचित प्रतिफल और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन बनाना प्राथमिकता की विश्वसनीयता के लिए निर्णायक होगा।

फैसलों का असली अर्थ

92वीं बोर्ड बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यीडा अब एकल-आयामी औद्योगिक विकास से बहु-क्षेत्रीय विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। मेडिकल हब स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को, ताइवान सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को, फार्मा क्लस्टर औषधि उद्योग को, यूनिवर्सिटी टाउनशिप शिक्षा को, स्टेडियम खेल को, मंडी कृषि को और बस अड्डा परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन योजनाओं की सफलता उनकी घोषणा में नहीं, समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शी भूमि प्रबंधन, मजबूत आधारभूत ढांचे, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय लोगों की भागीदारी में निहित होगी। यीडा के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि बोर्ड टेबल पर लिए गए फैसले जमीन पर कितनी तेजी, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ उतरते हैं। कुल मिलाकर 92वीं बोर्ड बैठक को यीडा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जा सकता है। यदि प्रस्तावित परियोजनाएं नियोजित समय में आकार लेती हैं, तो आने वाले वर्षों में यीडा क्षेत्र की पहचान केवल यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, फार्मा, विनिर्माण, खेल और आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्था के एकीकृत केंद्र के रूप में होगी। अंत में, 92वीं बोर्ड बैठक में केवल प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली—यीडा के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा पर मुहर लगी है। अब असली सवाल मुहर का नहीं, उसे जमीन पर उतारने की रफ्तार और गुणवत्ता का है। ■

नोएडा एयरपोर्ट पर जलभराव की घटना आपदा में अवसर या राजनीति का जलभराव?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर—सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की बड़ी उम्मीदों का प्रतीक है। इसलिए इसकी पार्किंग और टर्मिनल को जोड़ने वाले हिस्से में बारिश का पानी भरना महज एक तकनीकी घटना नहीं रहा। कुछ ही घंटों में यह मुद्दा इंजीनियरिंग से राजनीति, राजनीति से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—पानी कितना भरा था, उससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद सच कितना बचा और राजनीति कितनी बढ़ गई? हाल की तेज बारिश के बाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग में अस्थायी जलभराव हुआ। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि पानी लगभग 30 मिनट में निकाल दिया गया और उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी ओर, इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद जलनिकासी व्यवस्था और निर्माण की तैयारी पर सवाल उठे।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को राजनीतिक हथियार बनाते हुए सरकार पर तंज कसा। भाजपा और स्थानीय सत्ता पक्ष ने इसे विकास परियोजना को बदनाम करने की कोशिश बताया। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी मौके का निरीक्षण कर जलनिकासी व्यवस्था में V trkrs gq, uks, Mk baVjus'kuy ,;jiksVZ dks ysdj foi{k ij loky mBk,l स्थानीय सांसद डॉ महेश शर्मा ने भी इसकी परियोजना को बदनाम करने की साजिश बताया।

असल सवाल पानी नहीं, जवाबदेही का है

किसी भी बड़े सार्वजनिक अथवा रणनीतिक बुनियादी ढांचे की असली परीक्षा उसके उद्घाटन समारोह में नहीं, बल्कि पहली कठिन परिस्थिति में होती है। बारिश ने एयरपोर्ट को इसी कसौटी पर

परखा। यदि जलभराव कुछ समय के लिए हुआ और तत्काल पानी निकाल दिया गया, तो इसे पूरे एयरपोर्ट की विफलता कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन यह भी उतना ही गलत होगा कि जलभराव को केवल विपक्ष की राजनीति कहकर तकनीकी सवालों को खारिज कर दिया जाए। क्योंकि बाद की रिपोर्टों में एयरपोर्ट के जलनिकासी ढांचे में बदलाव की बात सामने आई है। जल निकासी शाफ्ट को चौड़ा करने और भू-दृश्य संरचना में बदलाव की योजना बताई गई है, ताकि भविष्य में पानी के प्रवाह और निकासी को बेहतर किया जा सके। अर्थात् समस्या को पूरी तरह काल्पनिक बताना भी सही नहीं और उसे पूरे एयरपोर्ट की तबाही का प्रमाण मान लेना भी। यही

वह संतुलन है जिसकी सार्वजनिक विमर्श में सबसे अधिक जरूरत है।

अखिलेश की राजनीति: सवाल जरूरी, भाषा भी जिम्मेदार

यह बात सही है कि विपक्ष का काम सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि उसकी कमियों पर सवाल उठाना है। जेवर एयरपोर्ट जैसी हजारों करोड़ रुपये की परियोजना में यदि जलभराव होता है तो विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल और निष्कर्ष में फर्क होता है। बारिश के बाद किसी हिस्से में पानी भरना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। इसके लिए निर्माण मानकों, वर्षा की तीव्रता,



जलनिकासी क्षमता, डिजाइन, रखरखाव और परियोजना की तकनीकी स्वीकृतियों की जांच आवश्यक है। राजनीतिक आरोप जांच का विकल्प नहीं हो सकता।

अखिलेश यादव के लिए यह घटना सरकार पर निशाना साधने का राजनीतिक अवसर हो सकती है, लेकिन जनता के लिए यह उससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर डिजाइन में क्या हुआ, पानी क्यों रुका और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए क्या स्थायी उपाय किए गए? भाजपा का बचाव भी आधा सच नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष के पास भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार पानी असाधारण बारिश के बाद जमा हुआ और लगभग आधे घंटे में निकाल दिया गया तथा उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ, तो इसे तथ्य के रूप में सामने रखना चाहिए। लेकिन सरकार या उसके समर्थकों के लिए सबसे मजबूत जवाब राजनीतिक पलटवार नहीं, तकनीकी पारदर्शिता होगी। जनता को बताया जाना चाहिए कि कितनी बारिश हुई थी? जलभराव किस हिस्से में हुआ? पानी कितनी देर तक जमा रहा? जलनिकासी

की मूल क्षमता क्या थी?

- डिजाइन में कोई कमी पाई गई या नहीं? भविष्य के लिए कौन से स्थायी सुधार किए जा रहे हैं? यदि कोई ठेकेदार अथवा एजेंसी जिम्मेदार है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?

इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो राजनीतिक शोर अपने आप छोटा पड़ जाएगा।

फर्जी वीडियो ने असली मुद्दे को कमजोर किया

इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक अध्याय सोशल मीडिया पर प्रसारित वह वीडियो है जिसे एयरपोर्ट प्रबंधन ने फर्जी बताया और जिसके आधार पर जेवर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार वीडियो के माध्यम से एयरपोर्ट की गलत छवि प्रस्तुत करने और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा कि असली घटना की आलोचना लोकतंत्र है; नकली घटना बनाकर भ्रम फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। यदि वास्तविक जलभराव का वीडियो मौजूद है तो उसे दिखाइए, सवाल पूछिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। लेकिन किसी दूसरे स्थान, पुराने दृश्य अथवा कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बताकर प्रसारित करना गलत है, जनविश्वास के साथ खिलवाड़ है। पुलिस को मामले की गहन जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए।

फर्जी वीडियो पर कार्रवाई ठीक, लेकिन असली सवाल भी जिंदा रहें

यहां सबसे जरूरी यही है कि फर्जी वीडियो के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को असली जलभराव पर सवालों का अंत नहीं बनने दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत सामग्री फैलाता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करे। लेकिन उसी के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि वास्तविक घटना, उसके कारण और उसके समाधान पर स्वतंत्र सवाल पूछने वालों को संदेह की निगाह से न देखा जाए। लोकतंत्र में दोनों चीजें साथ-साथ चलती हैं—

फर्जी सूचना पर कार्रवाई और वास्तविक कमियों पर जवाबदेही। इनमें से किसी एक को चुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है।

बारिश ने सिर्फ पार्किंग नहीं, व्यवस्था की परीक्षा ली

एयरपोर्ट देश की प्रतिष्ठित परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इसलिए यहां छोटी से छोटी कमी भी सामान्य सड़क या सामान्य भवन की कमी नहीं मानी जाएगी। जितना बड़ा दावा, उतनी बड़ी कसौटी। एयरपोर्ट की पहली बड़ी बारिश ने कम से कम इतना तो बता दिया कि जल प्रबंधन को लेकर सुधार की गुंजाइश है। बाद में जलनिकासी शाफ्ट और लैंडस्केपिंग में बदलाव की खबर इसी दिशा में संकेत करती है। इसलिए इस घटना से सरकार को शर्मिंदा होने के बजाय सीख लेने की जरूरत है और विपक्ष को राजनीतिक लाभ लेने के बजाय सवालों को तथ्यपरक रखने की। क्योंकि जनता को न तो सरकार की अंधी प्रशंसा चाहिए और न विपक्ष की अंधी आलोचना। उसे चाहिए—काम सही हो, कमी हो तो स्वीकार हो और गलती हो तो जिम्मेदारी तय हो।

जेवर का पानी कहीं राजनीति का स्थायी दलदल न बन जाए

जेवर एयरपोर्ट की कहानी अभी लंबी है। यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और कनेक्टिविटी को बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए इसके बारे में हर खबर केवल राजनीतिक चश्मे से देखना खतरनाक होगा। यदि बारिश में पानी भरता है तो इंजीनियरिंग सवाल पूछे जाने चाहिए।

यदि व्यवस्था 30 मिनट में पानी निकाल देती है तो उसकी क्षमता भी दर्ज होनी चाहिए। यदि डिजाइन में कमी मिलती है तो सुधार होना चाहिए। यदि किसी ने फर्जी वीडियो बनाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कोई राजनीतिक दल वास्तविक घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है तो जनता को तथ्य बताकर उसका जवाब दिया जाना चाहिए।

यही स्वस्थ लोकतंत्र है—जहां न विकास की चमक में खामियां छिपें और न राजनीति की धुंध में उपलब्धियां। जेवर एयरपोर्ट में जमा हुआ पानी आखिरकार निकल गया। अब जरूरत इस बात की है कि उस पानी के साथ विवेक न बह जाए। क्योंकि असली चुनौती एयरपोर्ट को जलभराव से बचाने की जितनी है, उतनी ही जनविश्वास को राजनीतिक जलभराव से बचाने की भी। अंत में, एयरपोर्ट में पानी भरना एक प्रशासनिक-तकनीकी सवाल था; उसे राजनीति में बदलना स्वाभाविक था; लेकिन उसे झूठ और प्रचार के हवाले कर देना खतरनाक है। ■





आधुनिक शहरों में जलापूर्ति की चुनौती और आने वाले कल का संकट

कभी घर छोटे थे, आँगन बड़े थे। बस्तियाँ सादगी से भरी थीं, लेकिन हवा खुली थी और पानी जीवन का सहज भरोसा। आज वही गाँव बहुमंजिला टावरों, गगनचुंबी सोसायटियों और चमकते सेक्टरों में बदल रहे हैं। शहरों का विस्तार हुआ, सुविधाएँ बढ़ीं, जीवनशैली आधुनिक हुई—लेकिन इसी विकास के बीच एक बुनियादी प्रश्न तेजी से हमारे सामने खड़ा हो रहा है: क्या आधुनिक शहर अपने नागरिकों को शुद्ध पानी और स्वच्छ हवा जैसी जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताएँ भी सुनिश्चित कर पाएँगे? ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन-3 स्थित मिसन अल्टिमो सोसायटी में दूषित पानी की शिकायत इसी बड़े प्रश्न की एक स्थानीय झलक है। शिकायत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग की टीम ने सोसायटी के पास स्थित प्राधिकरण के नलकूप से पानी का नमूना लिया। प्राथमिक जांच में टीडीएस 200 पाया गया, जबकि निर्धारित अधिकतम सीमा 500 बताई गई है। आगे की जांच के लिए सोसायटी से नमूने लेकर श्रीराम टेस्ट लैब भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोसायटी के आंतरिक जल नेटवर्क में संभावित खामी की आशंका जताते हुए प्रबंधन को पानी की टंकियों की सफाई और पाइपलाइन की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम

दृष्टा मामला चाहे प्राधिकरण की बाहरी जलापूर्ति का हो या सोसायटी के आंतरिक नेटवर्क का, असली सवाल इससे कहीं बड़ा है—आधुनिक आवासीय परिसरों में पानी की यात्रा स्रोत से नल तक कितनी सुरक्षित, वैज्ञानिक और जवाबदेह है?

टीडीएस ठीक होना, पानी के पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं

इस पूरे विषय में एक महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर समझना आवश्यक है। टीडीएस यानी टोटल डिस्सॉल्वेड सॉलिड्स (कुल घुलित ठोस पदार्थ) पानी में घुले पदार्थों की मात्रा का एक संकेतक है। कम टीडीएस निश्चित रूप से एक उपयोगी संकेत हो सकता है, लेकिन केवल टीडीएस के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पानी हर दृष्टि से पीने योग्य है। पानी की गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, रासायनिक तत्वों, भारी धातुओं, नाइट्रेट, फ्लोराइड तथा अन्य संभावित प्रदूषकों की जांच से होता है। इसलिए किसी जलापूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता का पैमाना केवल यह नहीं होना चाहिए कि “टीडीएस कितना है?”, बल्कि यह होना चाहिए कि “पानी में क्या-क्या है?” यही वह बिंदु है जहाँ शहरों की जल व्यवस्था को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

गलती किसकी है—यह सवाल महत्वपूर्ण है,

लेकिन पर्याप्त नहीं

मिसन अल्टिमो प्रकरण में यदि प्राधिकरण की ओर से सप्लाई किए गए पानी का प्राथमिक परीक्षण संतोषजनक पाया जाता है और समस्या सोसायटी के आंतरिक नेटवर्क में निकलती है, तो प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्धारण आवश्यक है। यदि समस्या बाहरी सप्लाई में है तो संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि पाइपलाइन, भूमिगत टैंक, ओवरहेड टैंक या आंतरिक वितरण व्यवस्था में खामी है तो सोसायटी प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है।

लेकिन नागरिक के लिए इन दोनों के बीच अंतर अक्सर गौण हो जाता है। नल से निकलने वाला पानी साफ है या नहीं—निवासी यही जानना चाहता है। यही कारण है कि जल सुरक्षा की व्यवस्था में जिम्मेदारियों का बँटवारा जितना स्पष्ट हो, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जवाबदेही की अंतिम रेखा का स्पष्ट होना। कहावत है—“सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।” जल व्यवस्था में यह कहावत और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ छोटी-सी लापरवाही का परिणाम सीधे हजारों लोगों के स्वास्थ्य तक पहुँच सकता है।

बहुमंजिला सोसायटियाँ: जल प्रबंधन की नई चुनौती

बहुमंजिला सोसायटियाँ: जल प्रबंधन की नई चुनौती

टंकी की सफाई से लेकर पाइपलाइन की सेहत तक

सोसायटियों में पानी की टंकियों की नियमित सफाई को अक्सर औपचारिकता मान लिया जाता है। कहीं सफाई का रिकॉर्ड है, लेकिन वास्तविक सफाई नहीं; कहीं पाइपलाइन की उम्र बढ़ती जाती है, मगर उसकी आंतरिक स्थिति की जांच नहीं होती; कहीं सीवेज और पेयजल पाइपलाइन के बीच संभावित रिसाव को समय रहते नहीं पहचाना जाता। यही छोटी-छोटी उपेक्षाएँ बड़े संकट का रूप ले सकती हैं। इसलिए प्रत्येक बड़ी सोसायटी में जल सुरक्षा ऑडिट को सामान्य रखरखाव का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसमें जलाशयों की सफाई, पाइपलाइन की स्थिति, लीकेज, बैकफ्लो, पंपिंग सिस्टम, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन और नियमित प्रयोगशाला परीक्षण शामिल होने चाहिए।

इंदौर की घटना ने दी बड़ी चेतावनी

देश के अपेक्षाकृत स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहरों में गिने जाने वाले इंदौर में दूषित पेयजल से लोगों के बीमार पड़ने और मौतों की घटना ने पूरे देश को यह याद दिलाया कि शहरी चमक-दमक और जल सुरक्षा दो अलग-अलग चीजें हैं। एक विकसित शहर की पहचान केवल चौड़ी सड़कें, सुंदर चौराहे, ऊँची इमारतें और चमकती स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। उसकी वास्तविक गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों को चौबीस घंटे सुरक्षित पानी, स्वच्छ हवा, विश्वसनीय सीवर व्यवस्था और स्वस्थ पर्यावरण कितना सुनिश्चित है। किसी शहर की असली परीक्षा उसके प्रवेश द्वार पर नहीं, उसके नागरिक के पानी के गिलास में होती है।

विकास की रफ्तार और बुनियादी ढाँचे का दबाव

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अनेक शहरों में शहरीकरण की गति अभूतपूर्व है। जहाँ कुछ दशक पहले खेत और गाँव थे, वहाँ आज सेक्टर, टाउनशिप और हाई-राइज सोसायटियाँ खड़ी हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जल, सीवर, बिजली, सड़क और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत प्रणालियाँ भी उसी गति से विकसित हुई हैं? यदि दस हजार लोगों के लिए बनाई गई जल संरचना पर भविष्य में बीस हजार लोगों का भार आ जाए, तो समस्या केवल पाइपलाइन की नहीं रहती—पूरी व्यवस्था की वहन क्षमता प्रभावित होती है। “नींव मजबूत हो तो इमारत ऊँची उठती है।”

शहरों के संदर्भ में इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है—ऊँची इमारतों से पहले मजबूत बुनियादी ढाँचा चाहिए।

पानी की सुरक्षा केवल प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं

यह भी समझना होगा कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है। प्राधिकरण को स्रोत, मुख्य आपूर्ति नेटवर्क और गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। बिल्डर और सोसायटी प्रबंधन को आंतरिक पाइपलाइन, टैंक, पंप, फिल्ट्रेशन और वितरण नेटवर्क की नियमित

देखरेख करनी होगी। निवासियों को भी असामान्य गंध, रंग, स्वाद या स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

और सबसे महत्वपूर्ण—जांच रिपोर्ट सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। जब हजारों परिवार एक ही जल नेटवर्क पर निर्भर हों, तो पानी की गुणवत्ता को “आंतरिक प्रबंधन का विषय” मानकर बंद कमरे में नहीं छोड़ा जा सकता। शिकायत आने के बाद जांच नहीं, पहले से निगरानी क्यों नहीं? यह सबसे बड़ा नीतिगत प्रश्न है। यदि किसी सोसायटी में लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बाद पानी की जांच होती है, तो व्यवस्था ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन पूर्व-सावधानी की कसौटी पर वह कितनी सफल रही? आदर्श व्यवस्था वह होगी जिसमें शिकायत आने से पहले संभावित समस्या पकड़ ली जाए। इसके लिए बड़े आवासीय परिसरों में नियमित अंतराल पर स्वतंत्र जल गुणवत्ता परीक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड, नमूना परीक्षण की सार्वजनिक रिपोर्ट और शिकायतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जा सकती है। भविष्य का संकट पानी की कमी ही नहीं, “सुरक्षित पानी” की कमी भी हो सकता है। जल संकट की चर्चा सामान्यतः भूजल स्तर गिरने, वर्षा की कमी और जल स्रोतों के सूखने तक सीमित रहती है। लेकिन आने वाले वर्षों का संकट इससे अधिक जटिल हो सकता है। पानी उपलब्ध होगा, पर क्या वह सुरक्षित होगा? यह प्रश्न आज से पूछा जाना चाहिए। बढ़ती आबादी, तेजी से फैलता शहरीकरण, भूजल पर दबाव, पुरानी पाइपलाइन, प्रदूषण, सीवर नेटवर्क की कमियाँ और जलवायु परिवर्तन—ये सभी मिलकर जल सुरक्षा को आने वाले समय की सबसे बड़ी शहरी चुनौतियों में शामिल कर सकते हैं।

समाधान क्या है?

समस्या का समाधान केवल दोषारोपण में नहीं, व्यवस्थित जल प्रबंधन में है। बड़े आवासीय परिसरों के लिए अनिवार्य किया जाए कि नियमित और स्वतंत्र वाटर क्वालिटी ऑडिट; स्रोत से नल तक जल गुणवत्ता निगरानी; भूमिगत एवं ओवरहेड टैंकों की निर्धारित अंतराल पर सफाई; पाइपलाइन और सीवर नेटवर्क का नियमित परीक्षण; जल गुणवत्ता की रिपोर्ट निवासियों के लिए डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना; शिकायतों के लिए समयबद्ध वाटर सेफ्टी रिसपांस सिस्टम; बड़ी सोसायटियों में प्रशिक्षित जल प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति; वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को वास्तविक रूप से लागू करना; जल रिसाव और पाइपलाइन क्षति की त्वरित पहचान; आपात स्थिति में वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था।

मिस्सन अल्टिमो से उठता बड़ा सवाल

मिस्सन अल्टिमो में हुई जांच का अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद अधिक स्पष्ट होगा। इसलिए अभी किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना उचित

नहीं होगा। लेकिन यह घटना एक उपयोगी चेतावनी अवश्य है। यह हमें बताती है कि आधुनिक शहरों में पानी अब केवल पाइपलाइन का विषय नहीं रहा; यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रशासनिक जवाबदेही, शहरी नियोजन और नागरिक सुरक्षा का विषय बन चुका है। आज यदि समस्या एक सोसायटी तक सीमित है तो उसे वहीं रोकना होगा, ताकि कल यह अनेक सोसायटियों की सामूहिक समस्या न बने।

शहर की ऊँचाई नहीं, जीवन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है

हमने गाँवों को सेक्टरों में बदला, कच्चे मकानों को हाई-राइज टावरों में बदला, पगडंडियों को एक्सप्रेसवे में बदला और शहरों को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाया। यह विकास आवश्यक भी है और स्वागतयोग्य भी। लेकिन विकास की अंतिम कसौटी इमारत की ऊँचाई नहीं, नागरिक के जीवन की गुणवत्ता है। यदि किसी आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी से महानगर का शानदार दृश्य दिखाई देता है, लेकिन उसी घर के नल से निकलने वाले पानी पर परिवार को भरोसा नहीं है, तो विकास की तस्वीर अधूरी है। शहर तभी सचमुच आधुनिक कहलाएगा, जब उसकी सबसे ऊँची इमारत और उसके सबसे साधारण नल—दोनों में समान रूप से सुरक्षा, गुणवत्ता और भरोसा दिखाई दे।

मिस्सन अल्टिमो की घटना को इसलिए केवल एक सोसायटी की शिकायत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उस भविष्य की दस्तक है जिसमें शहरों को केवल “कितना विकसित?” नहीं, बल्कि “कितना सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ?” के पैमाने पर भी परखा जाएगा।

क्योंकि अंततः—

«“जल है तो जीवन है” केवल एक नारा नहीं, बल्कि शहरी विकास की सबसे पहली और सबसे कठोर परीक्षा है।» और इस परीक्षा में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरों की चमक के पीछे पानी की गुणवत्ता धुंधली न पड़ जाए। ■



यमुना की गोद में जीवन का संकल्प

11 वेटलैण्ड की पहचान और संरक्षण की दिशा में अहम कदम

यमुना केवल एक नदी नहीं है। वह अपने किनारों, जलधाराओं, तालाबों और आर्द्रभूमियों के साथ मिलकर एक ऐसा जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जिसकी सेहत का सीधा संबंध मनुष्य के भविष्य से है। नदी के किनारे मौजूद वेटलैण्ड यानी आर्द्रभूमियां प्रकृति की ऐसी अनमोल धरोहर हैं, जिन्हें अक्सर खाली जमीन समझ लेने की भूल की जाती है। वास्तव में ये क्षेत्र जल-संग्रह, भूजल पुनर्भरण, जैव-विविधता के संरक्षण और बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक प्रणालियां हैं। गौतमबुद्धनगर में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति और वेटलैण्ड समिति की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यमुना नदी के पांच किलोमीटर तटीय क्षेत्र में स्थित 11 वेटलैण्ड का सत्यापन कराने और उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के

निर्देश इसी व्यापक पर्यावरणीय दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। साथ ही जनपद की वेटलैण्ड को अधिसूचित कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, लखनऊ को भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश इस बात का संकेत है कि अब आर्द्रभूमियों को केवल भूखंड के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक संपदा के रूप में देखने की आवश्यकता को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है।

वेटलैण्ड: जमीन का टुकड़ा नहीं, प्रकृति का वाटर बैंक

आर्द्रभूमि वह प्राकृतिक क्षेत्र है जहां जल और भूमि का अद्भुत संतुलन बना रहता है। वर्षा का पानी रोकने से लेकर भूजल स्तर को बनाए रखने तक, इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनेक प्रकार के पक्षी, मछलियां, जलीय वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव इन क्षेत्रों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। शहरीकरण के तेजी से विस्तार वाले गौतमबुद्धनगर

जैसे जनपद में इनका महत्व और बढ़ जाता है। जिस गति से आवासीय सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें और अन्य आधारभूत ढांचे विकसित हो रहे हैं, उसी गति से प्राकृतिक जल क्षेत्रों का संरक्षण भी आवश्यक है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन तभी संभव है, जब विकास की प्रत्येक योजना में प्रकृति के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित रखा जाए।

11 वेटलैण्ड का सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण?

यमुना के पांच किलोमीटर तटीय क्षेत्र में स्थित 11 वेटलैण्ड का सत्यापन महज सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन करने की कवायद नहीं है। यह उन प्राकृतिक परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति जानने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिनका भविष्य आने वाले वर्षों में जनपद की पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ा होगा।

इन वेटलैण्ड की पहचान, क्षेत्रफल, जलधारण क्षमता, जल की गुणवत्ता, जैव-विविधता, अतिक्रमण, प्रदूषण तथा आसपास हो रहे भू-उपयोग

परिवर्तन का वैज्ञानिक आकलन किया जाना चाहिए। यदि किसी आर्द्रभूमि का स्वरूप बदल रहा है, जलस्रोत सिकुड़ रहा है अथवा उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या प्रदूषण का दबाव है, तो समय रहते उसकी पहचान कर उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। यही सत्यापन भविष्य में संरक्षण की ठोस कार्ययोजना का आधार बनेगा।

अधिसूचना से मिलेगा संरक्षण को संस्थागत आधार

वेटलैण्ड को अधिसूचित कराने की पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संरक्षण तभी प्रभावी होता है, जब उसके लिए स्पष्ट प्रशासनिक और कानूनी ढांचा मौजूद हो। अधिसूचना के बाद संबंधित क्षेत्र की पहचान और संरक्षण के लिए जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट हो सकती हैं तथा अनियंत्रित गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। गौतमबुद्धनगर जैसे तेजी से बदलते भू-दृश्य वाले जनपद में यह पहल विशेष महत्व रखती है। यहां भूमि का मूल्य लगातार बढ़ रहा है और शहरी विस्तार की प्रक्रिया तेज है। ऐसे में प्राकृतिक जल क्षेत्रों की पहचान और उनका अभिलेखीकरण भविष्य में होने वाले विवादों तथा अतिक्रमण की संभावनाओं को कम करने में भी सहायक हो सकता है।

तालाबों की रक्षा, भविष्य के पानी की रक्षा

वेटलैण्ड संरक्षण को केवल यमुना तट तक सीमित नहीं रखा जा सकता। गांवों के तालाब, पोखर और अन्य पारंपरिक जलस्रोत भी इसी प्राकृतिक जल-तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। बैठक में तालाबों के सूचीकरण, सीमा निर्धारण, अतिक्रमण हटाने और लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा किया जाना इसी व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज जिस तालाब को अनुपयोगी भूमि समझकर पाट दिया जाता है, कल वही क्षेत्र वर्षा जल के प्रवाह का प्राकृतिक मार्ग हो सकता है। जिस पोखर को छोटा समझकर उपेक्षित कर दिया जाता है, वही भूजल पुनर्भरण और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए तालाबों की सीमा का स्पष्ट निर्धारण, उनका अभिलेखीकरण और नियमित निगरानी समय की आवश्यकता है।

यमुना से जुड़ी हर आर्द्रभूमि की अपनी कहानी है

यमुना के तटीय क्षेत्र की आर्द्रभूमियां नदी की प्राकृतिक सांस लेने की जगहों जैसी हैं। वे नदी और भूभाग के बीच एक जीवंत संक्रमण क्षेत्र बनाती हैं। इन क्षेत्रों में जल का ठहराव, रिसाव और प्राकृतिक शोधन जैसी प्रक्रियाएं पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित



रखने में योगदान देती हैं। ऐसे में 11 वेटलैण्ड की वास्तविक स्थिति का सत्यापन केवल प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक वेटलैण्ड की अलग पर्यावरणीय प्रोफाइल तैयार की जा सकती है—कहां कितना जल है, किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, कौन-कौन से पक्षी आते हैं, जल की गुणवत्ता कैसी है, अतिक्रमण की स्थिति क्या है और संरक्षण के लिए तत्काल क्या कदम आवश्यक हैं। यदि यह कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो गौतमबुद्धनगर में आर्द्रभूमि संरक्षण का एक अनुकरणीय मॉडल विकसित किया जा सकता है।

प्रकृति संरक्षण में प्रशासन के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी

सरकारी आदेश संरक्षण की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसे स्थायी सफलता जनभागीदारी ही दे सकती है। ग्राम पंचायतों, स्थानीय निवासियों, किसानों, पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर आर्द्रभूमि समितियों को सक्रिय बनाकर स्थानीय लोगों को यह समझाना होगा कि तालाब और वेटलैण्ड किसी एक विभाग की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्राकृतिक पूंजी हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि इन क्षेत्रों के आसपास कूड़ा डालने, गंदे पानी के प्रवाह और अनधिकृत भराव जैसी गतिविधियों पर स्थानीय स्तर से ही निगरानी शुरू हो।

विकास की रफ्तार और प्रकृति की धड़कन के बीच संतुलन

गौतमबुद्धनगर आज उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित होते जिलों में शामिल है। औद्योगिक निवेश, आवासीय विकास, एक्सप्रेसवे, संस्थागत क्षेत्र और आधुनिक नगरीय सुविधाएं जिले की नई पहचान गढ़ रही हैं। लेकिन किसी भी शहर की वास्तविक आधुनिकता केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और नए सेक्टरों से नहीं मापी जाती। आधुनिक शहर वह है जो अपनी नदियों, तालाबों, हरित क्षेत्रों और जैव-विविधता को भी उतनी ही गंभीरता से सुरक्षित रखे। इसीलिए 11 वेटलैण्ड का सत्यापन एक प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। यह उस सोच की ओर कदम है जिसमें विकास के साथ प्रकृति के अधिकारों को भी स्थान दिया जाता है। आज वेटलैण्ड की सीमा बचाना केवल जमीन बचाना नहीं है; यह पानी बचाना है। पानी बचाना केवल पर्यावरण बचाना नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचाना है।

गौतमबुद्धनगर की इन 11 आर्द्रभूमियों का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्यापन और अधिसूचना की प्रक्रिया के बाद संरक्षण, पुनर्जीवन और निगरानी की व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतरती है। यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनभागीदारी एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो यमुना के किनारे की ये आर्द्रभूमियां आने वाले समय में गौतमबुद्धनगर की पर्यावरणीय सुरक्षा की मजबूत ढाल बन सकती हैं। प्रकृति की विरासत को बचाने का सही समय कल नहीं, आज है—क्योंकि जो आर्द्रभूमि आज मिट गई, उसे कल केवल नक्शे पर खोजा जा सकेगा। ■

मुस्फुराते चेहरों के पीछे की सियासत

दादरी की 'संकल्प सभा' में भीड़ तो दिखी, लेकिन क्या भाजपा का दिल भी एक था? मशहूर गजल की पंक्ति है—“**यह जो तुम इतने मुस्फुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो...**”

दादरी में 3 अगस्त को हुई भाजपा की संकल्प सभा को अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो यह पंक्ति मानो पूरे आयोजन का अनकहा परिचय बन जाती है। मंच पर मुस्फुराते चेहरे थे, भाषणों में एकजुटता का संदेश था, सामने उत्साहित कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर राजनीति में कई बार मंच पर दिखाई देने वाली तस्वीर और मंच के पीछे चल रही कहानी एक नहीं होती। यही दादरी की इस सभा की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है।

दसअसल 3 अगस्त को दादरी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर के अभिनंदन और 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा' का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के प्रचार में नवाब सिंह नागर की मौजूदगी को भी प्रमुखता दी गई थी यह सामान्य आयोजन भी नहीं था। दादरी इस समय केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि गौतमबुद्ध नगर भाजपा की भावी राजनीतिक दिशा का संकेतक बन चुका है।

भीड़ ने आयोजकों की मेहनत पर मुहर लगाई

सभा का पहला निष्कर्ष बिल्कुल साफ है—आयोजन की दृष्टि से यह कार्यक्रम सफल रहा। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि स्थानीय संगठन के पास आज भी भीड़ जुटाने की क्षमता है। मंच पर प्रदेश और क्षेत्रीय नेतृत्व की मौजूदगी ने आयोजन को संगठनात्मक वजन दिया। ऐसे समय में, जब 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, किसी बड़े नेता के स्वागत और शक्ति प्रदर्शन के बहाने इतनी बड़ी राजनीतिक मौजूदगी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस सफलता का श्रेय आयोजनकर्ताओं को मिलना चाहिए। राजनीति में परिणाम का एक हिस्सा मंच पर दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा मैदान में। दादरी की सभा ने मैदान वाला हिस्सा मजबूती से दिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

एक मंच, कई राजनीतिक आकांक्षाएं

दादरी की राजनीति की असली दिलचस्पी मंच पर बैठे चेहरों से ज्यादा उन चेहरों में है जो मंच के साथ साथ आसपास अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। आयोजन से जुड़े स्थानीय नेताओं की सक्रियता, वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी, पूर्व नेताओं की उपस्थिति और संभावित विधानसभा दावेदारों के समर्थकों की सक्रियता—इन सबको एक साथ रखकर देखें तो साफ है कि यह केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं था।

यह भविष्य की राजनीतिक जमीन नापने का अवसर भी था। दादरी विधानसभा से टिकट की संभावित दावेदारी को लेकर अलग-अलग नामों की चर्चा लंबे समय से राजनीतिक हलकों में होती रही है। ऐसे में किसी बड़े आयोजन में किस नेता की कितनी मौजूदगी है, किसके समर्थक कितनी संख्या में हैं, किसके पोस्टर या



कटाआउट नजर आते हैं और किस नेता के भाषण पर कैसी प्रतिक्रिया होती है—ये सब राजनीति में महज दृश्य नहीं होते, बल्कि संदेश होते हैं। यही कारण है कि दादरी की इस सभा को 2027 के चुनाव की शुरुआती राजनीतिक पटकथा के एक दृश्य के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

‘एकजुटता’ की अपील क्यों महत्वपूर्ण थी?

सभा में पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया की ओर से संगठन को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने का संदेश दिया जाना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सामान्य परिस्थितियों में ‘एकजुट रहिए’ एक सामान्य संगठनात्मक अपील होती है। लेकिन जब किसी राजनीतिक संगठन में लंबे समय से अलग-अलग खेमों, स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और संभावित दावेदारियों को लेकर चर्चाएं चल रही हों, तब यही एक शब्द कई अर्थ पैदा कर देता है।

राजनीति में कभी-कभी कही गई बात से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। गौतमबुद्ध नगर भाजपा को लेकर गुटीय राजनीति की चर्चाएं नई नहीं हैं। अतीत में भी जिले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। नोएडा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक ‘पावर सेंटर’ के रूप में देखा जाता है।

आज परिस्थितियां फिर बदल रही हैं।

सतेंद्र सिसौदिया के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान नवाब सिंह नागर को सौंपे जाने के बाद गौतमबुद्ध नगर का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। नागर दादरी से दो बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं तथा 2026 में उन्हें पश्चिमी क्षेत्र का

अध्यक्ष बनाया गया। अर्थात् जिस जिले में संगठनात्मक राजनीति पहले से ही कई प्रभावशाली केंद्रों के बीच घूमती रही है, वहीं से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन की कमान संभालने वाला नेता भी निकल रहा है। यह समीकरण अपने आप में बड़ा है।

नवाब सिंह नागर का शेर और उसका राजनीतिक अर्थ

सभा में नवाब सिंह नागर द्वारा पढ़ा गया शेर—

“मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहां तक है, होगी वफ़ा कि उम्मीद जिसे होगी, हमें देखना है तू बेवफा कहां तक है”

राजनीतिक मंच पर जब कोई नेता शेर पढ़ता है तो उसका अर्थ केवल साहित्यिक नहीं रह जाता। खासकर तब, जब पार्टी के भीतर संभावित शक्ति-संतुलन तेजी से नया आकर ले रहा हो। इसलिए इस शेर के राजनीतिक निहितार्थ निकलना स्वाभाविक है। परिणाम स्वरूप कुछ लोग सीधे तौर पर इसकी नवाब सिंह नागर का साहित्यिक अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए संदेश और चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। कुछ भी हो इतना कहना गलत नहीं होगा कि शेर ने सभा के राजनीतिक तापमान को जरूर बढ़ा दिया। क्योंकि राजनीति में शब्द कभी-कभी भाषण से ज्यादा दूर तक जाते हैं।

नारे भी बहुत कुछ कहते हैं

सभा में अलग-अलग नेताओं के माइक संभालने के दौरान समर्थकों की ओर से हुई नारेबाजी भी ध्यान खींचने वाली रही। एक राजनीतिक कार्यक्रम में समर्थकों का अपने नेता के पक्ष में नारा लगाना असामान्य नहीं है। लेकिन जब एक ही मंच पर कई संभावित शक्ति-केंद्र मौजूद हों, तब *leFkZdkSa* हर नारा अपने नेता की ताकत दिखाने का माध्यम बन जाता है। मंच साझा हो सकता है, समर्थक आधार नहीं। यही दादरी की सभा का सबसे रोचक राजनीतिक संकेत रहा। चेहरे एक मंच पर थे, लेकिन समर्थकों की पहचान अलग-अलग दिखाई दे रही थी।

कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी दो कथाएं

सभा को लेकर कार्यक्रम की पूर्व निर्धारित तारीख में बदलाव की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हुई। एक ओर आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से इसे संगठनात्मक/व्यस्तता से जुड़ा कारण बताया गया, तो दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इसे स्थानीय स्तर पर समन्वय और प्रतिनिधित्व को लेकर उठे सवाल से जोड़कर देखा गया। इन दोनों दावों में से किसी एक को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन राजनीति में घटना से अधिक महत्वपूर्ण उसकी जनधारणा होती है। यदि किसी कार्यक्रम की तारीख बदलने के बाद भी यह चर्चा बनी रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो यह अपने आप में संगठन के भीतर संवाद और समन्वय की ओर संकेत अवश्य है।

टिकट की लड़ाई के संकेत शुरू हो गए

दादरी विधानसभा सीट पर 2027 के संभावित टिकट को लेकर अभी अंतिम निर्णय की कोई तस्वीर नहीं है। मगर राजनीति में टिकट का फैसला घोषित होने से बहुत पहले टिकट की राजनीति शुरू हो जाती है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनसभाओं में भीड़, अपने समर्थकों की मौजूदगी, सामाजिक समीकरण, संगठन में पकड़ और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच—इन सबका जोड़ धीरे-धीरे दावेदारी की जमीन तैयार करता है। इस लिहाज से दादरी की सभा को केवल ‘विकसित भारत’ या ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प जनसभा’ के संदेश तक सीमित करके देखना अधूरा होगा। यह सभा विकास के संदेश के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक शक्ति

के प्रदर्शन का भी मंच थी।

- कौन कितना मजबूत है?, किसके साथ कितने लोग हैं?, किसके नाम पर नारे लगते हैं?, किसके समर्थक मैदान में दिखाई देते हैं?

राजनीति इन सवालों के जवाब अक्सर मंच से नहीं, भीड़ से तलाशती है।

भाजपा के सामने असली चुनौती भीड़ नहीं, भरोसा है

दादरी की सभा ने भाजपा की सबसे बड़ी ताकत फिर साबित की—संगठन और भीड़ जुटाने की क्षमता।

लेकिन इसी के साथ उसकी सबसे बड़ी स्थानीय चुनौती भी सामने रख दी—क्या अलग-अलग राजनीतिक आकांक्षाओं को एक साझा चुनावी लक्ष्य में बदला जा सकेगा? क्योंकि चुनाव केवल भीड़ से नहीं जीते जाते। चुनाव उस समय जीते जाते हैं जब मंच पर बैठे नेता, बूथ पर खड़ा कार्यकर्ता और टिकट का इच्छुक नेता—तीनों एक ही दिशा में काम करें। यदि भीतर प्रतिस्पर्धा है तो वह स्वस्थ हो सकती है।

यदि प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत संघर्ष में बदल जाए तो संगठन कमजोर होता है। और यदि संगठनात्मक अनुशासन के भीतर महत्वाकांक्षाओं को जगह मिल जाए तो वही प्रतिस्पर्धा पार्टी की ताकत भी बन सकती है। यही 2027 से पहले गौतमबुद्ध नगर भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा है।

नवाब सिंह नागर के लिए भी यह आसान परीक्षा नहीं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले नवाब सिंह नागर के सामने चुनौती केवल दूसरे जिलों में संगठन मजबूत करने की नहीं है। अपने ही राजनीतिक गृहक्षेत्र में विभिन्न आकांक्षाओं और प्रभावशाली नेताओं के बीच संतुलन बनाना भी उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। यह स्वयं नवाब सिंह नागर पर निर्भर करेगा कि वह पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं या फिर गुटबाजी का हिस्सा बनते हैं। हालांकि भाजपा ने उनकी नियुक्ति को संगठनात्मक विस्तार और चुनावी तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि वह दादरी के राजनीतिक तापमान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक ऊर्जा में कैसे बदलते हैं।

VR% दादरी की 3 अगस्त की सभा को अगर केवल भीड़ के पैमाने पर देखा जाए तो यह सफल थी। अगर इसे संगठनात्मक कार्यक्रम के रूप में देखा जाए तो भी सफल थी। लेकिन अगर इसे 2027 की राजनीति की प्रयोगशाला में रखकर देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल दिखाई देती है। यह सभा भाजपा की ताकत भी थी और उसकी चुनौती का आईना भी।

भीड़ ने बताया कि जमीन अभी मजबूत है। मंच ने बताया कि नेतृत्व मौजूद है। नारे ने बताया कि समर्थक अपने-अपने नेता के साथ हैं। और ‘एकजुटता’ की अपील ने याद दिलाया कि चुनाव से पहले दिलों की दूरी मिटाना भी जरूरी है।

राजनीति में मुस्कराते चेहरे जरूरी हैं, मगर चुनाव जिताने के लिए केवल चेहरे नहीं—एक दिशा, एक संगठन और एक साझा भरोसा भी चाहिए। दादरी ने 3 अगस्त को भीड़ की ताकत दिखा दी। अब असली परीक्षा यह है कि क्या वही भीड़ 2027 में एकजुट वोट में बदल पाएगी? क्योंकि मंच पर तालियां बजाना आसान है। मगर चुनाव के दिन एक साथ खड़ा होना—यही असली संगठन है। ■



गाजियाबाद के भविष्य का खाका

विकास की नई इबारत

शहर केवल इमारतों से नहीं बनता; उसकी पहचान उन दूरदर्शी फैसलों से बनती है, जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को आज की योजना में जगह देते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड बैठक इसी अर्थ में महज प्रस्तावों की स्वीकृति वाली बैठक नहीं, बल्कि बदलते गाजियाबाद की विकास-दृष्टि का संकेत देती है। घंटाघर की पुरानी और भीड़भरी सड़कों से लेकर हरनंदीपुरम के प्रस्तावित विस्तार, एयरोसिटी की परिकल्पना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हिंडन के किनारे बाढ़ सुरक्षा, नई टाउनशिप और औद्योगिक विकास तक—फैसलों की कड़ियां अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर देखें तो एक व्यापक शहरी भविष्य की तस्वीर उभरती है।

पुराने शहर की रफ्तार को मिलेगा नया रास्ता

गाजियाबाद की सबसे बड़ी शहरी चुनौतियों में यातायात लंबे समय से प्रमुख है। घंटाघर से भाटिया मोड़ तक करीब दो किलोमीटर लंबा चार लेन एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसी चुनौती पर सीधा प्रहार है। यह परियोजना केवल एक सड़क का विस्तार नहीं, बल्कि शहर के अत्यधिक दबाव वाले हिस्से में यातायात प्रवाह को पुनर्गठित करने की कोशिश है। यदि इसका निर्माण अपेक्षित गुणवत्ता और समयबद्धता से पूरा होता है तो जाम, यात्रा समय और ईंधन की खपत में कमी के साथ पुराने शहर की गतिशीलता को नया आयाम मिल सकता है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि परियोजना में डिजाइन, निर्माण और परीक्षण के लिए आईआईटी रुड़की तथा स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। यानी विकास की गति के साथ गुणवत्ता पर भी निगाह रखने की कोशिश है।

हरनंदीपुरम : गाजियाबाद के विस्तार का नया अध्याय

हरनंदीपुरम योजना आने वाले वर्षों में गाजियाबाद के आवासीय विस्तार का बड़ा केंद्र बन सकती है। करीब 501 हेक्टेयर के प्रस्तावित क्षेत्र में नियोजित आवासीय विकास का उद्देश्य केवल मकानों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क, हरित क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के साथ एक व्यवस्थित शहरी क्षेत्र तैयार करना है।

आज महानगरों की सबसे बड़ी समस्या अनियोजित विस्तार है। जहां आवास तो बन जाते हैं, लेकिन सड़क, जल निकासी, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं बाद में पीछे छूट जाती हैं। हरनंदीपुरम की परिकल्पना यदि स्वीकृत नियोजन के अनुरूप धरातल पर उतरती है तो यह उस प्रवृत्ति का विकल्प बन सकती है।

एयरोसिटी : स्टेडियम से आगे की आर्थिक परिकल्पना

प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आसपास करीब 541 हेक्टेयर में एयरोसिटी विकसित करने की दिशा में लिया गया निर्णय गाजियाबाद के आर्थिक भूगोल को बदलने की क्षमता रखता है। मोरटी, अटीर और मेवला अगरी क्षेत्र में प्रस्तावित यह विकास केवल आवासीय परियोजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। होटल, वाणिज्यिक गतिविधियां, परिवहन, सेवा क्षेत्र, मनोरंजन और रोजगार—इन सबका विस्तार एक साथ होता है तो यह क्षेत्र शहर के नए आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकता है।

यही वह बिंदु है जहां शहरी नियोजन और आर्थिक विकास एक-दूसरे से जुड़े हैं। जमीन का उपयोग बदलना पहला कदम है; उसके बाद आवश्यक परिवहन, जल, सीवर, बिजली और सार्वजनिक सुविधाओं का समय पर निर्माण ही इस परिकल्पना को वास्तविक शहर में बदल पाएगा।

हिंडन का बंधा : विकास के साथ सुरक्षा की अनिवार्यता

हरनंदीपुरम, एयरोसिटी और प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम जैसे बड़े विकास क्षेत्रों के सामने बाढ़ सुरक्षा का प्राथमिक स्वाभाविक है। हिंडन के दाहिने तट पर बंधा निर्माण इसी जोखिम को पहले से संबोधित करने की कोशिश है। विकास की असली परीक्षा केवल यह नहीं कि कितनी जमीन पर निर्माण हुआ, बल्कि यह भी है कि वह निर्माण कितनी सुरक्षित और टिकाऊ व्यवस्था के भीतर हुआ। बाढ़ सुरक्षा को विकास योजना के साथ जोड़ना इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

टाउनशिप : निजी पूंजी को नियोजित विकास से जोड़ने की कोशिश

शाहपुर बम्हैटा में निजी निवेश से टाउनशिप विकास तथा सागा क्रेसेंट पार्क और पार्क टाउन जैसी परियोजनाओं को समय विस्तार देने के फैसले इस बात का संकेत हैं कि गाजियाबाद के विकास में निजी पूंजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। किन्तु निजी निवेश तभी व्यापक जनहित में बदलता है जब उसके साथ नियमन, आधारभूत सुविधाएं और समयबद्ध क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हों। टाउनशिप में सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, बिजली और सामुदायिक सुविधाएं कागज पर नहीं, जमीन पर दिखाई दें—यही किसी भी नियोजित विकास की असली कसौटी होगी।



भू-उपयोग परिवर्तन : जरूरत और नियोजन के बीच संतुलन

राजनगर और इंदिरापुरम में भू-उपयोग परिवर्तन के फैसले भी व्यापक शहरी जरूरतों की ओर संकेत करते हैं। जहां भूमि की उपलब्धता सीमित है, वहां मौजूदा भूखंडों का उपयोग बदलती आबादी और आवासीय मांग के अनुरूप करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे निर्णयों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर बदलाव शहर की समग्र वहन क्षमता, यातायात, पार्किंग, हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं के संतुलन के साथ किया जाए। केवल जमीन का अधिकतम उपयोग शहर का बेहतर उपयोग नहीं होता।

हापुड़ की जमीन पर उद्योग : विकास का भौगोलिक विस्तार

हसनपुर लोधा क्षेत्र में कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में बदलने का निर्णय गाजियाबाद विकास क्षेत्र के आर्थिक विस्तार की एक और कड़ी है। औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार निवेश, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसर पैदा कर सकता है। यहां भी चुनौती यही होगी कि उद्योग आए तो उनके साथ सड़क, जल, विद्युत, पर्यावरण और स्थानीय रोजगार की समुचित व्यवस्था भी विकसित हो। तभी भूमि परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन में बदल सकेगा।

फैसलों की असली कहानी अब क्रियान्वयन में लिखी जाएगी

173वीं बोर्ड बैठक ने दिशा तो स्पष्ट कर दी है, लेकिन किसी भी विकास योजना की वास्तविक सफलता स्वीकृति के बाद शुरू होती है। नकशे, प्रस्ताव और

अनुमोदन शहर की कल्पना कर सकते हैं; शहर का निर्माण केवल समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से होता है। इस बैठक में पुराने निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा भी इसलिए महत्वपूर्ण है। यह संकेत देता है कि प्राधिकरण के सामने अब केवल नए फैसले लेना नहीं, बल्कि पुराने फैसलों को धरातल पर उतारना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।

गाजियाबाद : महानगर से बेहतर शहर बनने की ओर

173वीं बोर्ड बैठक के फैसलों को एक साथ रखकर देखें तो गाजियाबाद के विकास का अगला चरण केवल 'और शहर बसाने' का नहीं, बल्कि 'बेहतर शहर बनाने' का होना चाहिए। एलिवेटेड कॉरिडोर वर्तमान यातायात को राहत देने की कोशिश है। हरनंदीपुरम भविष्य की आवासीय जरूरतों का उत्तर तलाशता है। एयरोसिटी आर्थिक विस्तार का नया केंद्र बनने की संभावना रखती है। हिंडन का बंधा सुरक्षा की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। टाउनशिप और औद्योगिक परियोजनाएं निवेश तथा रोजगार के द्वार खोल सकती हैं। इन सभी योजनाओं की साझा सफलता का सूत्र एक ही है—दूरदर्शी नियोजन, पारदर्शी क्रियान्वयन, गुणवत्ता, पर्यावरणीय संतुलन और नागरिक हित।

गाजियाबाद आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां उसके सामने केवल विस्तार का अवसर नहीं, बल्कि अपनी विकास-परिभाषा बदलने का अवसर भी है। 173वीं बोर्ड बैठक ने उस परिवर्तन की रूपरेखा खींच दी है। अब देखना यह होगा कि कागज पर खिंची यह रेखा कब सड़कों, आवासों, हरित क्षेत्रों, सुरक्षित बस्तियों और रोजगार के अवसरों में बदलकर नए गाजियाबाद की जीवंत तस्वीर बनती है। ■



उ सने कभी बरसात में गाँव की कच्ची पगडंडी पर नंगे पाँव चलकर नहीं देखा था कि मिट्टी किस तरह पैरों को पकड़ लेती है। न कुएँ की जगत पर बैठी औरतों की बतकही सुनी थी, न चौपाल पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच बूढ़ों को मौसम, फसल और रिश्तों का हिसाब करते देखा था। बैलगाड़ी की चरमराहट, चूल्हे के धुएँ में घुली रोटी की महक और खेत से लौटते किसान के माथे पर चमकता पसीना भी उसने किताबों और फिल्मों में ही देखा था। फिर भी उसके मन में गाँव की तस्वीर बनी थी—जात-पाँत, ऊँच-नीच, छुआछूत और भेदभाव से रंगी हुई। उसकी दृष्टि में शहर सभ्यता था और गाँव पिछड़ापन। सौरभ बुरा लड़का नहीं था। वह संवेदनशील, पढ़ाकू और साफ दिल का युवक था। मगर कभी-कभी अच्छी नीयत के भीतर भी ऐसी धारणाएँ घर कर जाती हैं, जिन्हें आदमी सच मानकर जीने लगता है। सौरभ के साथ भी यही हुआ था। कॉलेज में उसकी दोस्ती अमित से हुई। दोनों पढ़ाई में तेज थे और धीरे-धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक का सुख-दुख दूसरे का अपना लगने लगा। अमित गाँव का रहने वाला था।

आया। हलवाई माखनलाल की देगची में लड्डू और पकवान तैयार हो रहे थे। सफाई की जिम्मेदारी सरोज के पास थी—वाल्मीकि समाज की सरोज, जिसे गाँव की हर गली और हर घर के सुख-दुख की खबर थी।

सौरभ यह सब देखता रहा।

अमित ने पूछा—

“क्या देख रहे हो?”

“यही कि शादी में इतने लोग क्यों लगे हैं?”

“क्योंकि यहाँ शादी सिर्फ एक परिवार की नहीं होती।”

“और इन सबको मिलता क्या है?” सौरभ ने पूछा

अमित बोला—“किसी को मेहनताना, किसी को नेग, किसी को सम्मान और किसी को यह संतोष कि उसके हाथ से किसी का मंगल हुआ।”

फिर उसने कहा—“गाँव को केवल जाति की सीढ़ी से मत देखना। यहाँ परंपरा भी है, असमानता भी, निर्भरता भी और परस्पर सहयोग भी। सब कुछ एक साथ है।”

सौरभ पहली बार अमित की बात को केवल सुन नहीं, समझने की कोशिश कर रहा था।

शाम को महिलाओं के मंगल गीत होने थे।

यशोदा ने कहा—“अमित, सरोज को बुला ला। उसके बिना गीत कैसे शुरू होंगे?”

दोनों सरोज के घर पहुँचे। वह चूल्हे के पास बैठी थी।

“दादी, माँ ने बुलाया है।”

“अरे बेटा, तुम्हारे बाबूजी दोपहर में ही कह गए थे। काम में देर हो गई। चलती हूँ।”

घर लौटकर सरोज ने अपना ढोल उठाया।

महिलाएँ आँगन में बैठीं।

सरोज ने ढोल पर पहली थाप दी। फिर उसकी आवाज उठी—“आज हमारे घर मंगल गाओ री...” एक महिला ने स्वर मिलाया, फिर दूसरी और देखते-देखते पूरा आँगन सामूहिक गीत से भर गया।

दूसरी सौरभ स्तब्ध बैठा हुए इस ग्रामीण सामाजिक ताने बाने को देख रहा था।

जिस व्यक्ति को उसकी किताबों ने केवल ‘जाति’ के एक खाने में रख दिया था, वही सरोज उस रात पूरे परिवार के शुभ संस्कार की पहली आवाज बनी हुई थी। उसके भीतर कोई पुरानी धारणा धीरे-धीरे दरकने लगी।

बारात से पहले घर में बहुत भीड़ थी। शहर से आया एक नवयुवक जल्दबाजी में सरोज पर झल्ला पड़ा—

“अरे, हटो यहाँ से! तुम्हें समझ नहीं आता कि यहाँ

कौन बैठता है?” सरोज चुप हो गई। तभी पास बैठे अमित के दादा रामनारायण ने लाठी जमीन पर टिकाई।

“किससे बात कर रहे हो बेटा?”

युवक सकपका गया।

रामनारायण बोले—“जिसके हाथ से तुम्हारे घर का आँगन साफ होता है, उसके सम्मान को तुम अपने जूते की धूल समझते हो? बड़ा वह नहीं जिसकी चौखट ऊँची हो; बड़ा वह है जिसके व्यवहार में ऊँचाई हो।”

युवक ने सिर झुका लिया।

बुजुर्ग ने सरोज से कहा—“बहन, इसे माफ कर देना। लड़का है, गलती हो गई।”

सरोज मुस्कराई—“दादा, जाने दो। शादी का घर है, मन छोटा क्यों करें।” और वह फिर अपने काम में लगे गई। यह सब देखकर सौरभ के भीतर कुछ टूटकर गिरा। शायद उसके पुराने विश्वास की दीवार। उसने पहली बार महसूस किया कि भेदभाव की घटना और पूरे समाज की पहचान—दो अलग बातें हैं।

शाम को गाँव रोशनी से भर गया। दूल्हा घोड़ी पर बैठा। नाई ने सेहरा ठीक किया। कुम्हार ने शुभ कलश रखा। पंडित ने मंत्र पढ़े। बढ़ई ने मंडप की अंतिम गाँठ जाँची। सरोज ने दहलीज पर पानी का छिड़काव किया। धोबी ने साफ चादरें बिछाई और हलवाई ने मिठाई की टोकरी थमा दी।

बारात चल पड़ी। सौरभ भी साथ था। उसे अमित की बात याद आई—“किताब से नक्शा मिल सकता है, रास्ते की धूल नहीं।” उसने नीचे देखा। उसके जूतों पर सचमुच गाँव की धूल लगी थी।

शादी के बाद दोनों ट्रेन से शहर लौट रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अमित ने पूछा—

“तो साहब, गाँव कैसा लगा?”

सौरभ मुस्कराया और बोला - “तुम जीत गए।”

अमित ने हँसते हुए कहा - “मैं कब जीतना चाहता था?”

सौरभ गंभीर हो गया।

“मैं गाँव को जाने बिना गाँव के बारे में फैसला सुनाता रहा।”

वह खिड़की से बाहर देखने लगा।

“मैं यह भी नहीं कहूँगा कि गाँव में भेदभाव नहीं है। हो सकता है, कई जगह हो। लेकिन मैंने पूरे गाँव को उसी एक सच से परिभाषित कर दिया था। मैंने पहली बार देखा कि यहाँ जातियों और परंपराओं के साथ-साथ

परस्पर निर्भरता, सहयोग और रिश्तों की भी एक पूरी दुनिया है।”

अमित चुपचाप सुनता रहा।

सौरभ ने कहा—“और मैंने यह भी देखा कि गलत व्यवहार पर गाँव का बुजुर्ग अपने ही आदमी को डाँट सकता है। सरोज के सम्मान के लिए खड़ा हो सकता है।” कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा—“शायद सभ्यता का मतलब यह नहीं कि आदमी शहर में रहता है। सभ्यता का मतलब यह है कि वह अपने से कमजोर समझे जाने वाले इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है।”

अमित ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। दोनों दोस्तों ने हाथ मिला लिया। ट्रेन शहर की ओर बढ़ती रही।

सौरभ के भीतर भी कुछ बदल चुका था। गाँव की पुरानी तस्वीर अब एकरंगी नहीं थी। उसमें मिट्टी भी थी और मर्यादा भी, परंपरा भी थी और परिवर्तन की गुंजाइश भी, कुछ पुरानी दीवारें भी थीं और सदियों से बने कुछ पुल भी।

शहर पहुँचकर उसने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग कुली को देखा। वह कुछ क्षण रुका, फिर अपना सामान स्वयं उठाते हुए बोला—“बाबा, रहने दीजिए।”

अमित ने मुस्कराकर पूछा—

“क्यों?”

सौरभ ने सहज भाव से कहा—“बस यूँ ही... अब लगता है, आदमी को उसके काम से नहीं, उसके इंसान होने से देखना चाहिए।”

दोनों आगे बढ़ गए।

सौरभ के कदम शहर की सड़क पर थे, मगर उसके भीतर कहीं दूर गाँव की वह कच्ची पगडंडी अब भी चल रही थी। और उस पगडंडी पर सरोज के ढोल की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी—

ढम... ढम... ढम...

मानो वह कह रही हो—

“समाज की असली पहचान उसकी जातियों की ऊँचाई से नहीं, उसके रिश्तों की गहराई से होती है।”

सौरभ अब समझ चुका था—गाँव में भेद अवश्य हैं, मगर रिश्तों का भाव (सम्मान) भी है। उसकी पुरानी धारणा पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन अधूरी जरूर थी।

भेद वही रहा, भाव (दृष्टि) बदल चुकी थी। ■

गठबंधन के मंच पर टकराते अपने

इमरान मसूद-आशु मलिक की नोकझोंक से निकला बड़ा सवाल—दिल मिले बिना कैसे मिलेंगे वोट?

सि यासत में तस्वीरें अक्सर भाषणों से ज्यादा बोलती हैं। सहारनपुर की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा (DISHA) की 18 अगस्त 2026 की बैठक की एक तस्वीर और वीडियो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक—दोनों एक ही विपक्षी खेमे के हिस्सेदार, लेकिन बैठक में आमने-सामने। सवाल-जवाब से शुरू हुई बात तीखी नोकझोंक तक पहुंची और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऊपरी तौर पर मामला बैठक के संचालन, बोलने की बारी और समय को लेकर हुई बहस दिखाई देता है, लेकिन राजनीति की सतह के नीचे उतरें तो यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के सामने खड़ी उस बड़ी चुनौती का आईना है, जिसमें गठबंधन तो बन सकता है, लेकिन क्या दिल और कार्यकर्ता भी साथ आ पाएंगे?

सवाल जनता का था, टकराव राजनीति का बन गया

दिशा समिति की बैठक में आशु मलिक अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों और जनता की समस्याओं को उठा रहे थे। बेहड़ा संदल गांव में सड़क और अधूरे नाले का मुद्दा सामने आया। अधिकारी के जवाब से संतुष्ट न होने पर मलिक ने सवाल जारी रखने की कोशिश की। इसी दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे इमरान मसूद ने नियमों के अनुसार बैठक चलाने और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अवसर देने की बात कही। बात बढ़ी तो दोनों ओर से तीखी टिप्पणियां सामने आईं। बाद में मसूद ने संबंधित अधिकारी को एक सप्ताह में मामले की बिंदुवार रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। अर्थात् बैठक का मूल विषय विकास था, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गया राजनीतिक व्यवहार। यह पहली बार भी नहीं है। 2025 में स्वास्थ्य/कैंसर हेल्प कैंप को लेकर दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक विवाद सामने आया था। एक-दूसरे पर तीखे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी



हो चुके हैं। इसलिए दिशा बैठक की नोकझोंक को पहले से मौजूद राजनीतिक तलखी की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

असली पेच 2027 है

अब इस घटना को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की पृष्ठभूमि में देखना जरूरी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भविष्य में साथ रहने और चुनावी तालमेल की राजनीतिक चर्चाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन दिल्ली और लखनऊ में गठबंधन की पटकथा लिखना अलग बात है और उसे गांव, कस्बे, विधानसभा क्षेत्र तथा बूथ तक उतारना अलग।

सबसे बड़ा सवाल यही है—

क्या कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता सपा के प्रत्याशी

को अपना प्रत्याशी मानेगा? क्या सपा का कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार के लिए उसी ताकत से मैदान में उतरेगा? क्या टिकट की लड़ाई खत्म होने के बाद स्थानीय नेता वास्तव में एक-दूसरे के लिए वोट मांगेंगे? यदि इन सवालों का उत्तर कमजोर है, तो कागज पर मजबूत गठबंधन भी जमीन पर कमजोर साबित हो सकता है।

मंच पर गले मिलना आसान, बूथ पर साथ चलना कठिन

गठबंधन शीर्ष नेतृत्व की सहमति से बन सकता है, लेकिन चुनाव कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता से जीता जाता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच साझा कर सकते हैं, हाथ में हाथ डालकर तस्वीर खिंच सकती है और सीटों का फार्मूला भी तय हो

सकता है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब किसी सीट पर कांग्रेस का नेता सपा प्रत्याशी के लिए अपना संगठन लगाए और सपा का कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बूथ पर खड़ा हो।

यहीं गठबंधन की असली अग्निपरीक्षा है।

नेता वोट का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वोटर को बूथ तक कार्यकर्ता ही पहुंचाता है। सहारनपुर की घटना इसी जमीनी चुनौती की ओर संकेत करती है।



'गठबंधन' एक, स्थानीय समीकरण अनेक

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण अलग हैं। कहीं सपा मजबूत है तो कांग्रेस कमजोर, कहीं कांग्रेस का पुराना प्रभाव है तो सपा का संगठन मजबूत है। कहीं दोनों दलों के स्थानीय नेता वर्षों से एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। ऐसे में टिकट की महत्वाकांक्षा और स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन की मजबूरी पर भारी पड़ सकती है।

इसे पूरे प्रदेश पर हूबहू लागू करना उचित नहीं होगा, लेकिन सहारनपुर जैसी घटनाएं यह जरूर बताती हैं कि विपक्ष के सामने अपनी आंतरिक दूरी पाटना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है, जितनी भाजपा-एनडीए का मुकाबला।

भाजपा के लिए विपक्ष की दरारें अवसर

2027 में विपक्ष यदि भाजपा-एनडीए को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहा है तो केवल सत्ता-विरोधी भावना या सरकार की आलोचना पर्याप्त नहीं होगी। उसे भाजपा के मुकाबले अधिक संगठित और जमीन पर अधिक समन्वित दिखाई देना होगा। विपक्षी दलों के बीच स्थानीय संघर्ष भाजपा के लिए स्वाभाविक राजनीतिक अवसर पैदा कर सकते हैं। यदि सपा और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में एक-दूसरे को ही प्रतिद्वंद्वी मानता रहा, तो शीर्ष नेतृत्व का गठबंधन विरोधियों के लिए उतना बड़ा राजनीतिक खतरा नहीं बन पाएगा, जितना कागज पर दिखाई देता है।

2024 का अनुभव, 2027 की बड़ी परीक्षा

लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की एकजुटता ने विपक्षी गठबंधन की ताकत दिखाई और भाजपा के लिए राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की प्रकृति अलग होती है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय नाराजगी, व्यक्तिगत रिश्ते और बूथ स्तर का संगठन अधिक निर्णायक हो जाता है।

इसलिए 2024 के गठबंधन मॉडल को 2027 में सफल बनाने के लिए उससे कहीं गहरी जमीनी एकजुटता की जरूरत होगी। सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है एक-दूसरे के उम्मीदवार की स्वीकार्यता। यदि किसी सीट पर सपा का नेता टिकट का दावेदार था और टिकट कांग्रेस को मिल गया, तो क्या वह भीतर ही भीतर कांग्रेस प्रत्याशी को कमजोर करेगा? यही स्थिति कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के सामने भी आ सकती है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि 'किस कितनी सीटें?' बल्कि यह भी होना चाहिए कि 'किस सीट पर कौन जीत सकता है और दोनों दलों का संगठन उसकी जीत के लिए कैसे एक साथ काम करेगा?'

राहुल-अखिलेश की दोस्ती की असली परीक्षा नीचे है

राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक तालमेल विपक्षी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी असली परीक्षा पांच सितारा बैठकों में नहीं, बल्कि सहारनपुर, मेरठ, मुगदाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और बुंदेलखंड के उन विधानसभा क्षेत्रों में होगी, जहां स्थानीय कांग्रेस और सपा नेता वर्षों से अलग-अलग राजनीतिक पहचान के साथ काम करते आए हैं। ऊपर के दो नेता हाथ मिलाएं, तो नीचे के दो कार्यकर्ताओं

को भी हाथ मिलाना होगा। यही 2027 की सबसे बड़ी शर्त है।

सत्ता की चाबी 'गठबंधन' नहीं, 'समन्वय' में

उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बंटी है। उसे पाने के लिए केवल विपक्षी दलों का जोड़ पर्याप्त नहीं। जरूरी है कि यह जोड़ वोट में बदले, वोट बूथ तक पहुंचे और बूथ पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दिशा में काम करें। कहावत है—'एक और एक ग्यारह', लेकिन राजनीति में एक और एक तभी ग्यारह होते हैं, जब दोनों एक-दूसरे की टांग न खींचें। यदि कांग्रेस और सपा अपने-अपने स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई में उलझे रहे तो उनका जोड़ गणित में भले दो हो, चुनावी मैदान में वह शून्य भी साबित हो सकता है। लेकिन यदि दोनों दल यह समझ लें कि पहले सहयोगी, फिर प्रतिद्वंद्वी, तो यही गठबंधन भाजपा-एनडीए के लिए वास्तविक चुनौती बन सकता है।

सहारनपुर का सवाल, पूरे यूपी की कसौटी

इमरान मसूद और आशु मलिक की नोकझोंक का वीडियो कुछ समय बाद सोशल मीडिया की भीड़ में खो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा राजनीतिक प्रश्न 2027 तक जीवित रहेगा— क्या विपक्ष का गठबंधन केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच होगा, या सपा और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच भी?

यही निर्णायक सवाल है। क्योंकि चुनाव के दिन मंच पर खड़े बड़े नेता नहीं, बूथ पर खड़ा छोटा कार्यकर्ता परिणाम लिखता है। यदि सपा का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का कार्यकर्ता सपा के लिए उसी प्रतिबद्धता से मैदान में उतर गया, तो 2027 में विपक्ष की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन यदि ऊपर गठबंधन और नीचे प्रतिस्पर्धा जारी रही, तो फिर सवाल वही रहेगा—

“सिर मिले, हाथ मिले, पर दिल न मिले; फिर गठबंधन चुनाव कैसे जीते?” सहारनपुर की दिशा बैठक इसलिए महज एक बैठक का विवाद नहीं, बल्कि 2027 के लिए विपक्ष के सामने रखा गया एक राजनीतिक आईना है।

दरअसल, सियासत में गठबंधन घोषणा से नहीं, भरोसे से बनता है; भरोसा भाषण से नहीं, व्यवहार से बनता है। 2027 की लड़ाई में यही व्यवहार विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ■

यात्रा-वृत्तांत : मेरी गोरखपुर यात्रा

आज मेरी गोरखपुर यात्रा का शुभारंभ हुआ। तड़के घर से निकला तो भोर की हल्की बारिश, बादलों और ठंडी हवा ने वातावरण को ताजगी से भर रखा था। दादरी से ग्रेटर नोएडा तक वे सड़कें, जो सामान्य दिनों में वाहनों और जाम का बोझ होती हैं, आज शांत थीं। लगा मानो वे भी रातभर की थकान उतारकर कुछ पल विश्राम कर रही हों। खाली सड़कें एक गहरा संदेश दे रही थीं—सड़कें कभी जाम नहीं लगातीं, इंसान अपनी जल्दबाजी के कारण उन्हें दोष देता है। सड़क तो हमेशा वही रहती है, बदलता है केवल हमारा व्यवहार। हालांकि यात्रा की शुरुआत पूरी तरह सहज नहीं थी। दादरी रेलवे प्लाइओवर के पास जलभराव, तिलपता गांव में पानी और 130 मीटर रोड पर गहरे गड्ढों ने व्यवस्था की तस्वीर भी दिखा दी। इन अव्यवस्थाओं के लिए शासन और प्रशासन को कोसना आसान है, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब जिम्मेदारी समाज भी

समझे। टूटी सड़कें केवल व्यवस्था की विफलता नहीं, कहीं न कहीं हमारी लापरवाही का प्रतिबिंब भी हैं।

इसके बाद यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। सामान्य दिनों में जाम से जूझने वाले रास्तों पर आज गाड़ियां खुलेपन से दौड़ रही थीं। लगा मानो किसी धावक के पैरों से कुछ समय के लिए बेड़ियां खोल दी गई हों। बारिश से धुली सड़कें, हरियाली और ऊंची इमारतें नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सुंदरता को और निखार रही थीं। आवश्यकता केवल इतनी है कि विकास की राह में आने वाली बाधाओं को शासन, प्रशासन और समाज मिलकर दूर करें। इन्हीं विचारों में कब दिल्ली पहुंच गया, पता ही नहीं चला। बसंत कुंज और आर.के. पुरम के बीच लालबत्ती पर गाड़ी रुकी तो तंद्रा टूटी। कुछ ही देर बाद मैं ईंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर था।

गोरखपुर : पहला साक्षात्कार

गोरखपुर की धरती पर कदम रखना मेरे लिए इसलिए

भी खास था क्योंकि यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी। विमान की खिड़की से बदलते बादलों को देखते हुए उत्सुकता और नए शहर को जानने की जिज्ञासा साथ-साथ चल रही थी। दिल्ली की बारिश को पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन गोरखपुर में हल्की फुहारें हमारा इंतजार कर रही थीं। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो शहर पहली नजर में आधुनिक महानगरों से अलग, कुछ पुराना और सहज लगा। कुछ दृश्य मेरठ और बुलंदशहर जैसे पुराने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों की याद दिला रहे थे। सड़कों पर ई-रिक्शा बड़ी संख्या में दिखाई दिए। लगा कि ये सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन तो हैं, लेकिन यातायात के दबाव की एक वजह भी हैं। आंतरिक सड़कें अपेक्षाकृत संकरी हैं। कुछ स्थानों पर गंदगी दिखाई दी, हालांकि कुल मिलाकर सफाई ठीक-ठाक लगी। लेकिन किसी शहर को कुछ घंटों में समझना संभव नहीं। उसकी असली तस्वीर गलियों, बाजारों और लोगों के बीच जाकर ही सामने आती



है। इसलिए यह केवल पहली झलक थी।

यात्रा की थकान के बीच तय हुआ कि गोरखपुर को समझने की शुरुआत नाश्ते से की जाए। पत्रकार की आदत है कि वह हर दृश्य के पीछे छिपे तथ्य को तलाशता है। गोरखपुर भी अब केवल देखने का नहीं, समझने का विषय बन चुका था।

हल्दीराम की मेज से गोरखपुर के विकास तक

गोरखपुर में हमारी पड़ताल की शुरुआत हल्दीराम आउटलेट से हुई। सुविधाओं, सेवा और व्यवस्था को देखकर लगा कि नोएडा की तुलना में यहां अभी काफी गुंजाइश है। इसका एक कारण बाजार और प्रतिस्पर्धा का अंतर भी हो सकता है। महानगरीय क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा व्यवसायों को लगातार बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। इसी दौरान एक स्थानीय ग्राहक से बातचीत हुई। गोरखपुर के विकास की चर्चा पर उसने सहजता से कहा—“यहां बाबा जो कह देते हैं, वह काम होकर रहता है।” इस छोटे से वाक्य में शासन और जनमानस की धारणा दोनों दिखाई दीं। बातचीत में उसने रवि कुमार एनजी और कृष्णा करुणेश जैसे अधिकारियों के काम का भी उल्लेख किया, जो गोरखपुर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और आज गौतम बुद्ध नगर में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

दोपहर तक गोरखपुर के दो चेहरे सामने आ चुके थे—एक पुराना, जो पूर्वांचल की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा है; दूसरा नया, जो उद्योग और आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और खासकर गीडा की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। करीब सौ गांव और लगभग 25 हजार एकड़ क्षेत्र में फैला गीडा औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कभी गीडा की पहचान पुरानी औद्योगिक इकाइयों तक सीमित थी। अपराध और कानून-व्यवस्था की धारणा भी निवेश में बाधा थी। अब स्थिति बदल रही है। नई औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, निवेश प्रस्ताव बढ़ रहे हैं और गोरखपुर औद्योगिक नक्शे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।

गीडा की वित्तीय स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। उसका कोष करीब 200 करोड़ से बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यह बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेत है।

हालांकि जमीन को लेकर किसानों और प्राधिकरण

के बीच विवाद भी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर संवाद की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। गौतम बुद्ध नगर ने औद्योगिक विकास की लंबी यात्रा तय की है, जबकि गोरखपुर अभी शुरुआत में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र का अनुभव उसके लिए उपयोगी हो सकता है। गोरखपुर की सबसे बड़ी कहानी उसकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसके बदलने की दिशा है। बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों के बीच यही दिशा तय करेगी कि वह भविष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक केंद्र बन पाएगा या नहीं।

बदलते शहर के बीच पुराने गोरखपुर की तलाश

किसी शहर को केवल नई सड़कों और इमारतों से नहीं समझा जा सकता। उसकी असली तस्वीर उसके लोगों और उनकी समस्याओं में दिखाई देती है। इसी सोच के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। जिलाधिकारी दीपक मीणा के सामने फरियादियों की लंबी कतार थी। अधिकांश मामले अवैध निर्माण और कब्जे से जुड़े थे। यानी विकास और विस्तार के बीच जमीन अब भी सबसे बड़ा विवाद है। एक पारिवारिक विवाद ने भीतर तक छुआ। एक महिला और बुजुर्ग अपनी फरियाद लेकर आए थे। महिला रो रही थी। उसकी गुहार किसी जमीन से ज्यादा अपने परिवार को टूटने से बचाने की थी।

कभी-कभी सरकारी दफ्तर की एक मेज समाज का पूरा आईना बन जाती है। सुविधाएं बढ़ती हैं, लेकिन क्या संवेदनाएं भी बढ़ती हैं? रिश्तों में स्वार्थ और अपेक्षाएं बढ़ें तो सबसे पहले घर की दीवारें नहीं, दिलों के बीच की दूरी बढ़ती है। गोरखपुर के पुराने बाजार मेरठ और बुलंदशहर जैसे शहरों की याद दिलाते हैं। पारंपरिक व्यापार अब भी जीवित है, वहीं मॉल संस्कृति तेजी से अपनी जगह बना रही है। दोनों फिलहाल एक ही शहर में साथ-साथ चल रहे हैं।

शहर में यातायात का दबाव दिखाई देता है। कई फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण के काम चल रहे हैं। विकास की गतिविधियां कई हिस्सों में जमीन पर दिखाई देती हैं। रामगढ़ताल पहुंचा तो शहर की भागदौड़ से कुछ पल दूरी मिली। पानी, खुला आकाश और वातावरण ने गोरखपुर का एक नया चेहरा दिखाया। लेकिन ताल में फैली गंदगी यह भी याद दिलाती है कि शहर को सुंदर बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, नागरिकों की भी है।

और फिर गोरखनाथ मठ। सदियों पुरानी आस्था के

इस केंद्र में प्रवेश करते ही बाहर की राजनीतिक और शहरी हलचल पीछे छूटती महसूस हुई। कुछ देर वहां बैठा तो लगा जैसे यात्रा की सारी भागदौड़ शांत हो गई हो। गोरखपुर ने मुझे दो तस्वीरें साथ-साथ दिखाई—एक तेजी से बदलता नया शहर और दूसरा परंपरा, रिश्तों और आस्था को संभाले पुराना गोरखपुर।

गोरखपुर से विदा, उम्मीद के साथ

गोरखपुर की इस यात्रा ने यह समझाया कि किसी शहर को केवल आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। आंकड़े बताते हैं कि कितनी सड़कें बनीं, कितना निवेश आया और कितनी परियोजनाएं शुरू हुईं; लेकिन शहर की असली कहानी उसके लोगों, उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीदों में छिपी होती है। गोरखपुर आज पुराने और नए के बीच खड़ा है। एक ओर गोरखनाथ मठ, पुराने बाजार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत है; दूसरी ओर गीडा, औद्योगिक निवेश, नई सड़कें, पर्यटन और बदलती जीवनशैली। विकास दिखाई देता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, पलायन, यातायात, जमीन से जुड़े विवाद और नागरिक सुविधाओं की जरूरतें अब भी मौजूद हैं। इसलिए विकास का वास्तविक अर्थ केवल शहर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना है। यदि औद्योगिक निवेश रोजगार में बदले, विकास पलायन को रोके, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे और बुनियादी ढांचा नागरिक जीवन को आसान बनाए, तो गोरखपुर पूर्वांचल की तस्वीर बदल सकता है। इस यात्रा में सबसे दिलचस्प बात यही लगी कि गोरखपुर अपना अतीत छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता। वह अपनी परंपरा और आस्था को साथ लेकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। गोरखनाथ मठ से लौटते हुए मन में यही भाव था कि गोरखपुर से विदा तो ले रहा हूँ, लेकिन इस शहर को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई।

शायद किसी यात्रा-वृत्तांत की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह किसी शहर से केवल परिचित न कराए, बल्कि वहां दोबारा लौटने की इच्छा भी छोड़ जाए।

गोरखपुर से विदा ली—इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात में यह शहर अपने बदलाव की कुछ और नई कहानियां सुनाएगा। ■

यूपीआईटीएस: वैश्विक मंच तक पहुंच बनाने वाला महत्वपूर्ण मंच

विशेष बातचीत: डॉ. राकेश कुमार, अध्यक्ष, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड



ग्रेटर नोएडा अब दिल्ली-एनसीआर की परिधि भर नहीं, बल्कि वैश्विक कारोबारी क्षितिज पर उभरता नया केंद्र है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया एक्सपो मार्ट, UP International Trade Show, औद्योगिक निवेश, MSME, निर्यात और MICE गतिविधियां मिलकर इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल रही हैं। इसी परिवर्तन की दिशा, संभावनाओं और चुनौतियों पर पंचायत 24 ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार से विशेष बातचीत की।

प्रश्न: दो दशक पहले जिस विजन के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट की शुरुआत हुई थी, आज उसे किस रूप में देखते हैं?

उत्तर: इसकी परिकल्पना 2001 में हुई, 2003 में शिलान्यास और 2006 में उद्घाटन हुआ। उद्देश्य केवल प्रदर्शनी केंद्र बनाना नहीं, बल्कि छोटे उद्यमियों को ऐसा स्थायी मंच देना था जहां विदेशी खरीदार सीधे भारतीय उत्पादकों से जुड़ सकें। आज यही सोच MICE—Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions—के व्यापक मॉडल में विकसित हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र, एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आयोजन यहां हो चुके हैं। एक्सपो मार्ट ने ग्रेटर नोएडा को अंतरराष्ट्रीय कारोबारी पहचान दिलाने में भी भूमिका निभाई है।

प्रश्न: एक्सपो मार्ट को ग्लोबल बिजनेस और सोर्सिंग हब बनाने की दिशा में आपकी रणनीति क्या है?

उत्तर: एक्सपो मार्ट अब केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं, Complete Global Sourcing Hub है। हस्तशिल्प, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडसफूड और UPITS जैसे B2B आयोजन विश्व खरीदारों को भारतीय उत्पादकों से जोड़ते हैं। लक्ष्य है—भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचाना।

प्रश्न: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद क्या बदलाव आएगा?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए निकटतम एयरपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेवर

एयरपोर्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा ही नहीं, पूरे एनसीआर और आसपास के व्यापक क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा। इससे प्रदर्शनी, सम्मेलन, उद्योग, वैश्विक सोर्सिंग और निवेश को नई गति मिलेगी।

प्रश्न: क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ग्रेटर नोएडा दिल्ली के बजाय स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेस्टिनेशन बन सकता है?

उत्तर: इसे प्रतिस्पर्धा नहीं, पूरकता के रूप में देखना चाहिए। एयरपोर्ट का प्रभाव ग्रेटर नोएडा से आगे लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और जयपुर तक होगा। यह पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला मील का पत्थर बनेगा।

प्रश्न: UP International Trade Show की अब तक की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?

उत्तर: UPITS की शुरुआत 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन से जुड़े। सभी 75 जिलों के निर्माता, सेवा क्षेत्र, कारीगर और ODOP उद्यमी इसमें भाग लेते हैं तथा 100 से अधिक देशों से खरीदार आते हैं। यह उत्तर प्रदेश को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बन चुका है—“Ultimate Sourcing Begins Here” इसकी मूल भावना है।

प्रश्न: छोटे उद्यमों, ODOP और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में एक्सपो मार्ट की क्या भूमिका है?

उत्तर: MSME प्रमोशन एक्सपो मार्ट की मूल भावना है। यहां 900 से अधिक इकाइयां स्थायी रूप से काम कर रही हैं। छोटे उद्यमियों को विदेशों में मंहगे B2B आयोजनों में जाने के बजाय देश में ही वैश्विक खरीदारों तक पहुंच मिलती है। UPITS में 75 जिलों के ODOP उत्पाद, GI उत्पाद और महिला उद्यमियों को विशेष मंच मिलता है। 2026 में ODOC—One District One Cuisine के माध्यम से जिलों की विशिष्ट खाद्य परंपराओं को भी वैश्विक पहचान देने का प्रयास है।

प्रश्न: क्या भविष्य में डिजिटल एक्सपो, भौतिक एक्सपो का विकल्प बन सकता है?

उत्तर: दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हैं। कोविड के दौरान वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किए गए और आज भी उनका उपयोग होता है। लेकिन भौतिक उत्पाद को देखकर, छूकर और सामने बैठकर बातचीत करने का महत्व बना रहेगा। डिजिटल माध्यम उसकी पहुंच बढ़ाएगा, उसका स्थान नहीं लेगा।

प्रश्न: AI और नई तकनीक प्रदर्शनी उद्योग को किस तरह बदलेंगी?

उत्तर: तकनीक अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। AI कुछ पारंपरिक रोजगारों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन नए अवसर भी पैदा करेंगे। इतिहास बताता है कि कंप्यूटीकरण ने रोजगार खत्म करने के बजाय नए क्षेत्र खोले। जो तकनीक को प्रतिस्पर्धी नहीं, सक्षम उपकरण मानेगा, वही आगे बढ़ेगा।

प्रश्न: ग्रेटर नोएडा के विकास में इंडिया एक्सपो मार्ट का प्रभाव आप किस तरह देखते हैं?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र का प्रभाव परिसर से बाहर तक जाता है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, टैक्सी, आवास और स्थानीय सेवाओं का पूरा आर्थिक तंत्र इससे जुड़ा है। एक्सपो मार्ट ने लोगों को ग्रेटर नोएडा से परिचित कराया और निवेश, आवास, होटल व इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति रुचि बढ़ाई। यह क्षेत्र के आर्थिक इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रश्न: क्या होटल, परिवहन और MICE सुविधाओं में अभी और विस्तार की जरूरत है?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय इकोसिस्टम धीरे-धीरे बनता है। जब हम आए थे तो आसपास होटल नहीं थे; आज 10-15 किलोमीटर में करीब 20 बड़े होटल हैं। जेवर एयरपोर्ट के बाद यह विस्तार और तेज होगा। ग्रेटर नोएडा के अगले पांच वर्ष गेम चेंजर हो सकते हैं।

प्रश्न: मुंबई, दिल्ली, दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों के मुकाबले ग्रेटर नोएडा को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या चाहिए?

उत्तर: हर शहर की अपनी विशिष्टता होती है। ग्रेटर नोएडा की ताकत उसका विशाल क्षेत्रफल, हरित वातावरण, आधुनिक आधारभूत ढांचा और बड़े आयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान है। हमें इसी विशिष्टता को अपनी वैश्विक पहचान बनाना चाहिए।

प्रश्न: भारत को Global Sourcing Hub बनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

उत्तर: सबसे बड़ी चुनौतियों में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन हैं। वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक हब और कनेक्टिविटी मजबूत करनी होगी। यह पांच-दस वर्ष नहीं, बल्कि 15-20 वर्षों के सतत प्रयास का विषय है। भारत में क्षमता और मानव संसाधन दोनों हैं; जरूरत उत्पादन और सप्लाई चेन को उसी गति से सक्षम बनाने की है।

प्रश्न: भारतीय MSME को वैश्विक सप्लाई चेन में जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है?

उत्तर: शहरों के आसपास आधुनिक वेयरहाउसिंग, कम लागत पर भंडारण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधी कनेक्टिविटी जरूरी है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हम भी Expo Bazaar तथा Expo Digital India जैसे माध्यमों से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रश्न: भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग मिल रही है?

उत्तर: भारतीय हस्तशिल्प की वैश्विक पहचान है। पशमीना, नक्काशी, गुलाबी मीनाकारी और ODOP के अनेक उत्पादों में अपार संभावनाएं हैं। हमारे कारीगर वास्तव में “Magic of the Gifted Hands” हैं। जरूरत इस पहचान को व्यापक वैश्विक ब्रांड में बदलने की है।

प्रश्न: ई-कॉमर्स के बढ़ते दौर में ट्रेड फेयर की भूमिका क्या रहेगी?

उत्तर: ट्रेड फेयर और ई-कॉमर्स अलग लेकिन पूरक माध्यम हैं। ट्रेड फेयर B2B

मैचमेकिंग, उत्पाद चयन और कारोबारी समझौतों का मंच है, जबकि ई-कॉमर्स अलग कारोबारी मॉडल है। हर उत्पादक को दोनों माध्यमों का लाभ उठाना चाहिए।

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय टैरिफ और व्यापारिक नीतियों में बदलाव का भारतीय निर्यात पर कितना असर है?

उत्तर: वैश्विक व्यापार में जोखिम हमेशा रहेगा। हालिया टैरिफ विवाद केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। अंततः व्यापार पारस्परिक आवश्यकता पर आधारित है—खरीदार को अच्छा उत्पाद और उचित मूल्य चाहिए तथा विक्रेता को स्थिर बाजार। दीर्घकाल में संतुलित और स्थिर व्यापारिक संबंध ही दोनों के हित में हैं।

प्रश्न: क्या एक्सपो मार्ट अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है?

उत्तर: अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं। हम नए वर्टिकल, विशेषकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विकसित कर रहे हैं। हमारी गतिविधियां 58 एकड़ तक सीमित नहीं हैं। आज एक्सपो मार्ट एक परिसर नहीं, बल्कि Exhibition और Convention क्षेत्र का व्यापक ब्रांड और दर्शन है, जिसकी गतिविधियां मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, यशोभूमि और अब मोहाली तक फैल रही हैं। लगभग 25 वर्ष पहले बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है।

प्रश्न: आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर निर्णय कौन-सा रहा?

उत्तर: कन्वेंशन क्षेत्र में प्रवेश। शुरुआत में इसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन Exhibition के साथ Convention जुड़ने से संस्था को नई दिशा और व्यापक अवसर मिले।

प्रश्न: ग्रेटर नोएडा में बड़े वैश्विक आयोजनों के सामने प्रशासन और ट्रैफिक जैसी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं?

उत्तर: सभी व्यवस्थाएं परस्पर जुड़ी हैं। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। शासन, प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व और एजेंसियों के बीच विकास को लेकर सकारात्मक समन्वय दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियमित समीक्षा से भी बड़े आयोजनों के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है।

प्रश्न: यदि 25 वर्ष पहले वाले राकेश कुमार से आज मुलाकात हो तो उन्हें क्या सलाह देंगे?

उत्तर: मैं कहूंगा—“फिर प्रयास कीजिए और इससे भी बड़ा, इससे भी विशाल बनाइए।”

प्रश्न: विकसित भारत 2047 में ग्रेटर नोएडा और एक्सपो मार्ट की भूमिका आप किस रूप में देखते हैं?

उत्तर: ग्रेटर नोएडा का बड़ा स्वरूप अभी सामने आना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक्सपो सेंटर, होटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स, हाईवे और अन्य वैश्विक सुविधाएं यहां एक साथ विकसित हो रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को एक समग्र आर्थिक भूगोल के रूप में देखें तो यह भविष्य में देश के विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में शामिल हो सकता है।

क्या ग्रेटर नोएडा अगला Global Business Hub है?

डॉ. राकेश कुमार की बातचीत का सार केवल एक्सपो मार्ट की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस व्यापक आर्थिक परिवर्तन में है जो ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में आकार ले रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिया एक्सपो मार्ट, UPITS, MSME, ODOP, Global Sourcing और MICE—ये अलग-अलग परियोजनाएं नहीं, बल्कि एक-दूसरे को गति देने वाले आर्थिक पहिए हैं।

अगले पांच से दस वर्ष तय करेंगे कि ग्रेटर नोएडा एनसीआर का आधुनिक शहर भर रहेगा या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, प्रदर्शनी, सोर्सिंग और रोजगार का ऐसा केंद्र बनेगा जिसकी पहचान दिल्ली से अलग, अपने दम पर वैश्विक होगी। डॉ. राकेश कुमार के शब्दों में—“ग्रेटर नोएडा का ग्रेटर वर्जन अभी आना बाकी है।” यही इस बातचीत का निष्कर्ष भी है और आने वाले दशक की सबसे बड़ी संभावना भी। ■



दिल्ली से जेवर और फिर लखनऊ तक जापान की दस्तक

क्या यमुना पट्टी बनने जा रही है

भारत-जापान औद्योगिक साझेदारी का नया द्वार?

₹ 3,191 करोड़ की परियोजनाएं, 10 हजार से अधिक संभावित रोजगार और 500 एकड़ की 'जापान सिटी'—जापानी प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश यात्रा में छिपा है एक बड़े औद्योगिक भूगोल के निर्माण का संकेत, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में जापानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को केवल निवेश प्रस्तावों, औपचारिक बैठकों और परियोजनाओं के शुभारंभ तक सीमित करके देखना इस घटनाक्रम के व्यापक अर्थ को छोटा कर देना होगा। दिल्ली से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक क्षेत्र, जेवर, आगरा और लखनऊ तक पहुंची यह यात्रा दरअसल कूटनीति से अर्थनीति और अर्थनीति से औद्योगिक साझेदारी की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान अब उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक निवेशक नहीं, बल्कि तकनीक, विनिर्माण, कौशल, आपूर्ति-श्रृंखला, पर्यटन और दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग का संभावित साझेदार बनकर उभर रहा है।

यमुना पट्टी पर क्यों टिकी जापान की नजर?

19 अगस्त को यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन से जुड़ी तीन परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ हुआ। इन परियोजनाओं में लगभग ₹3,191 करोड़ के संयुक्त निवेश और 10 हजार से अधिक रोजगार की संभावना जताई गई है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यीडा के सेक्टर-10 में लगभग ₹2,025 करोड़ के निवेश से ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण केंद्र

विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे करीब 3,800 से अधिक रोजगार की संभावना है। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में लगभग ₹1,166 करोड़ की दो परियोजनाएं विकसित करने जा रही हैं, जिनसे करीब 6,440 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यहां असली महत्व केवल निवेश की राशि का नहीं है। एक कारखाना निवेश होता है, लेकिन कई उद्योगों का एक साथ आना औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ट्रैक्टर और मशीनरी उद्योग के साथ कल-पुर्जे बनाने वाली इकाइयां, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, तकनीकी सेवाएं, परीक्षण केंद्र और कौशल प्रशिक्षण संस्थान विकसित होते हैं। यानी एक बड़ी विनिर्माण इकाई के पीछे पूरा आर्थिक भूगोल आकार ले सकता है।



500 एकड़ की 'जापान सिटी'—जमीन से कहीं बड़ा विचार

यीडा क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ की जापान सिटी विकसित करने की योजना इसी व्यापक औद्योगिक सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स, एन्सिलरी उद्योगों और सहायक संस्थानों के लिए एकीकृत औद्योगिक आधार तैयार करना है। यदि यह परिकल्पना अपनी पूरी क्षमता के साथ जमीन पर उतरती है, तो इसका प्रभाव 500 एकड़ की सीमा से बहुत आगे जाएगा। बड़ी विनिर्माण इकाई के साथ उसके सप्लायर आते हैं, सप्लायर के साथ तकनीकी सेवाएं आती हैं और फिर प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग पैदा होती है। इसके साथ आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खान-पान और अन्य सेवाओं का बाजार भी विस्तार पाता है। यही जापान सिटी का वास्तविक महत्व है—यह केवल औद्योगिक भूखंडों का समूह नहीं, बल्कि एक नए आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना है।

जेवर एयरपोर्ट बनेगा तीसरा स्तंभ

यमुना क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को नई गति देने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है—नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर। यीडा क्षेत्र और प्रस्तावित जापान सिटी को एयरपोर्ट के निकट विकसित करने की सोच के पीछे स्पष्ट रणनीतिक कारण है। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली-

एनसीआर से जोड़ता है, माल परिवहन के लिए रेल एवं फ्रेट कनेक्टिविटी व्यापक संभावनाएं खोलती है और जेवर एयरपोर्ट वैश्विक हवाई संपर्क का नया द्वार बन रहा है। इस प्रकार सड़क, रेल-माल दुलाई और हवाई संपर्क का संगम यमुना क्षेत्र को केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और निर्यात के संभावित वैश्विक गलियारों में बदल सकता है।

लखनऊ से जेवर तक—एक ही आर्थिक कथा

यदि निवेश का प्रमुख केंद्र यमुना क्षेत्र है, तो जापानी प्रतिनिधिमंडल की लखनऊ यात्रा भी महत्वपूर्ण है। निवेश केवल जमीन देखकर नहीं आता। निवेशक को नीति, प्रशासन, कौशल, कानून-व्यवस्था, निवेश सुविधा और दीर्घकालिक स्थिरता का भरोसा चाहिए।

लखनऊ नीति और शासन का केंद्र है, जबकि यमुना क्षेत्र उसके औद्योगिक भविष्य का उभरता चेहरा। इसी यात्रा में आगरा और आगे वाराणसी-सारनाथ जैसे सांस्कृतिक स्थलों का महत्व भी कम नहीं है। ताजमहल, अवध की संस्कृति और सारनाथ की बौद्ध विरासत उत्तर प्रदेश को जापान के सामने केवल निवेश की भूमि नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता और आधुनिक अर्थव्यवस्था के संगम के रूप में प्रस्तुत करती है। विशेषकर सारनाथ भारत-जापान के सांस्कृतिक संबंधों का महत्वपूर्ण पुल है। पर्यटन, वेलनेस और बौद्ध पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं इस आर्थिक साझेदारी को और व्यापक बना सकती हैं।

भारत-जापान संबंधों की अगली कड़ी

भारत-जापान आर्थिक संबंध आज की शुरुआत नहीं हैं। जापान भारत के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक गलियारों और शहरी परिवहन के विकास में लंबे समय से महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से लेकर मेट्रो परियोजनाओं तक जापानी वित्त और तकनीकी सहयोग की भूमिका रही है। इसी दीर्घकालिक साझेदारी की अगली कड़ी अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अंतर यह है कि इस बार फोकस केवल किसी एक परियोजना पर नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर दिखाई देता है।

जापान से पूंजी के साथ कार्य-संस्कृति भी

जापान की वास्तविक ताकत केवल उसकी पूंजी नहीं है। उसकी पहचान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण, तकनीकी दक्षता, निरंतर सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, कम अपव्यय, अनुशासन और समयबद्ध उत्पादन संस्कृति से बनी है। यदि जापानी कंपनियों के साथ यह कार्य-संस्कृति भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में गहराई से आती है, तो उसका प्रभाव निवेश की राशि से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। एक परियोजना हजारों लोगों को रोजगार दे सकती है, लेकिन बेहतर कौशल और कार्य-संस्कृति आने वाली पीढ़ियों की उत्पादकता बदल सकती है।

यही कारण है कि 10 हजार संभावित रोजगार से भी बड़ा प्रश्न है—क्या स्थानीय युवाओं को आवश्यक तकनीकी कौशल मिलेगा और क्या स्थानीय एमएसएमई जापानी कंपनियों की आपूर्ति-श्रृंखला का हिस्सा बन पाएंगे?

गौतमबुद्ध नगर और यीडा के लिए बड़ा अवसर

नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर और अन्य उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। यदि जापान सिटी के साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योग समानांतर रूप से विकसित होते हैं, तो यमुना क्षेत्र का आर्थिक चरित्र तेजी से बदल सकता है। इसका असर केवल औद्योगिक भूखंडों तक सीमित नहीं रहेगा। रोजगार बढ़ेगा, आवास और परिवहन की मांग बढ़ेगी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था भी नए अवसरों से जुड़ेगी। आज का औद्योगिक क्षेत्र कल बहुस्तरीय आर्थिक क्षेत्र बन सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है—निवेश की घोषणा और वास्तविक उत्पादन में अंतर होता है। भूमि, स्वीकृतियां, निर्माण, मशीनरी, बिजली-पानी, कुशल श्रम और आपूर्ति-श्रृंखला जैसी अनेक सीढ़ियों पर करने के बाद ही निवेश वास्तविक रोजगार और उत्पादन में बदलता है। इसलिए आने वाले 24 से 48 महीने इस औद्योगिक विश्वास की वास्तविक परीक्षा होंगे।

गंद अब उत्तर प्रदेश के पाले में

जापान ने रुचि दिखाई है। कंपनियों ने निवेश की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ₹3,191 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। 10 हजार से अधिक रोजगार की संभावना सामने आई है और 500 एकड़ की जापान सिटी की परिकल्पना सामने रखी गई है।

अब सवाल उत्तर प्रदेश से है—

क्या घोषणा कारखाने में बदलेगी? क्या कारखाना रोजगार में बदलेगा? क्या रोजगार कौशल में बदलेगा?

और क्या कौशल वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ताकत बनेगा?

यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक रहे, तो 2026 की यह जापानी यात्रा महज एक निवेश यात्रा नहीं, बल्कि यमुना क्षेत्र के औद्योगिक इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत केवल मशीनों से नहीं होती—वह भरोसे से शुरू होती है।

और आज उत्तर प्रदेश जापान से यही भरोसा मांग रहा है—“उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा औद्योगिक घर बनाइए।” यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे उभरती औद्योगिक तस्वीर शायद इसी भरोसे का पहला उत्तर है—“निवेश अब रास्ते में नहीं, जमीन पर उतरने की तैयारी में है।” ■



2047 का विकसित भारत

विकसित राजधानी दिल्ली

बदलते सामाजिक स्वप्नों का जीवंत प्रतिबिंब है। देश जब 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी का उत्सव मनाएगा, तब दिल्ली कैसी होगी—इस प्रश्न का उत्तर अब केवल कल्पना में नहीं, बल्कि दिल्ली मास्टर प्लान-2047 के रूप में सामने आने लगा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जारी मास्टर प्लान राजधानी के भविष्य की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें बढ़ती आबादी, आवास की आवश्यकता, सार्वजनिक परिवहन, रोजगार, पर्यावरण, झुग्गी पुनर्वास और शहरी अर्थव्यवस्था को एक साथ साधने का प्रयास दिखाई देता है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली की आबादी लगभग 3.20 करोड़ तक पहुंच सकती है। इतनी विशाल आबादी केवल संख्या नहीं है; यह आवास, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण पर पड़ने वाले असाधारण दबाव का संकेत है। इसलिए 2047 की दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अधिक निर्माण करना नहीं, बल्कि बेहतर, संतुलित और टिकाऊ शहर बनाना है।

40 लाख घरों की जरूरत—शहर के विस्तार से अधिक जीवन की गुणवत्ता का सवाल

मास्टर प्लान-2047 में दिल्ली में लगभग 30 से 40

लाख नए फ्लैट तैयार करने की दिशा तय की गई है। यह लक्ष्य अपने आप में दिल्ली के भविष्य के आवासीय संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है। लेकिन लाखों घरों का निर्माण केवल ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का विस्तार नहीं होना चाहिए। हर आवास के साथ सड़क, पार्क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, सार्वजनिक परिवहन और नागरिक सुविधाओं का समानांतर विकास आवश्यक है।

यही कारण है कि भविष्य की दिल्ली के लिए आवास नीति को परिवहन और रोजगार नीति से जोड़ने पर बल दिया गया है। यदि घर शहर के एक छोर पर और रोजगार दूसरे छोर पर होगा तो मकानों की संख्या बढ़ने के बावजूद नागरिकों का जीवन यातायात के जाल में उलझा रहेगा। इस दृष्टि से मास्टर प्लान का वास्तविक मूल्य केवल कितने मकान बनेंगे, इसमें नहीं बल्कि वे किस प्रकार के शहर का निर्माण करेंगे, इसमें निहित है।

मेट्रो से आगे बढ़ता सार्वजनिक परिवहन का विराट नेटवर्क

दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली मेट्रो को 2047 तक लगभग 695 किलोमीटर तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ बस परिवहन और छह नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी है।

यह बदलाव दिल्ली को केवल एक मेट्रो-निर्भर शहर से आगे ले जाकर एक बहुस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की ओर ले जा सकता है। आनंद विहार जैसे प्रमुख स्थानों पर मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब की परिकल्पना इसी सोच का हिस्सा है, जहां अलग-अलग परिवहन साधनों को एक-दूसरे से जोड़ा जा सके। यमुना किनारे लगभग 52 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक की योजना भी राजधानी में गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य की सफल राजधानी वह नहीं होगी जहां हर परिवार के पास अधिक वाहन हों, बल्कि वह होगी जहां नागरिक को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए निजी वाहन की आवश्यकता ही कम पड़े।

24x7 दिल्ली : बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप बदलता शहर

दिल्ली का पारंपरिक शहर दिन में सक्रिय और रात में अपेक्षाकृत शांत रहने वाला शहर रहा है। लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, पर्यटन, मनोरंजन और वैश्विक कारोबार की बदलती आवश्यकताओं ने इस अवधारणा को चुनौती दी है।

मास्टर प्लान में कुछ क्षेत्रों और बाजारों को 24x7 सिटी के रूप में विकसित करने तथा ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक

परिवहन, विशेषकर मेट्रो की चौबीसों घंटे उपलब्धता पर विचार किया गया है। यह प्रयोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। मगर इसके साथ सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पुलिसिंग, स्वच्छता और रात्रिकालीन सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्थाओं को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी।

24 घंटे का शहर केवल 24 घंटे खुली दुकानें नहीं, बल्कि 24 घंटे सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन का शहर होना चाहिए।

जहां झुग्गी, वहीं सम्मानजनक आवास

दिल्ली के विकास की सबसे बड़ी कसौटियों में से एक उसकी झुग्गी-बस्तियां हैं। राजधानी के चमकते व्यावसायिक क्षेत्रों और आलीशान आवासीय परिसरों के बीच लाखों लोगों का असंगठित और असुरक्षित आवासों में रहना शहरी विकास के सामने एक गंभीर प्रश्न है। मास्टर प्लान में 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' की अवधारणा के अंतर्गत तीन विकल्पों पर बल दिया गया है—जहां झुग्गी है, वहीं आवास उपलब्ध कराना; आवश्यकता के अनुसार दूसरी जगह पुनर्वास करना; अथवा संबंधित क्षेत्र का समग्र पुनर्विकास करना।

यह दृष्टिकोण केवल पुनर्वास की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शहर के सबसे कमजोर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान देने की परीक्षा है।

यदि 2047 की दिल्ली वास्तव में विकसित राजधानी बनना चाहती है तो उसके विकास का पैमाना केवल गगनचुंबी इमारतें नहीं, बल्कि यह भी होना चाहिए कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितनी गरिमा के साथ जीवन जी रहा है।

सड़क किनारे कारोबार को मिलेगी नई जगह

रिहायशी क्षेत्रों में 30 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति का प्रस्ताव दिल्ली के बदलते शहरी चरित्र को स्वीकार करता है। यह व्यवस्था यदि सुव्यवस्थित ढंग से लागू होती है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार और सेवाओं के अवसर बढ़ सकते हैं। नागरिकों को दैनिक जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन यहां भी नियमन महत्वपूर्ण होगा। व्यापारिक गतिविधियों के साथ पार्किंग, पैदल मार्ग, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को संतुलित करना होगा। अन्यथा सुविधा के नाम पर सड़कें फिर अतिक्रमण और जाम का शिकार हो सकती हैं।

ऊंची इमारतों से नई अर्थव्यवस्था तक

मास्टर प्लान में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भवनों की ऊंचाई संबंधी पाबंदियों को हटाने की दिशा भी दिखाई देती है।

यह दिल्ली में ऊर्ध्वाधर विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। जब भूमि सीमित हो और आबादी लगातार बढ़ रही हो, तब हर दिशा में शहर फैलाने के बजाय नियोजित रूप से ऊपर की ओर विकास करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। इसी के साथ डेटा सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और क्लाउड किचन जैसी गतिविधियों को नई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल करना इस बात का संकेत है कि दिल्ली का भविष्य केवल सरकारी कार्यालयों और पारंपरिक बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। 2047 की राजधानी में डेटा, डिजिटल कारोबार, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियां।

पर्यावरण : विकास की कीमत नहीं, विकास की शर्त

दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता केवल बढ़ती आबादी नहीं, बल्कि प्रदूषण, जल संकट, गर्मी, यातायात और घटता हरित क्षेत्र भी है। ऐसे समय में यमुना के बाढ़ क्षेत्र और रिज क्षेत्र के लगभग 180 वर्ग किलोमीटर हिस्से के संरक्षण की बात मास्टर प्लान को केवल निर्माण-केंद्रित दस्तावेज बनने से बचाती है। यमुना दिल्ली की भौगोलिक पहचान भर नहीं है। वह राजधानी के पारिस्थितिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए यमुना के बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण किसी विकास-विरोधी नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की दिल्ली को जलवायु संकट से बचाने की अनिवार्य शर्त है।

इसी तरह रिज क्षेत्र दिल्ली के फेफड़ों की भूमिका निभाता है। यदि राजधानी को 2047 तक रहने योग्य बनाए रखना है तो हरित क्षेत्र और जल निकायों का संरक्षण विकास की कीमत नहीं, विकास की पहली शर्त होना चाहिए।

कम आबादी वाले क्षेत्रों में नियंत्रित विकास

मास्टर प्लान में कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए भी स्पष्ट नियोजन की बात की गई है। आंतरिक सड़कों के लिए 18 मीटर और मास्टर ट्रंक रोड के लिए 45 मीटर राइट ऑफ वे का प्रावधान प्रस्तावित है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कारण प्रभावित भूखंडों के लिए टीडीआर और एफएआर जैसे प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। साथ ही कम आबादी वाले क्षेत्रों में फार्म हाउस बनाने की अनुमति नहीं देने की बात भी सामने आई है। इसका मूल संदेश स्पष्ट है—दिल्ली का भविष्य अनियंत्रित भू-उपयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित भूमि प्रबंधन में है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट : स्टेशन के आसपास नया शहर

मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण पक्ष ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी है। इसका उद्देश्य मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास आवास, कार्यालय, दुकानें और बाजार विकसित करना है। इससे दोहरे लाभ की संभावना है। पहला, नागरिकों को घर और रोजगार के बीच लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा और निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी। किरायाती आवास को टीओडी के साथ जोड़ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि सार्वजनिक परिवहन के आसपास केवल महंगे आवास और व्यावसायिक परिसर विकसित हुए तो शहर का आर्थिक विभाजन और गहरा सकता है। इसलिए स्मार्ट सिटी के साथ समावेशी सिटी बनाना आवश्यक होगा।

2047 की दिल्ली : इमारतों से बड़ी एक अवधारणा

दिल्ली मास्टर प्लान-2047 को केवल जमीन के उपयोग, सड़कों और इमारतों का दस्तावेज मानना इसकी व्यापकता को कम करके आंकना होगा। यह वास्तव में उस दिल्ली की परिकल्पना है जहां आवास और रोजगार पास हों, परिवहन सहज हो, झुग्गी में रहने वाले को सम्मानजनक घर मिले, नदी और जंगल सुरक्षित रहें, नई अर्थव्यवस्था को स्थान मिले और शहर चौबीसों घंटे सक्रिय रहने की क्षमता विकसित करे।

लेकिन किसी भी मास्टर प्लान की सफलता उसके दस्तावेज में नहीं, उसके क्रियान्वयन में होती है। योजनाएं तभी इतिहास बनती हैं जब वे कागज से निकलकर जमीन पर उतरती हैं। 2047 की दिल्ली के सामने इसलिए केवल विकास का लक्ष्य नहीं, बल्कि संतुलित विकास का दायित्व है। उसे ऐसा शहर बनना होगा जहां आधुनिकता और पर्यावरण आमने-सामने न हों, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में टकराव न हो तथा तकनीक और मानवीय संवेदना एक-दूसरे की पूरक बनें। भारत जब अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब दुनिया दिल्ली को केवल भारत की राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि नए भारत की शहरी क्षमता, प्रशासनिक दूरदृष्टि और विकास मॉडल के प्रतीक के रूप में देखे—यही 2047 के मास्टर प्लान की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि विकसित भारत की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होगी; उसकी असली पहचान उस राजधानी से होगी जिसमें विकास की ऊंचाई के साथ जीवन की गुणवत्ता भी उतनी ही ऊंची हो। ■

आरक्षण : अधिकार, आवश्यकता और सुधार की अनिवार्यता

जं तर-मंतर की आवाज से उठता बड़ा सवाल—क्या सामाजिक न्याय की व्यवस्था को अब आंकड़ों, उपलब्धियों और बदलते भारत की कसौटी पर कसने का समय आ गया है? भारत में आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि उस सामाजिक इतिहास का संवैधानिक उत्तर है जिसमें जन्म, सामाजिक हैसियत और अवसरों की असमानता ने करोड़ों लोगों की दिशा तय की। इसलिए आरक्षण पर बहस करते समय इतिहास को नकारना उतना ही अनुचित है, जितना इतिहास के नाम पर वर्तमान व्यवस्था को हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय मान लेना। अगस्त 2026 में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर उठी आवाजों ने इसी पुराने प्रश्न को नए संदर्भ में सामने रखा है। आर्थिक आधार, लाभ के अधिक न्यायपूर्ण वितरण और व्यवस्था की समीक्षा की मांगें उठीं, तो दूसरी ओर आरक्षण समर्थकों ने इसे वंचित समुदायों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए किसी भी प्रकार के कमजोर किए जाने का विरोध किया। इसलिए प्रश्न अब केवल “आरक्षण रहे या न रहे?” का नहीं है। असली प्रश्न है—“आरक्षण किसके लिए, कितने समय तक, किस आधार पर और किस परिणाम की प्राप्ति तक?”

संविधान और आरक्षण : समीक्षा का अधिकार भी, सामाजिक न्याय का दायित्व भी

आरक्षण को लेकर एक सामान्य भ्रम है कि संविधान ने सभी प्रकार के आरक्षण को केवल दस वर्ष के लिए लागू किया था। वास्तव में अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की अवधि प्रारंभ में सीमित थी, जिसे बाद के संवैधानिक संशोधनों से बढ़ाया गया। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में यह अवधि संविधान लागू होने से 80 वर्ष तक की गई है।

इसके विपरीत शिक्षा और सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में ऐसी कोई सामान्य दस-वर्षीय समाप्ति की शर्त नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 340 स्वयं पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की व्यवस्था करता है।

अर्थात् आवश्यकता संविधान को कठघरे में खड़ा करने की नहीं, बल्कि संवैधानिक भावना के भीतर आरक्षण की प्रभावशीलता, लक्ष्य-प्राप्ति और लाभ के वितरण का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करने की है।

आरक्षण का उद्देश्य : बराबर परिणाम नहीं, बराबर अवसर

समानता का अर्थ हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक जैसा अवसर देना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को दौड़ की शुरुआत से ही सौ मीटर पीछे खड़ा किया गया हो और दूसरे को शुरुआती रेखा पर, तो दोनों से समान गति से दौड़ने की अपेक्षा वास्तविक समानता नहीं होगी। आरक्षण का मूल दर्शन इसी समतामूलक न्याय से जुड़ा

है—ऐसे समुदायों को अवसर देना जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण लंबे समय तक पीछे रहे। इसलिए इसे केवल “मेरिट बनाम आरक्षण” के चश्मे से देखना अधूरा है। लेकिन यह मान लेना भी उचित नहीं कि आरक्षण का हर वर्तमान स्वरूप हमेशा न्यायपूर्ण रहेगा। किसी नीति की सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि उसने असमानता कितनी कम की, न कि वह कितने वर्षों से चल रही है।

क्या आरक्षण ने अपना काम किया है? इसका उत्तर न पूरी तरह “हां” है, न “नहीं”। आरक्षण ने अनेक वंचित समुदायों को शिक्षा, सरकारी सेवाओं, राजनीति और सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर दिया है। इसके बिना आज का प्रतिनिधित्व संभवतः इतना व्यापक नहीं होता। लेकिन इसके साथ एक असहज प्रश्न भी है—क्या आरक्षण का लाभ संबंधित समुदायों के भीतर समान रूप से पहुंचा? यदि किसी आरक्षित वर्ग का आर्थिक रूप से सक्षम, उच्च शिक्षित और कई पीढ़ियों से अवसर प्राप्त परिवार लगातार लाभ लेता रहे और उसी समुदाय का सबसे गरीब परिवार पीछे रह जाए, तो लाभ के वितरण की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। यही अंतर “आरक्षण का विरोध” और “आरक्षण सुधार” के बीच है। सुधार का अर्थ अधिकार छीनना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जिसका हक है, उसे वह वास्तव में मिले।



जाति बनाम गरीबी : दोनों को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता

गरीबी जाति देखकर नहीं आती। फीस, किताबें, कोचिंग, आवास, डिजिटल सुविधा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गरीब विद्यार्थी के लिए किसी भी सामाजिक समूह में कठिन हो सकती है। लेकिन गरीबी आर्थिक पिछड़ापन है, जबकि जातिगत भेदभाव सामाजिक संरचना का प्रश्न है। इसलिए केवल आय को जातिगत वंचना का विकल्प मानना भी उचित नहीं होगा। भविष्य की नीति को सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक स्थिति, वास्तविक आर्थिक कमजोरी और प्रतिनिधित्व—इन सभी को आंकड़ों के आधार पर देखने की जरूरत है। इसी संदर्भ में 2019 के 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक कमजोरी भी सार्वजनिक नीति में वैध विचार का आधार हो सकती है।

“मेरिट” की बहस : संतुलन जरूरी

“40 अंक वाला डॉक्टर बन रहा है और 80 अंक वाला बाहर हो रहा है”—ऐसे उदाहरण भावनात्मक प्रभाव जरूर पैदा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन केवल कटऑफ से नहीं किया जा सकता। सीटों की संख्या, श्रेणीवार नियम, परीक्षा की कठिनाई, संस्थानों की उपलब्धता और काउंसिलिंग जैसे अनेक तत्व परिणाम को प्रभावित करते हैं। फिर भी मूल प्रश्न महत्वपूर्ण है—क्या सामाजिक न्याय और पेशेवर गुणवत्ता दोनों सुरक्षित रह सकते हैं? निश्चित रूप से रहना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश और प्रशासक केवल किसी सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि राष्ट्र की संस्थागत क्षमता के वाहक हैं। इसलिए आरक्षण और दक्षता को एक-दूसरे का विरोधी बनाना उचित नहीं।

क्रीमी लेयर और आरक्षित वर्गों के भीतर असमानता

अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा पहले से मौजूद है। अनुसूचित जातियों के संदर्भ में प्रश्न अधिक जटिल है। 2024 के State of Punjab v. Davinder Singh मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की संवैधानिक संभावना को स्वीकार किया, ताकि अपेक्षाकृत अधिक वंचित समूहों तक लाभ पहुंचाया जा सके। यह निर्णय इस व्यापक विचार को बल देता है कि सामाजिक न्याय स्थिर तस्वीर नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने वाली व्यवस्था है। यदि किसी आरक्षित श्रेणी के भीतर भी गहरी असमानता मौजूद है, तो उसे अनदेखा करना स्वयं सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।

सबसे बड़ी जरूरत : आंकड़े

आरक्षण पर बहस में भावनाएं बहुत हैं, लेकिन सबसे

जरूरी हथियार आंकड़े हैं। जाति, शिक्षा, आय, रोजगार, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व और पीढ़ीगत लाभ के समेकित एवं सार्वजनिक आंकड़ों के अभाव में यह तय करना कठिन है कि आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे और कितना मिला। सरकार ने संसद में बताया है कि स्वतंत्रता के बाद जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों की जातिवार जनसंख्या नियमित रूप से नहीं गिनी गई। 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के जाति संबंधी आंकड़े भी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुए। जब व्यवस्था का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, तो उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन पर्याप्त आंकड़ों के बिना कैसे होगा? इसलिए आरक्षण सुधार का पहला कदम आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि डेटा-संपन्न और पारदर्शी आरक्षण नीति बनाना होना चाहिए।

50 प्रतिशत की सीमा और संवैधानिक संतुलन

इंद्रा साहनी फैसले से विकसित न्यायिक व्यवस्था में सामान्यतः आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा को महत्वपूर्ण माना गया है, हालांकि असाधारण परिस्थितियों में अपवाद की गुंजाइश भी स्वीकार की गई है। इसलिए न तो 50 प्रतिशत को हर परिस्थिति में पत्थर की लकीर मानना उचित है और न इसे पूरी तरह अप्रासंगिक समझना। भारत की विविध सामाजिक संरचना को देखते हुए संतुलित और प्रमाण-आधारित नीति ही रास्ता हो सकती है। सिर्फ आरक्षण बदलने से सामाजिक न्याय नहीं आएगा यदि गरीब बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, किताबें, पोषण, इंटरनेट, डिजिटल सुविधा, मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के संसाधन नहीं हैं, तो केवल परीक्षा के दिन उसे आरक्षण या गैर-आरक्षण श्रेणी में डालने से मूल असमानता समाप्त नहीं होगी।

इसलिए आरक्षण के साथ शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति, पोषण, डिजिटल पहुंच, कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा अनिवार्य हैं। आरक्षण असमानता की अंतिम दवा नहीं, बल्कि उसके उपचार का एक उपकरण है।

आरक्षण सुधार का संभावित मॉडल

भारत को “आरक्षण समाप्त करो” और “आरक्षण को छुओ मत”—इन दो अतियों से बाहर निकलना होगा। एक संतुलित मॉडल में पांच बातें विचारणीय हो सकती हैं—

पहला, हर दस वर्ष में अनिवार्य सामाजिक-आर्थिक समीक्षा हो। दूसरा, आरक्षित वर्गों के भीतर अत्यंत वंचित समूहों तक लाभ पहुंचाने के लिए आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण पर विचार हो। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जाति से परे छात्रवृत्ति, फीस सहायता और शैक्षिक अवसर मजबूत किए जाएं। चौथा, कई पीढ़ियों से लाभ प्राप्त कर चुके परिवारों की स्थिति और लाभ के पीढ़ीगत वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन हो। पांचवां, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका और अत्यधिक कौशल

वाले क्षेत्रों में न्यूनतम दक्षता मानकों से कोई समझौता न हो।

जंतर-मंतर से संसद तक

आरक्षण पर उठी हर आवाज को केवल “आरक्षण विरोध” कहकर खारिज करना गलत होगा और हर विरोध को आरक्षण समाप्त करने की मांग मान लेना भी।

21-22 अगस्त 2026 के प्रदर्शनों ने आर्थिक आधार, लाभार्थियों के अधिक न्यायपूर्ण चयन और व्यवस्था में सुधार जैसे प्रश्नों को सामने रखा। दूसरी ओर आरक्षण समर्थक इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। यह टकराव बताता है कि प्रश्न अब दबाया नहीं जा सकता।

लेकिन आंदोलन की सफलता नारों या भीड़ से नहीं, तर्क, आंकड़ों और नीति-निर्माण की क्षमता से तय होगी। जंतर-मंतर से उठी आवाज यदि संसद तक यह संदेश पहुंचाए कि—

“आरक्षण समाप्त करो” नहीं,

“आरक्षण को न्यायपूर्ण, लक्षित, पारदर्शी और समय-समय पर समीक्षा योग्य बनाओ।”—तो बहस कहीं अधिक गंभीर और रचनात्मक हो सकती है।

अंतिम सवाल : आरक्षण कब तक? ईमानदार उत्तर यही है कि जब तक सामाजिक और प्रतिनिधित्व संबंधी वास्तविक असमानताएं बनी हुई हैं, तब तक सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है। लेकिन साथ ही यह प्रश्न भी जरूरी है—यदि दशकों बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि लाभ किसे मिला, कितना मिला और कौन अब भी वंचित है, तो समीक्षा कब होगी?

भारत को आरक्षण पर भावनात्मक युद्ध नहीं, नीतिगत पुनर्जागरण चाहिए। जाति को नकारना समाधान नहीं। गरीबी को नकारना भी समाधान नहीं। मेरिट को अपमानित करना समाधान नहीं। इतिहास को भूल जाना समाधान नहीं और इतिहास को अनंत दंड में बदल देना भी समाधान नहीं। समाधान उस भारत की तलाश में है जहां किसी बच्चे की नियति जन्म से तय न हो, गरीब की गरीबी उसके अवसरों की कमी न बने, सामाजिक न्याय का लाभ कुछ परिवारों तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी सीमित न रहे और प्रतिभा को अवसर मिले—साथ ही अवसरों की असमान शुरुआती रेखा को भी ईमानदारी से स्वीकार किया जाए। आरक्षण की अंतिम मंजिल उसका अनंत विस्तार नहीं, बल्कि ऐसा समाज होना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता धीरे-धीरे कम होती जाए। और शायद जंतर-मंतर से उठता सबसे बड़ा सवाल भी यही है—“आरक्षण रहेगा या नहीं?” से आगे बढ़कर अब देश को पूछना चाहिए—“आरक्षण ऐसा कैसे हो कि न्याय भी बचे, अवसर भी बढ़ें और समाज भी न टूटे?” क्योंकि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि आरक्षण हमेशा चलता रहे; उसकी सबसे बड़ी सफलता यह होगी कि एक दिन समाज को आरक्षण की आवश्यकता ही कम से कम पड़ने लगे। ■

युवा आक्रोश का सैलाब

राजनीति की सीढ़ी बनेगा या राष्ट्र-निर्माण की शक्ति?



भारत की सड़कों पर इन दिनों जो बेचैनी दिखाई दे रही है, उसे केवल किसी एक आंदोलन, राजनीतिक दल या मुद्दे के चरम से देखना उचित नहीं होगा। यह उस पीढ़ी की बेचैनी है, जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के बीच बड़ी हुई है, जिसने सूचना को अपनी हथेली पर पाया और जिसने व्यवस्था से सवाल पूछना सीखा है। यह जेन-जी है—जिसके पास धैर्य कम, प्रश्न अधिक हैं; परंपरागत राजनीतिक भाषा पर भरोसा कम और डिजिटल संवाद पर विश्वास अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बेहद सजग और बेचैन है।

नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन इसी बेचैनी का एक उदाहरण बना। परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठे सवालों ने यह स्पष्ट किया कि डिजिटल युग के युवा को लंबे समय तक अनसुना करना आसान नहीं है। आंदोलन के दबाव के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 25 जुलाई 2026 को इस्तीफे ने इस बहस को और व्यापक बना दिया। यह केवल एक मंत्री के इस्तीफे की घटना नहीं,

बल्कि उस बदलते लोकतांत्रिक परिदृश्य का संकेत है जिसमें युवा अपनी आवाज को निर्णायक मानने लगा है।

जंतर-मंतर बना लोकतंत्र का आईना

भारतीय लोकतंत्र में जंतर-मंतर महज एक स्थान नहीं, बल्कि सत्ता और समाज के बीच संवाद का प्रतीक रहा है। आज यहां शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता से लेकर आरक्षण सुधार तक कई प्रश्नों की गूंज सुनाई दे रही है। 21 अगस्त 2026 को आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर से हटकर रामलीला मैदान जाने को कहा, क्योंकि वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। यहां मूल प्रश्न कानून-व्यवस्था से आगे जाता है—क्या लोकतंत्र में असहमति को केवल समस्या माना जाए या उसे नीति-सुधार के लिए मिले जनादेश की तरह भी सुना जाए? निस्संदेह, हर आंदोलन को कानून और निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन उतना ही जरूरी है कि राज्य असहमति के लिए संस्थागत संवाद के रास्ते खुले रखे। क्योंकि दबाई गई आवाज समाप्त नहीं होती, कई बार वह और अधिक तीव्र होकर लौटती है।

आरक्षण : विरोध नहीं, पुनर्विचार की बहस

भारत में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों को अवसर की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। संविधान निर्माताओं के सामने सदियों की सामाजिक विषमता को कम करने की चुनौती थी। इसलिए आरक्षण सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन बना। लेकिन सात दशक से अधिक समय में भारत की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिस्थितियां काफी बदली हैं। इसलिए आज आरक्षण की बहस को केवल समर्थन बनाम विरोध के दो खानों में बांटना समाधान नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? क्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के आधुनिक मानकों पर भी विचार किया जा सकता है? क्या व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है? और क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अवसर की समानता का सबसे बड़ा आधार बनाया जा सकता है? इन प्रश्नों पर मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में प्रश्न देशद्रोह नहीं होते; प्रश्न लोकतंत्र की धड़कन होते हैं।

युवा आंदोलन पर राजनीति की छाया

जनआंदोलन और राजनीति का संबंध लोकतंत्र में नया नहीं है। नीट आंदोलन के दौरान विपक्षी दलों ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी युवाओं के बीच जाकर संवाद किया और बाद के घटनाक्रमों में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।

विपक्ष का जनता के मुद्दे उठाना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है—क्या युवा अपने प्रश्नों का मालिक बना रहेगा या राजनीतिक दल धीरे-धीरे उसके प्रश्नों के स्वामी बन जाएंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे किसी दल के झंडे का विस्तार बनने के बजाय नीतियों के मूल्यांकनकर्ता बनें। सत्ता हो या विपक्ष—समर्थन व्यक्ति या दल का नहीं, नीति, पारदर्शिता और परिणाम का होना चाहिए।

सोशल मीडिया : ताकत भी, चुनौती भी

आज का युवा पहले सोशल मीडिया पर सवाल उठाता है, फिर प्रतिक्रिया देता है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरता है। इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों ने आंदोलनों के संगठन और प्रचार की परंपरागत सीमाएं लगभग समाप्त कर दी हैं।

लेकिन यही शक्ति खतरा भी बन सकती है। एक वायरल वीडियो हजारों लोगों तक सच पहुंचा सकता है, तो आधा-अधूरा सच या भ्रामक सूचना भी उतनी ही तेजी से फैल सकती है। इसलिए डिजिटल युग में नागरिक चेतना का अर्थ केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सूचना की सत्यता की जिम्मेदारी भी है।

पड़ोसी देशों से चेतावनी

श्रीलंका का 2022 का अरगलया आंदोलन, बांग्लादेश का 2024 का छात्र आंदोलन और नेपाल में 2025 का युवा आंदोलन अलग-अलग परिस्थितियों में पैदा हुए, लेकिन उनमें एक साझा तत्व दिखाई देता है—युवा असंतोष, डिजिटल नेटवर्क और व्यवस्था पर अविश्वास ने राजनीतिक घटनाक्रम को तेजी से प्रभावित किया। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं और सामाजिक परिस्थितियां इन देशों से अलग हैं। इसलिए वहां की घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी उचित नहीं होगी। फिर भी उनसे मिलने वाली चेतावनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। व्यवस्था को सबसे पहले उस क्षण सचेत होना चाहिए, जब नागरिकों का संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होने लगे।

युवा सैलाब को रोकना नहीं, दिशा देना होगा

युवा ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। उसे संस्थागत दिशा दी जा सकती है। ऐसी संस्थाएं चाहिए जो शिकायत सुनें, समयबद्ध निर्णय लें, परीक्षा और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करें, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें और



नीति संबंधी सवालों पर तथ्य आधारित संवाद कराएं। संसद और सरकारों को भी युवाओं के प्रश्नों को केवल चुनावी भाषणों का विषय बनाने से आगे बढ़ना होगा। आज युवा केवल नौकरी नहीं पूछ रहा। वह पूछ रहा है—

मेरी परीक्षा निष्पक्ष होगी या नहीं?

मेरी मेहनत का मूल्यांकन ईमानदारी से होगा या नहीं?

मेरी योग्यता का सम्मान होगा या नहीं?

मेरी आवाज सुनी जाएगी या नहीं?

ये प्रश्न यदि आज परीक्षा केंद्र तक सीमित हैं, तो कल संसद के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं, बल्कि संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखना है।

सरकार, विपक्ष, मीडिया और युवाओं—सभी की परीक्षा

आज परीक्षा केवल सरकार की नहीं है। सरकार की परीक्षा है कि वह युवाओं की आवाज कितनी गंभीरता से सुनती है। विपक्ष की परीक्षा है कि वह युवाओं के आक्रोश को राजनीतिक लाभ से आगे नीति परिवर्तन में कितना बदलता है। मीडिया की परीक्षा है कि वह आंदोलन को सनसनी बनाए बिना उसके वास्तविक प्रश्न जनता तक पहुंचाए।

और युवाओं की परीक्षा सबसे बड़ी है—वे अपने आक्रोश को हिंसा, अफवाह और अंधी राजनीतिक निष्ठा में बदलने से कितना बचा पाते हैं।

आक्रोश ऊर्जा है, लेकिन दिशा के बिना यही ऊर्जा विनाश भी कर सकती है। भारत को युवा विद्रोह नहीं, युवा पुनर्जागरण चाहिए।

देश की युवा आबादी यदि शिक्षा, कौशल, रोजगार, अनुसंधान, उद्यमिता और नागरिक भागीदारी में बदलती है तो वह भारत की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षा की अनियमितताएं, अवसरों की असमानता और

संस्थागत उदासीनता से टकराती यही ऊर्जा स्थायी असंतोष का कारण भी बन सकती है।

इसलिए युवाओं को केवल वोट बैंक, भीड़ या आंदोलनकारी के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे भारत के भावी वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षक, प्रशासक, सैनिक, पत्रकार और जनप्रतिनिधि हैं।

सैलाब को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता चाहिए

युवा शक्ति नदी की तरह है। उसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उसे दिशा दी जा सकती है। अनसुना किया जाएगा तो वह दीवारों से टकराएगी। राजनीतिक स्वार्थों में बांटा जाएगा तो समाज को भी विभाजित कर सकती है। लेकिन सही दिशा दी जाए तो यही शक्ति शिक्षा, उद्योग, रोजगार, नवाचार और राष्ट्र-निर्माण की धारा बन सकती है।

भारत के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है—

क्या हम युवा आक्रोश को सैलाब बनने देंगे या उसे राष्ट्र-निर्माण की नदी बनाएंगे? इतिहास में बड़े परिवर्तन केवल सत्ता के गलियारों से नहीं आते। वे विश्वविद्यालयों, सड़कों, खेतों और उस पीढ़ी से भी आते हैं जो कहने का साहस रखती है—

“यह व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी।”

लेकिन इसके साथ दूसरा वाक्य भी जरूरी है—

“इसे बेहतर कैसे चलाया जाए, इसका रास्ता भी हम बनाएंगे।”

भारत को इसी दूसरे वाक्य की तलाश है।

युवा शक्ति को आवाज चाहिए, लेकिन उससे अधिक दिशा।

आक्रोश को अभिव्यक्ति चाहिए, लेकिन उससे अधिक नीति। आंदोलन को अधिकार चाहिए, लेकिन उससे अधिक उत्तरदायित्व। लोकतंत्र को ऐसा युवा चाहिए जो सत्ता से सवाल पूछे, विपक्ष से भी सवाल पूछे और स्वयं से भी। क्योंकि सैलाब की शक्ति को नष्ट करना मूर्खता है; उसे दिशा देना ही सभ्यता है। ■

आर्थिक तंगी के बीच दिखावे की दौड़



ख वड्या पहाड़ी की त्रासदी केवल एक परिवार की कहानी नहीं; यह उस पीढ़ी और व्यवस्था से सवाल है, जो बच्चों को सफलता तो सिखा रही है, लेकिन संघर्ष, असफलता और 'न' स्वीकार करना नहीं।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की खवड्या पहाड़ी पर हुई त्रासदी को यदि केवल महंगे आईफोन की ईएमआई और पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जाए, तो हम घटना का सिर्फ दिखाई देने वाला हिस्सा देखेंगे। इसके पीछे छिपी सामाजिक कहानी कहीं अधिक गंभीर है।

एक महंगी वस्तु, उसे खरीदने की इच्छा, आर्थिक दबाव, परिवार में तनाव और फिर ऐसी भयावह स्थिति, जिसमें एक परिवार के कई जीवन समाप्त हो गए—यह केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि हमारे समय के सामने खड़े कई सवालों का आईना है।

क्या हमने अपनी अगली पीढ़ी को सफलता पाने की दौड़ तो सिखा दी, लेकिन असफलता स्वीकार करना नहीं सिखाया?

शायद इस घटना की शुरुआत उस पहाड़ी से नहीं हुई थी। उसकी जड़ें कहीं पहले थीं—बढ़ती आकांक्षाओं, सामाजिक तुलना, तत्काल उपलब्धि की मानसिकता और आर्थिक सीमाओं को स्वीकार न कर पाने की बेचैनी में। आईफोन यहां केवल एक वस्तु है। असली कहानी इच्छा और सामर्थ्य के बीच बढ़ती दूरी की है।

शिक्षा बढ़ी, जीवन की शिक्षा कितनी बढ़ी?

हमने शिक्षा को अंकों, डिग्रियों, नौकरी, पैकेज और सफलता से जोड़ दिया है। बच्चों से कहा जाता है—अच्छे अंक लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी पाओ और बड़ा जीवन जियो।

लेकिन उन्हें यह कितनी बार बताया जाता है कि—

हर इच्छा पूरी नहीं होगी।

हर प्रतियोगिता जीती नहीं जाएगी।

हर सपना तुरंत पूरा नहीं होगा।

और असफलता जीवन का अंत नहीं होती।

सच्ची शिक्षा केवल कमाने की क्षमता नहीं देती; वह

परिस्थितियों के सामने संभलने की शक्ति भी देती है। यदि ज्ञान बढ़ रहा हो, लेकिन धैर्य और मानसिक दृढ़ता घट रही हो, तो समाज शिक्षित तो हो सकता है, परिपक्व नहीं। जेन-Z की समस्या सपना देखना नहीं, 'अभी चाहिए' की मानसिकता है आज की युवा पीढ़ी तकनीक और सूचना के ऐसे युग में बड़ी हुई है, जहां दुनिया की लगभग हर चीज एक क्लिक की दूरी पर है—खरीदारी, मनोरंजन, ऋण, यात्रा और सफलता की कहानियां तक।

सोशल मीडिया पर किसी के हाथ में नया फोन दिखाई देता है तो मन पूछता है—मेरे पास क्यों नहीं? कोई विदेश यात्रा करता है तो वैसा ही जीवन पाने की इच्छा होती है। कोई महंगी कार खरीदता है तो अपनी उपलब्धि छोटी लगने लगती है। यहीं इच्छा धीरे-धीरे अधिकार के भाव में बदल सकती है।

समस्या महंगी वस्तु चाहने में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब इच्छा और आर्थिक सामर्थ्य के बीच की दूरी स्वीकार करने का धैर्य समाप्त होने लगे।

'मेरे पास अभी पैसा नहीं है'—यह असफलता नहीं,

आर्थिक वास्तविकता है। इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है।

हमने इंतजार करना कितना सिखाया?

पिछली पीढ़ियों के जीवन में अभाव अधिक था, लेकिन इंतजार की क्षमता भी अधिक थी। पैसा नहीं था तो बचत की जाती थी। जरूरत और इच्छा में अंतर किया जाता था। आज नहीं तो कल की उम्मीद रखी जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति का संदेश है—अभी खरीदिए, बाद में भुगतान कीजिए। ईएमआई ने निश्चित रूप से लाखों लोगों के लिए घर, वाहन और जरूरी वस्तुएं खरीदना आसान बनाया है। समस्या ईएमआई नहीं, बल्कि बिना सोचे-समझे पैदा होने वाली वित्तीय प्रतिबद्धता है। किसी भी बड़ी खरीद से पहले तीन सवाल जरूरी हैं—

क्या यह वास्तव में जरूरी है?

क्या मैं इसका भुगतान बिना तनाव के कर सकता हूँ? अगर कुछ महीनों तक आय प्रभावित हो जाए तो क्या मैं किस्त चुका पाऊंगा? यदि जवाब स्पष्ट नहीं है, तो सस्ता विकल्प चुनना पिछड़ना नहीं, समझदारी है।

सोशल मीडिया का चमकता आईना

सोशल मीडिया ने तुलना को हमारे घरों के भीतर ला दिया है। वहां लोग प्रायः अपनी सफलता दिखाते हैं, संघर्ष नहीं; नया फोन दिखाते हैं, उसकी ईएमआई नहीं; विदेश यात्रा दिखाते हैं, उसके पीछे की आर्थिक योजना नहीं। हमें परिणाम दिखाई देता है, संघर्ष नहीं। यही तुलना धीरे-धीरे असंतोष पैदा करती है। जब रोज दूसरों की उपलब्धियां सामने हों, तो संतोष स्वयं एक कौशल बन जाता है। इसलिए युवाओं को यह समझाना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का सच नहीं होता। पालन-पोषण में 'न' भी जरूरी है माता-पिता के लिए बच्चे की इच्छा पूरी करना प्रेम का स्वाभाविक रूप है। लेकिन हर इच्छा पूरी करना हमेशा प्रेम नहीं होता।

कभी-कभी बच्चे को यह कहना भी जरूरी है—“हम तुम्हारी इच्छा समझते हैं, लेकिन अभी हमारी आर्थिक क्षमता इसकी अनुमति नहीं देती।” यह 'न' बच्चे को रोकता नहीं, बल्कि उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। जीवन में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, कभी परीक्षा में असफलता होगी, कभी व्यवसाय में नुकसान होगा, कभी कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी। यदि बचपन में छोटी निराशाओं से



निपटना नहीं सीखा, तो बड़ी निराशाएं असहनीय लग सकती हैं। बच्चों को हर ठोकर से बचाना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि गिरने के बाद उठने के लिए परिवार उनके साथ खड़ा रहे। मानसिक संकट को ज़िद समझना खतरनाक है।

इस त्रासदी का सबसे संवेदनशील पक्ष यह भी है कि जब कोई व्यक्ति जीवन समाप्त करने की बात करे या ऐसा संकेत दे, तो उसे केवल ज़िद, ड्रामा या ध्यान आकर्षित करने का प्रयास मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तर्क-वितर्क से पहले सुरक्षा और सहारा जरूरी है। व्यक्ति को अकेला न छोड़ना, उसे खतरनाक स्थिति या स्थान से दूर करना और तत्काल भरोसेमंद परिजन तथा प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य सहायता से जोड़ना आवश्यक है। संकट के क्षण में उपदेश से ज्यादा उपस्थिति जरूरी है; बहस से ज्यादा सुनना जरूरी है।

जेन-Z को दोष नहीं, दिशा चाहिए

पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा करना आसान है, लेकिन समाधान नहीं। आज के युवाओं के सामने अवसर पहले से अधिक हैं, लेकिन तुलना, उपभोग और सामाजिक दबाव भी उतने ही अधिक हैं। उन्हें यह सिखाने की जरूरत है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन धैर्य उससे भी जरूरी है। महंगा वस्तु रखना गलत नहीं, लेकिन उसके लिए आर्थिक संतुलन बिगाड़ना गलत है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलता से बचना संभव नहीं। किसी से पीछे रह जाना जीवन से हार जाना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण—मदद मांगना कमजोरी नहीं है।

सवाल आईफोन का नहीं, जीवन-मूल्यों का है

खवड्या पहाड़ी की त्रासदी को केवल एक फोन, एक

ईएमआई या एक पारिवारिक विवाद की कहानी मानना आसान होगा। लेकिन यह घटना हमें अपने समय के कई कठिन सवालों के सामने खड़ा करती है। क्या हमारी शिक्षा बच्चों को जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार कर रही है? क्या परिवार आर्थिक सीमाओं पर खुलकर संवाद करते हैं? क्या हम बच्चों को 'न' स्वीकार करना सिखा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया की चमक के पीछे छिपे संघर्ष को समझना सिखा रहे हैं? और क्या बाजार की इच्छाओं के बीच हम अपनी अगली पीढ़ी को संतोष और संयम का मूल्य दे पा रहे हैं?

हमें ऐसी पीढ़ी नहीं चाहिए जो केवल यह जानती हो कि क्या खरीदना है। हमें ऐसी पीढ़ी चाहिए जो यह भी जानती हो कि कब इंतजार करना है, क्या छोड़ना है, हार के बाद कैसे उठना है और संकट में मदद कैसे मांगनी है।

क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि महंगा फोन खरीद लेना नहीं है।

सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य अपने भीतर जीने की वजह बचाए रखे।

खवड्या की त्रासदी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है—बाजार इच्छाओं को गति दे सकता है, ईएमआई उन्हें खरीदने की सुविधा दे सकती है और सोशल मीडिया उन्हें प्रतिष्ठा का रंग दे सकता है; लेकिन जीवन का मूल्य, संघर्ष की शक्ति और संतोष का विवेक हमें स्वयं गढ़ना होगा।

किस्त चुकाने के लिए जीवन नहीं होता; जीवन को बचाए रखने के लिए ही सारी कमाई, सारी उपलब्धियां और सारी दौड़ होती है। ■



लाल किले से भविष्य का संकल्प: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विकसित भारत की पुकार

आजादी के 80 वर्ष बाद सवाल केवल यह नहीं कि हमने क्या पाया, बल्कि यह भी कि 2047 तक हमें क्या बनना है 15 अगस्त 2026। भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे हुए। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फिर शान से लहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन इस बार का भाषण केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं था। इसमें इतिहास की स्मृति, वर्तमान की चुनौतियां और 2047 के भारत का खाका—तीनों एक साथ दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब देश को छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा; बड़े सपने, दृढ़ संकल्प और बड़ी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा।

यही इस भाषण की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है।

आजादी की आठ दशक लंबी यात्रा के बाद भारत अब केवल विकासशील देश बने रहने की मानसिकता से बाहर निकलकर विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य बना रहा है।

आजादी से आत्मनिर्भरता तक

स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। असली आजादी तब है जब देश अपने फैसले स्वयं ले, अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे और दुनिया को केवल बाजार नहीं, बल्कि समाधान भी दे। प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भरता इसी व्यापक अर्थ में सामने आई। उन्होंने उत्पादन, कृषि, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, परिवहन और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहुंच को भारत की अगली छलांग का आधार बताया। संदेश साफ था—दुनिया में जगह मांगनी नहीं, अपनी क्षमता से बनानी है।

कहावत है—“हाथ कंगन को आरसी क्या।” भारत की क्षमता अब केवल दावों में नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री का जोर उपलब्धियों पर रुकने के बजाय उनकी गति और पैमाना बढ़ाने पर था।

सप्तधारा: विकास का नया रास्ता

इस भाषण की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक रही—‘सप्तधारा’। इसके तहत विनिर्माण, कृषि

एवं खाद्य उत्पादन, तकनीक एवं नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था तथा भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक शक्ति को भविष्य के भारत की सात प्रमुख धाराओं के रूप में सामने रखा गया।

यह दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकसित भारत केवल बड़े शहरों, चमचमाती इमारतों और ऊंची जीडीपी से नहीं बनेगा। खेत से बाजार तक किसान, कारखाने से विश्व बाजार तक उद्योग, प्रयोगशाला से उत्पादन तक वैज्ञानिक, सीमा से लेकर साइबर क्षेत्र तक सैनिक और गांव से लेकर महानगर तक सामान्य नागरिक—सभी इस यात्रा के हिस्सेदार होंगे। नदी तभी बड़ी बनती है जब छोटी-छोटी धाराएं मिलती हैं। राष्ट्र भी तभी बड़ा बनता है जब उसकी सामूहिक शक्ति एक दिशा में बहती है।

‘मेड इन इंडिया’ से ‘ग्लोबल क्वालिटी’ तक

प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। लागत, गुणवत्ता और पैमाने को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बताते हुए उन्होंने भारतीय

उद्योग से ऐसी वस्तुएं बनाने का आह्वान किया जिन्हें दुनिया भरों से के साथ स्वीकार करे। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है।

सिर्फ भारतीय होना पर्याप्त नहीं होगा; भारतीय उत्पाद को विश्वस्तरीय होना पड़ेगा। अब समय 'चलता है' वाली मानसिकता छोड़ने का है। दुनिया के बाजार में भावनाओं से नहीं, गुणवत्ता से जगह मिलती है। यही वह मोड़ है जहां आत्मनिर्भरता संरक्षणवाद नहीं, प्रतिस्पर्धी क्षमता बन सकती है।

खेती की मेड़ से विश्व बाजार तक

भारत का किसान केवल अन्नदाता नहीं, भविष्य का निर्यातक भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक खाद्य पदार्थों, मोटे अनाज, मसालों, फलों और फूलों को वैश्विक ब्रांड बनाने तथा खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचने की आवश्यकता पर बल दिया। यही वह सोच है जिसकी गांवों को जरूरत है। “जैसा बोओगे, वैसा काटोगे”—लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में केवल फसल बोना पर्याप्त नहीं। मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच भी जरूरी है। यदि गांव का किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पा सके, तो विकसित भारत की नींव शहरों में नहीं, खेतों में मजबूत होगी।

युवा: दर्शक नहीं, विकास के चालक

भाषण का एक बड़ा हिस्सा युवाओं के नाम रहा। स्टार्टअप, कौशल, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों को भविष्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौशल से प्रशिक्षित करने की घोषणा की। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 का भारत आज की युवा पीढ़ी ही बनाएगी। युवा को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला, तकनीक बनाने वाला और दुनिया की समस्या का समाधान देने वाला बनाना होगा। कहावत है—“जहां चाह, वहां राह।” लेकिन आज की दुनिया में चाह के साथ कौशल भी चाहिए और कौशल के साथ अवसर भी।

तकनीक में बाजार नहीं, नेतृत्व

भारत डिजिटल सार्वजनिक ढांचे में अपनी पहचान बना चुका है। अब लक्ष्य अगली पीढ़ी की तकनीक में नेतृत्व का होना चाहिए—कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष, आंकड़ा केंद्र और स्वदेशी 6जी जैसे क्षेत्रों का उल्लेख इसी बड़े लक्ष्य की ओर संकेत करता है।

यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है।

कभी भारत विदेशी तकनीक का ग्राहक था। अब प्रश्न

यह है कि क्या भारत दुनिया के लिए तकनीक का निर्माता और मार्गदर्शक बन सकता है? प्रधानमंत्री का भाषण इसी आत्मनिश्चय को आगे बढ़ाता है।

रक्षा में आत्मनिर्भरता, नागरिकों में तैयारी

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक विकसित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही आधुनिक संकटों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई। आज सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। खतरा केवल सीमा पर नहीं है; साइबर हमले, ड्रोन, प्राकृतिक आपदाएं और आधुनिक युद्ध की नई तकनीकें भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं। इसलिए सुरक्षित भारत केवल मजबूत सेना से नहीं, जागरूक और तैयार नागरिकों से भी बनेगा।

महिला शक्ति को निर्णय की शक्ति

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण लागू करने की अपील भी भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को शीघ्र सुनिश्चित करने की बात कही। यह विषय केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, निर्णय प्रक्रिया की दिशा बदलने का भी है। जिस आधी आबादी की प्रतिभा, श्रम और क्षमता देश की अर्थव्यवस्था में शामिल है, उसकी आवाज नीति निर्माण में भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए।

नारी आगे बढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा और समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे जाएगा।

नशामुक्त भारत: विकास की सामाजिक शर्तें

आर्थिक विकास के साथ प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या को भी गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बताया और नशामुक्त भारत को हर परिवार की जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल पुल, सड़क और कारखानों से विकसित नहीं होता। स्वस्थ, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक ही विकास की असली पूंजी हैं। ईंट-पत्थर से इमारत बनती है, लेकिन चरित्र से राष्ट्र बनता है।

भाषण का असली संदेश: सरकार से आगे समाज

इस पूरे संबोधन को यदि एक वाक्य में समेटना हो तो कहा जा सकता है—विकसित भारत सरकार का अकेले का प्रकल्प नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने सरकार, राज्यों,

उद्योग, किसानों, युवाओं और समाज से मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने काम करने की संस्कृति, सोच और गति में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। यहीं इस भाषण की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। क्योंकि “एक और एक ग्यारह” तभी होता है जब लक्ष्य एक हो।

80 साल की आजादी और 21 साल का लक्ष्य

1947 से 2026 तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। अब सामने 2047 है—स्वतंत्रता के 100 वर्ष। अर्थात् हमारे पास लगभग 21 वर्ष हैं। इतिहास में 21 वर्ष बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन किसी राष्ट्र के लिए यह कार्याकल्प का पर्याप्त अवसर भी हो सकता है—यदि दिशा स्पष्ट हो, गति तेज हो और नीयत तथा नीति में निरंतरता हो। 2047 का विकसित भारत केवल सरकार के भाषणों से नहीं बनेगा। वह तब बनेगा जब गांव का विद्यालय बेहतर होगा, किसान की आय और बाजार दोनों मजबूत होंगे, युवा को कौशल और रोजगार मिलेगा, महिला को अवसर और सम्मान मिलेगा, उद्योग को प्रतिस्पर्धी वातावरण मिलेगा और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे।

लाल किले की प्राचीर से निकली असली पुकार

80वें स्वतंत्रता दिवस का यह भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें अतीत के गौरव के साथ भविष्य की बेचैनी भी है। प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि अब छोटे लक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। भारत को विश्वस्तरीय कंपनियां, विश्वस्तरीय उत्पाद, विश्वस्तरीय तकनीक और विश्वस्तरीय संस्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन बड़े सपनों की असली परीक्षा जमीन पर होती है। घोषणा बीज है, क्रियान्वयन फसल। भारत के सामने अब चुनौती यह है कि लाल किले से निकली पुकार गांव की चौपाल तक पहुंचे, कारखाने की मशीन तक पहुंचे, खेत की मेड़ तक पहुंचे और युवा के सपनों तक पहुंचे। स्वतंत्रता के 80 वर्ष हमें उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देते हैं; लेकिन अगले 21 वर्ष हमें जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं। आजादी हमें विरासत में मिली है, विकसित भारत हमें बनाना है।

यही 80वें स्वतंत्रता दिवस के संदेश का सार है—

सपना बड़ा हो, संकल्प अडिग हो, गति तेज हो और लक्ष्य राष्ट्र हो। क्योंकि आखिरकार राष्ट्र निर्माण में कोई दर्शक नहीं होता। हर नागरिक खिलाड़ी है, हर पीढ़ी भागीदार है और 2047 की मंजिल हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। ■

न अमेरिका का दबाव, न चीन का विरोध : भारत की अपनी राह

विश्व बदल रही है। पुराने शक्ति-संतुलन दरक रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और महाशक्तियों के बीच भरोसे की जगह प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि भारत किसके साथ है? असली सवाल है—भारत अपने साथ कितना खड़ा है? यहीं से भारतीय विदेश नीति की नई तस्वीर उभरती है। भारत न अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहता है, न चीन का स्थायी विरोधी। न रूस से रिश्ता तोड़ना उसके हित में है और न पश्चिम से दूरी बनाना। उसकी राह सीधी है—जहां भारत का हित, वहां भारत का साथ।

इसे ही आज की भाषा में रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरखीय कूटनीति कहा जा सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण भी भारत की इसी नीति को अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ समानांतर संबंध बनाए रखते हुए अपने निर्णय स्वतंत्र रखने की कोशिश के रूप में देखते हैं।

गुटों की दुनिया से हितों की दुनिया तक

शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक ओर अमेरिका, दूसरी ओर सोवियत संघ। भारत ने तब गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना था। आज परिस्थिति अलग है। अब मुकाबला केवल दो देशों के बीच नहीं है। अमेरिका है, चीन है, रूस है, यूरोप है, जापान है, खाड़ी के देश हैं और ग्लोबल साउथ की अपनी आकांक्षाएं हैं। ऐसे में किसी एक खेमे में बैठ जाना भारत के विकल्प सीमित कर देगा। जिसके पास विकल्प नहीं होते, उसके पास स्वतंत्रता भी सीमित होती है। भारत की मौजूदा नीति का सार यही है—संबंध सबके साथ, निर्णय अपने।

अमेरिका से दोस्ती, लेकिन आंखें खुली

अमेरिका भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत जैसे अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के हित मिलते हैं। लेकिन मित्रता का अर्थ निर्भरता नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्रता से अधिक स्थायी होते हैं—राष्ट्रीय हित। अमेरिकी नीतियों में बदलाव, व्यापार संबंधी दबाव और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अमेरिकी दृष्टिकोण ने भी यह दिखाया है कि साझेदारी के बावजूद दोनों देशों के हित

हर मुद्दे पर एक जैसे नहीं हो सकते। 2026 के विश्लेषणों में भी भारत-अमेरिका संबंधों को वैश्विक अनिश्चितता के बीच पुनर्संतुलन की चुनौती से जोड़कर देखा गया है। इसलिए भारत की नीति का संदेश साफ है—दोस्ती गहरी हो सकती है, लेकिन फैसला दिल्ली में ही होगा।

चीन: प्रतिस्पर्धा भी, संवाद भी

चीन भारत का सबसे कठिन पड़ोसी है। सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, हिंद महासागर में चीन की सक्रियता और एशिया में प्रभाव बढ़ाने की उसकी कोशिशें भारत के सामने गंभीर रणनीतिक चुनौती हैं।

लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि भारत चीन से हर स्तर पर टकराव ही करे? शायद नहीं।

2020 के तनाव के बाद दोनों देशों ने संबंधों को संभालने के लिए संवाद और सीमा पर स्थिरता की जरूरत स्वीकार की है। हाल के महीनों में संबंधों में कुछ नरमी के संकेत भी मिले हैं, हालांकि सीमा पर विश्वास की कमी बनी हुई है। अगस्त 2026 में भारत ने फिर स्पष्ट किया कि सीमा पर शांति व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के

लिए महत्वपूर्ण है।

यही भारतीय कूटनीति का कठिन संतुलन है। चीन से मुकाबला भी करना है, लेकिन चीन से संवाद का दरवाजा भी बंद नहीं करना है। कहावत है—“नौबत आए तो तलवार भी, और मौका मिले तो बातचीत भी।”

रूस से रिश्ता: पुरानी दोस्ती, नए समीकरण

रूस के साथ भारत के संबंध केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं हैं। यह रिश्ता दशकों की रणनीतिक समझ, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग और रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का समीकरण बदल गया। रूस और पश्चिम आमने-सामने आए। ऐसे समय में भारत पर दबाव भी आया कि वह अपनी विदेश नीति को किसी एक पक्ष के अनुरूप ढाले। भारत ने इसके बजाय संवाद का रास्ता चुना। यह नीति आलोचना से परे नहीं है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत समझना जरूरी है—भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को किसी दूसरे देश की



विदेश नीति का परिशिष्ट नहीं बना सकता।

BRICS और पश्चिम—दोनों क्यों?

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत BRICS जैसे मंचों में चीन और रूस के साथ क्यों है और दूसरी ओर अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी क्यों बढ़ा रहा है?

जवाब सरल है—भारत दुनिया को खेमों में नहीं, हितों में देख रहा है। BRICS में भारत चीन और रूस के साथ बैठता है। वहीं हिंद-प्रशांत में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करता है। यह विरोधाभास दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यही व्यावहारिकता है। 2026 में BRICS के भीतर सीमा-पार भुगतान प्रणालियों और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने जैसी संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। इससे पता चलता है कि BRICS केवल राजनीतिक मंच नहीं, आर्थिक सहयोग का प्रयोगशाला भी बन रहा है।

एक नाव में बैठकर दूसरी नाव से बैर नहीं किया जाता; नदी पार करने के लिए हर उपलब्ध सहारे को समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है।

भारत की असली ताकत: किसी एक पर निर्भर न होना

रणनीतिक स्वायत्तता केवल विदेश मंत्रालय की नीति नहीं है। इसकी असली नींव देश की अपनी क्षमता में होती है। यदि रक्षा के लिए पूरी तरह बाहर पर निर्भर हैं,

तो स्वायत्तता अधूरी है। यदि ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो स्वायत्तता अधूरी है। यदि अत्याधुनिक तकनीक बाहर से ही आती है, तो स्वायत्तता अधूरी है। यदि महत्वपूर्ण खनिज, अर्धचालक, औषधि सामग्री और विनिर्माण के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता है, तो विदेश नीति की स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक स्वायत्तता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत को दुनिया से कटना नहीं है; दुनिया से जुड़कर अपनी क्षमता बढ़ानी है।

हिंद-प्रशांत: भारत की निर्णायक भूमिका

एशिया की राजनीति अब केवल चीन और अमेरिका की कहानी नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे स्वाभाविक रूप से हिंद-प्रशांत की महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। हिंद महासागर भारत की सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवनेखा है। ऐसे में भारत का समुद्री प्रभाव बढ़ना केवल सैन्य महत्वाकांक्षा नहीं, राष्ट्रीय आवश्यकता है। चीन की एशिया-प्रशांत में बढ़ती सैन्य और समुद्री सक्रियता के बीच यह चुनौती और बड़ी हो गई है। हाल की घटनाओं ने फिर दिखाया है कि हिंद-प्रशांत आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति-संतुलन का प्रमुख केंद्र रहेगा।

भारत का संदेश होना चाहिए—

समुद्र खुला रहे, व्यापार सुरक्षित रहे और किसी एक शक्ति की मनमानी न चले। यूरोप की ओर खुलती नई खिड़की भारत की विदेश नीति केवल अमेरिका-चीन-रूस के त्रिकोण में बंद नहीं है।

यूरोप भी भारत के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। व्यापार, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में भारत-यूरोप संबंधों के लिए 2026 को महत्वपूर्ण अवसरों वाला वर्ष माना जा रहा है। यह भारत की उसी नीति का हिस्सा है जिसमें एक साझेदारी को दूसरी साझेदारी का विकल्प नहीं बनाया जाता। दरवाजे जितने अधिक खुले होंगे, कमरे में हवा उतनी ही स्वतंत्र होगी।

क्या यह नीति आसान है?

बिल्कुल नहीं।

अमेरिका चाहता है कि चीन का प्रभाव सीमित हो। चीन चाहता है कि एशिया में उसका प्रभाव चुनौतीहीन रहे। रूस पश्चिम से टकराव में भारत का समर्थन चाहता है। यूरोप अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों के अनुसार भारत से अपेक्षाएं रखता है।

और भारत?

भारत चाहता है—सबसे संबंध, लेकिन किसी का दबाव नहीं। यही असली परीक्षा है। क्योंकि रूसी पर चलने वाला ही जानता है कि संतुलन कितना कठिन

होता है। 'सबका मित्र' बनने से पहले 'अपने हित का प्रहरी' बनना होगा भारत की विदेश नीति की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाएगी कि प्रधानमंत्री ने कितने नेताओं से हाथ मिलाया या कितने शिखर सम्मेलनों में भाग लिया।

सफलता तब होगी जब—

- भारतीय सैनिक को आधुनिक हथियार मिलें,
- भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करे,
- भारतीय किसान वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़े,
- भारतीय तकनीक दुनिया में इस्तेमाल हो,
- भारतीय ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो,
- भारतीय समुद्री मार्ग सुरक्षित हों,
- और भारत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी बात मनवाने की क्षमता रखे। कूटनीति की असली भाषा अंततः राष्ट्रीय क्षमता ही बोलती है। भारत को 'किसके साथ' नहीं, 'किसलिए' पूछना होगा आने वाले दशक में दुनिया और अधिक अस्थिर हो सकती है। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। रूस-पश्चिम संबंधों में तनाव बना रह सकता है। पश्चिम एशिया में नए संकट पैदा हो सकते हैं। व्यापार युद्ध और तकनीकी प्रतिबंध नई आर्थिक सीमाएं खींच सकते हैं। ऐसे समय में भारत को हर बार एक ही सवाल पूछना होगा—

इस निर्णय से भारत मजबूत होगा या कमजोर? यदि जवाब मजबूत होने का है, तो रास्ता वही सही है। यही रणनीतिक स्वायत्तता का वास्तविक अर्थ है।

अंतिम बात

भारत को किसी के खेमे का झंडा नहीं उठाना है। उसे अपना तिरंगा ऊंचा रखना है। अमेरिका से सहयोग चाहिए—लेंगे। रूस से संबंध चाहिए—रखेंगे। चीन से प्रतिस्पर्धा है—करेंगे। जहां संवाद जरूरी है—संवाद करेंगे। यूरोप से व्यापार लाभदायक है—बढ़ाएंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज उठानी है—उठाएंगे। लेकिन अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रीय हित में होगा।

न दोस्ती में आंख बंद, न दुश्मनी में दिमाग बंद। आज की दुनिया में यही परिपक्व विदेश नीति है। कभी भारत से पूछा जाता था—“आप किस गुट में हैं?”

अब भारत का जवाब होना चाहिए—

“हम किसी गुट के नहीं; हम भारत के पक्ष में हैं।”

और शायद यही उस भारत की विदेश नीति का सबसे सटीक परिचय है, जो 2047 की ओर बढ़ते हुए दुनिया में केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाली, अपने हितों की रक्षा करने वाली और वैश्विक व्यवस्था को दिशा देने वाली शक्ति बनना चाहता है। क्योंकि दुनिया में सम्मान वही पाता है, जो मित्रता निभाना जानता हो—लेकिन अपनी रीढ़ सीधी रखना भी। ■





मोहम्मद नदीम,
राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश



कृष्णा करुणेश, मुख्य कार्यपालक
अधिकारी नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



श्रीलक्ष्मी, अपर मुख्य कार्यपालक
अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



सुमित यादव, अपर मुख्य कार्यपालक
अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



सुनील कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक
अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



शैलेंद्र भाटिया, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण



मंगलेश दुबे, अपर
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर



गुंजा सिंह, ओएसडी ग्रेटर नोएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ए के सिंह, जीएम ग्रेटर नोएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण



आरपी सिंह, जीएम नोएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण



आँखें खोलो, फिर विश्वास करो।



यहाँ हर दुकान, सोने की खान

RERA RECEIVED

KDMG
CENTRAL
PLAZA
GREATER NOIDA WEST

ANALOX TOWN PLANNERS PVT. LTD. (An ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Company)
Trilokpuram Greens, Site C, Residential Pocket, Near Tilapta Chowk,
Greater Noida West, Gautam Buddh Nagar, U.P.(NCR)-201 306.
W : www.kdmg.in E: info@kdmg.in (CIN-U70100DL2014PTC265610)

 **7532 040404**



UP RERA Registration No. **UPRERAPRJ205557/04/2026** Website of UP RERA: www.up-rera.in Launch Date: 06-04-2026
Collection A/C Details: **ATPPL-COLL AC FOR KDMG CENTRAL PLAZA** Project Collection Account Number: 013372500000015 IFSC Code: YESB00000133
Bank Name: YES Bank Ltd. Bank Address : G-5,6,7,8, GNS Plaza, Nr. Radisson BLU Hotel, Kasna,Gr. Noida, U.P. -201310

Disclaimer: The images, appearances, colours, etc. given herein are mere artistic impression for representation purposes only and do not constitute an offer an invitation to offer and/or commitment of any nature between the promoter and the recipient. Readers are therefore requested to verify all details, including area, amenities, services, terms of sale and payment schedule and other relevant terms independently with the promoter prior to arriving at any decision of buying any plot in the said project. The information herein is intended to give a general understanding of the subject matter and is subject to change without any prior notice.

SCAN FOR LOCATION





योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

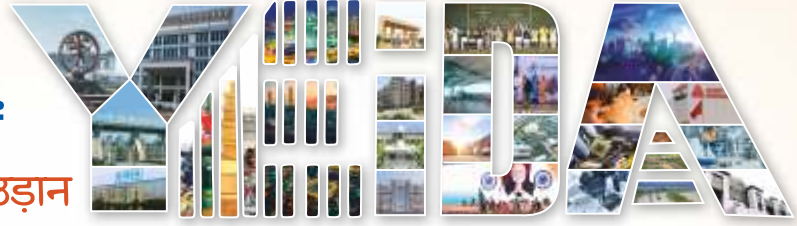


नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश



जयसन्त सैनी
औद्योगिक विकास राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

राष्ट्र के आकांक्षाओं की उड़ान



अगली पीढ़ी के ग्रोथ कॉरिडोर के तौर पर रणनीतिक रूप से तैयार किया गया YEIDA, तेज़ी से एक ऐसे केंद्र के रूप में उभर रहा है जहाँ विश्व-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के उद्योग और बेजोड़ कनेक्टिविटी का संगम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिली नई ऊँचाइयों के साथ, YEIDA निवेश, इनोवेशन और रोजगार का केंद्र है। 25 साल के पड़ाव पर YEIDA, नई एप्ताकर के साथ आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश के \$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने के लिए समर्पित है।

YEIDA @ 25 : प्रमुख उपलब्धियाँ

उत्कृष्टता का पर्याय

विकास का इंजन 100 नीटर चौड़े यमुना एक्सप्रेसवे पर बसा, निर्बाध क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ	लैंड बैंक 3,000+ हेक्टेयर का नियोजित विकास क्षेत्र, दीर्घकालिक विस्तार और विकास की क्षमता युक्त	शहरी अवसंरचना को प्रोत्साहन सस्टेनेबल शहरी जीवन के लिए एकीकृत सड़कों, यूटिलिटीज, हरित क्षेत्र और सामाजिक अवसंरचना के साथ नियोजित सेक्टर	विश्वसनीय विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते समर्पित सबस्टेशन और उच्च क्षमता वाला ट्रांसमिशन नेटवर्क
---	---	---	---

अतुलनीय कनेक्टिविटी

भारत का एविएशन गेटवे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा - 11,700+ एकड़, 22.5 करोड़ वार्षिक यात्री क्षमता।	लॉजिस्टिक्स एवं माल टुलार्ड का लाभ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) एयरपोर्ट DFC कनेक्टिविटी 87 एकड़ कार्गो हब एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक संपर्क	शानदार कनेक्टिविटी दिल्ली - गुरुग्राम के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी चोला (मोल्कात-हावड़ा लाइन) से रबी (मुंबई लाइन) तक रेल कनेक्टिविटी प्रस्तावित रॉड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRATS)	एक्सप्रेसवे नेटवर्क 100 नीटर चौड़ा ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे 130 नीटर चौड़ा ईस्ट-ग्रेटर नोएडा से YEIDA तक 100 नीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे - पलवल से बुर्जा तक गंगा एक्सप्रेसवे
---	--	--	--

उद्योग जगत का आकर्षण

निवेश का केंद्र 2017 से अब तक ₹50,000+ करोड़ का निवेश; मजबूत नीतिगत समर्थन।	औद्योगिक विस्तार 2,730+ एकड़ में 2,200+ प्लॉट, जो दे रहे औद्योगिक विकास की गति।	रोजगार सृजन विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 4 लाख रोजगार सृजित।
---	---	--

विकास के लिए नियोजित

सेक्टरल मेगा पार्क मेडिकल डिवाइसेस, डेटा सेंटर, ऑटोमोबाइल, MSME, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एवं सेमीकंडक्टर पार्क के गलस्टेड।	इलेक्ट्रॉनिक्स हब सेक्टर-10 में इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्युफैक्चरिंग क्लस्टर।	बैथैक शहर सिंगापुर, जापानी एवं कोरियन सिटी - प्रत्येक 500 एकड़।	फिनटेक हब कार्यालय, रिएल और आवास का एकीकृत उभरता इकोसिस्टम।	अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी 230+ एकड़ में विश्वस्तरीय फिल्म निर्माण सुविधा।
--	---	---	---	--

एयूर मास्टरप्लान - विकास का पथ

टप्पल - बाजना अर्बन सेंटर में प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स हब	राया अर्बन सेंटर, मधुरा में प्रस्तावित हेस्टिंग सिटी	हाथरस अर्बन सेंटर का प्रस्तावित मास्टर प्लान	आगरा अर्बन सेंटर का प्रस्तावित मास्टर प्लान
--	---	---	--



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल, वाणिज्यिक परिसर, पी-2, सेक्टर- ओमेगा I, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, 201308
वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com